उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1974

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः–

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषएंः– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

क. सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्य कलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो–

1. ऐसे सेवायोजन में स्थायी था : या
2. यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था :या
3. यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्त में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरणः– ''नियमित रूप से नियुक्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है,

(ख) ''मृत सरकारी सेवक'' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए।

(ग) ''कुटुम्ब'' के अर्न्तगत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे–

1. पत्नी या पति,
2. पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां

(घ) ''कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना :– यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोडकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं में और पदो पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव :– इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्तीः– यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार

या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए। जिसमें मृत सरकारी सेवको अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6. **सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु :–** इस नियमावली के लिये नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलक्षित है उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :–

   (क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक वह विभाग जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था

   (ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्योरे

   (ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा ब्योरा और,

   (घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताए यदि कोई हो।

7. **प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हो:–** यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन को विनिश्चित करेगा। समस्त, कुटुम्ब विशेषता उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

8. **आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता :–** 1. इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नही होनी चाहिये।

   2. चयन के लिये प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

   3. इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्त के प्रति की जायेगी।

9. **किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि –**

   (क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही समझे जायेगें।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो तथा इस बात के

लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरूष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः–** राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबंध कार्यान्दयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसेन
आयुक्त एवं सचिव

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्याः18 / ए–(124)–2013 दिनांकः 24–11–2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः **पुलिस विभाग में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवायोजन में विस्तृत आदेश।**

अवगत कराना है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा वर्ष 2015 में सरकार द्वारा कतिपय नियमावलिषं प्रख्यापित की गई है जिनमें यह अंकित किया गया है कि पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो किसी पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थना–पत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जाएगी। इसी क्रम में शासन के पत्र दिनांकः 18.09.2015 द्वारा पुलिस विभाग में मृतक आश्रित भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये है। अतः पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः18 / ए–1(124)–2013, दिनांक : 22.05.2014 को अतिक्रमित करते हुये अब मृतक आश्रितों के पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही इस पत्र में दी गयी प्रकिया के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में विशेष अपील संख्याः1069 / 2014 उ०प्र० शासन व अन्य बनाम राजसूर्य प्रताप सिंह तथा विशेष अपील संख्याः356 / 2012 शिव कुमार दुबे बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 185 / ए–मृ०आ०सेवा०(निर्देश)–2014 दिनांक 24–09–2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

शासनादेश संख्याः2030 / 6–पु०–1–15–2013 / 2015, दिनांक :18.09.2015 में उ०प्र० पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए गए हैं :–

(1) पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में सेवायोजन केवल उन्हीं पदों पर किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में पुलिस विभाग की सम्बधित नियमवाली में इसका प्राविधान होगा।

(2) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन हेतु किसी अभ्यार्थी की शैक्षिका योग्यता, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य योग्यताएं व अर्हताएं वही होंगी जो सम्बधिन्त नियमावली के अनुसान उस पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यार्थी के लिये आवश्यक होगी किन्तु इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः1203 / 6–पु– 10–2000–1200(8) / 98, दिनांकः 01 मई, 2000 के अन्तर्गत शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम् लम्बाई में प्रदान की गयी 02 सेण्टीमीटर की छूट पूर्व की भॉति लागू रहेगी।

(3) यदि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु किसी पद पर आवेदन देने वाले अभ्यार्थियों की संख्या, उस पर के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के निर्धारित पदों से अधिक हो, तो अभ्यार्थियों से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी एवं इस पद के लिये अंतिम चयन सूची उस पद के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित पदों की संख्या के अनुसान, इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, श्रेष्ठताक्रम के अनुसार बनाई जायेगी।

(4) किसी भी अभ्यर्थी का मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी पद पर सेवायोजन किये जाने से पूर्व उस पद हेतु यथावश्यक शारीरिक दक्षता परीक्षा, अन्य योग्यताओं की परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन, भर्ती बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(5) किसी भी पद पर मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी को नियमानुसार एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा, अगर वह इस हेतु प्रदान किये गये अवसर में किसी भी कारण से, उस पद के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे अन्य किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु ऑफर प्रदान किया जायेगा और यदि वह 03 माह के अन्दर किसी पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नहीं है।

(6) उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त, शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शेष सभी निर्देश, पूर्व की भॉति लागू रहेंगें।

(7) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवयोजन के संबंध में उपरोक्त के अन्तर्गत विस्तृत आदेश, जिसमें इस हेतु कराई जोने वाली परिक्षाएं भी शामिल होंगी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं :–

उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–7 क्रम में पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु निम्न विसतृत आदेश निर्गत किए जा रहे हैं :–

1– पुलिस विभाग के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

(1) उप निरीक्षक नागारिक पुलिस

(1) सामान्य प्रकिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सोवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा इकाई, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की आर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर में सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपरिरीक्षक के पद पर सेवोयाजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सुचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर समस्त प्रकरण सभी जनपदों/इकाईयों के संकलित किए जाएंगे एवं इसकी संकलित सूची तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी

एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

(2) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवानियमावली में उल्लिखित उपनिरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्ष में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों की एक सूची तैयार करेगा। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हुए नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(3) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में इस पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या से अधिक है तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यार्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं इस परीक्षा में कोई अर्हकारी अंक नहीं होंगे एवं इस परीक्षा को केवल अभ्यर्थियों का श्रेष्ठता क्रम निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाएगा जिसके आधार पर उनका अन्तिम रूप से चयन किया जा सके। यह परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता/तार्किक परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा को कराये जाने की प्रकिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम के अनुसार एक सूची (Merit List) बनायी जाएगी। यदि इस श्रेष्ठता सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उस दशा में उनकी वरीयता निर्धारित करने की प्रकिया निम्न प्रकार होगी :–

(1) अगर अभ्यार्थी के पास इस पद की सेवा नियमावली के अन्तर्गत कोई अधिमानी अर्हता हो तो नियमावली में अधिमानी अर्हता के दिये गये क्रम के अनुसार।

(2) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अधिक आयु के अनुसार।

(3) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के अनुसार।

(4) चयन सूची

बोर्ड द्वारा इस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती की जाने वाले पदों की रिक्तियों के सापेक्ष, इस श्रेष्ठता सूची में से श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार, अन्तिम चयन सूची कनाई जाएगी। चयन सूची में स्थान न

पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रेषित की जाएगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगी। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी०

पी०एससी० के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित पी०ए०सी० बटालियन के द्वारा, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती हेतु शैक्षित अर्हता, अधिमानी अर्हताएं शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतक लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित पी०ए०सी० वाहिनी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर समस्त अभिलेख पी०ए०सी० मुख्यालय को प्रेषित किए जांएगे। पी०ए०सी० मुख्यालय द्वारा उस उर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियामानुसारन निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

भर्ती बोर्ड उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, मृतक आश्रिक के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु उपरोक्त प्रस्तर–1(1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दक्षता मूल्यांकन परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा कराकर मृतक आश्रित भर्ती के प्लाटून कमाण्डर के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को उपलब्ध कराएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु पी०ए०सी० मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। दक्षता मूल्यांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा सत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में दिए शारीरिक दक्षता के मानकों के अनुरू५ कराई जाएगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यार्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। पी०ए०सी० मुख्यालय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इसे प्रेसित करेगा।

(3) फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर

फायर सर्विस के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके

सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भा की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टोशन सेकण्ड आफिसर के

पद पर भर्ती शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद द्वारा मृतक आश्रित के रू॰ में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर समस्त अभिलेख फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

2– पुलिस विभाग के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

(1) उप निरीक्षक (गोपनीय)

(1) सामानय प्रक्रिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद, प०ए०सी० अथवा इकाई, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, शारीरिक मापदण्ड टंकण एवं आशुलिपिक दक्षता एवं अन्य अर्हताएं एवं योग्यताएं वहीं होंगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यार्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अनतर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार अगर सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यार्थी मृतक आश्रित के रू॰ में उपरोक्त पदों पर सेवोयाजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सुचाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं उपरोक्तानुसार तैयार की गयी अभ्यर्थियों की संकलित सूची आवश्यक अभिलेखों सहित पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

(2) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों से उनकी दक्षता मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर टंकण व आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अपनेक्षा की जाएगी।

(क) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होने के मानक वहीं होगें जो उपरोक्त पद के लिए तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे। टंकण परीक्षा, कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा

सभी अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर टंकण में सफल रहते है उनसे आशुलिपिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आशुलिपिक परीक्षा में अर्हता के मानक वही होंगे जो तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियामावली में विद्यमान होंगे। आशुलिपिक परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभयर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रू॰ में उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० प्रेषित करेंगे।

(3) लिखित परिक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यार्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यार्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के प्रस्तर–1(1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गयी प्रक्रिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी। उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। जिसे पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को प्रेषित किया जाएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में सीान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोखित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)

इन दोनों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उपरोक्त दी गयी उप निरीक्षक (गोपनीय) की प्रक्रिया के समान होगी किन्तु इसमें दक्षता मूल्यांकन हेतु सभी अभ्यर्थियों की केवल कम्प्यूटर टंकण परीक्षा करायी जाएगी, कोई आशुलिपिक परीक्षा नहीं करायी जाएगी। कम्प्यूटर टंकण की दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा भी उसी प्रक्रिया के अनुसार करायी जाएगी एवं भर्ती बोर्ड द्वारा दोनों पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची अलग–अलग पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूचीयां रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

3– पुलिस रेडियों विभाग के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक), कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

(1) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक)

(क) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस रेडियों विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जेा नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही रेडियों मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। मृतक आश्रित के रू‍प में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद पर भर्ती हेत शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित इन पदों की सेवा नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। रेडियो मुख्यालय द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। रेडियों मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

(ख) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन एवं शरीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रू‍प में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कमया बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियों मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

(ग) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यार्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी। लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के प्रस्तर–1(1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु

दी गयी प्रकिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी। उसी उल्लिखित प्रकिय के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी जिसे पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रेषित किया जाएगा जो इस नियुक्ति की कार्यवाही हेतु रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक

(क) सामान्य प्रकिया

पुलिस रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। इस सेवायोजन हेतु सामान्य प्रकिया उपरोक्त प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) के पद में दी गयी सामान्य प्रकिया के अनुसार होगी एवं सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं अभिलेख पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाएंगे।

(ख) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षता का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की दोनों पदो के लिए अलग–अलग सूची तैयार करेगा जो इन सभी अभ्यर्थियों की उपरोक्त पदो के लिए अन्तिम चयन सूची होगी।

बोर्ड इस चयन सूची को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियो मुख्यालय को भेजेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा।

4– पुलिस विभाग के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

(क) सामान्य प्रकिया

मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितो के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबन्ध में कार्यवाही संबंधित जनपद/इकाई, आरक्षी पीएसी के संबंध में संबंधित पीएसी वाहिनी, फायरमैन के संबंध में संबन्धित जनपद/फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा प्रारभ की जाएगी। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वही होंगी जो संबन्धित पद पर सीधी भर्ती हेतु तत्समय प्रचलित संबंधित सेवा नियमावली के प्रावधानों में होंगी किन्तु

शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी। संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैक लिस्ट के अनुसार सेवायोजन करए जाने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी। चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थि मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सूचनाएं पुलिस मुख्यालय/पीएसी मुख्यालय/फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी। पुलिस विभाग की अजनपदीय शाखा जहां आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, जैसे– सीबीसीआईडी, अभिसूचना, रेलवे, सतर्कता इत्यादि तो इन अजनपदीय शाखाओं द्वारा आरक्षी के पद पर सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा जहां से इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संबंधित मुख्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों की सूची संकलित कर आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को भेजी जाएंगी जो इनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करायेगा।

(ख) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, संबंधित पद हेतु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में उल्लिखित सीधी भर्ती क अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यार्थियों की उस पद हेतु घोषित की जाने वाले अन्तिम चयन सूची होगी।

बोर्ड सभी चयन सूचीयां प्रत्येक पद की अलग–अलग पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को भेजेगा जो इसे संबंधित मुख्यालय को नियुक्त हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित करेंगें। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यार्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा।

5– पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी पदोंपर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

मृतक आश्रित के चतुर्थ श्रेणी पद पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम आयु, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं तत्समय उत्तर प्रदेश पुलिस समूह "घ"कर्मचारी सेवा नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगी।

जनपदीय पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के सेवायोजन की कार्यवाही संबंधी जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। यदि जनपद में रिक्तियां उपलब्ध न हों तो आश्रितों के सेवा योजन का प्रस्ताव संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भेजा जाएगा जो उसका समायोजन जोर के किसी अन्य जनपद में वर्तमान रिक्तियों के सापेक्ष करांएगे। इसी प्रकार पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों जैसे–पीएसी/सीबीसीआईडी, रेडियो मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, रेलवे इत्यादि द्वारा चतुर्थ श्रेणी पदों पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही उनके स्तर से ही की जाएगी। यदि किसी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियां उनपलब्ध न हो तो इसका प्रस्ताव इकाई के मुख्यालय को भेजा जाएगा जो अपने स्तर में समयोजन का प्रयास करेंगे।

किन्तु अगर जोन स्तर पर या इकाई मुख्यालय स्तर पर रिक्तियों के सापेक्ष रिक्ति उपलब्ध न हों एवं भर्ती किया जाना सम्भव न हो तो उसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। रिक्तियों की गणना करते समय आगामी सम्भावित रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि संबंधित कार्यालय में वर्तमान में रिक्तयों के सापेक्ष सेवायोजन की कार्यवाही की जाएगी।

6– सामान्य निर्देश

(1) प्रायः यह देखा जा रहा है कि इकाइयों में मृत कर्मियों के आश्रित इकाई में उपलब्ध पद की रिक्ति के समक्ष सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र न देकर अपनी स्वेच्छानुसार इच्छित पद पर सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं। सेवा हेतु उपयुक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिक्तियों के दृष्टिगत बौर सम्बन्धित इकाई में ही ऐसा सेवायोजन यथासम्भव नियमानुसार किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित को अधिकार नहीं है कि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिये दावा कर सके। यदि मृतक आश्रित पद विशेष पर नियुक्ति का अनुरोध या दावा करता भी है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध/दावे को मानने के लिये बाध्य नहीं है। उसे नियमावली में प्राविधानों के विहित शर्तों को पूरा करने पर उपयुक्त पद पर सेवायोजन प्रदान करने का निर्णय ले लेना चाहिये। यदि आश्रित द्वारा नियुक्ति का आफर नहीं स्वीकार किया जाता है तो नियमों में आगे कोई बाध्यता नहीं रह जाती है।

अतः पी०ए०सी० के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियमतः पी०ए०सी० में विद्यमान पद प्लाटून कमाण्डर/आरक्षी के पद पर, फायर सर्विस में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को फायर सर्विस विभाग के फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद पर तथा रेडियों विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियमतः प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (याँत्रिक) , कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर नियमानुसार सेवायोजन कराया जाए, एवं शेष कर्मियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाए, किन्तु अगर प्रकरण सर्विस में महिला फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद नहीं हे अतः ऐसी स्थिति में मृत कर्मी की महिला आश्रित को उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर सेवायोजन दिये जाने हेतु उसका प्रस्ताव सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी भी पद पर भर्ती

हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जायेगा। अगर वह इस अवसर में सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे उस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु अयोग्य माना जायेगा एवं इसके उपरांत उसे केवल इस पद से निम्न श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के रू‍प में सेवायोजन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में रूप में सेवायोजन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र, उस पद की प्रक्रिया की समाप्ति जिसमें वह असफल घोषित हुआ है, के 02 माह के अन्दर अवश्य भेजा जाएगा। अगर वह कोई आवेदन नहीं देता है तो प्रथम पत्र के 2 माह के बाद एक दूसरा पत्र भी उसे संबंधित कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। यदि वह दूसरे पत्र के 03 माह के अन्दर किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा ि कवह पुलिस विभाग में किसी पद पर सेवयोजन पाने का इच्छुक नहीं है।

(3) भर्ती बोर्ड चाहे तो मृतक आश्रित भर्ती के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु, जिसमें लिखित परीक्षा कराई जानी हो, तो वह विभिन्न पदों के लिए एक साथ एक ही अथवा अलग–अलग लिखित परीक्षा करवा सकता है। अगर एक से अधिक पदो ंके लिए एक साथ एक ही लिखित परीक्षा कराई जाती है तो अलग–अलग पदों की अंको के आधार पर श्रेष्ठतता सूची अलग–अगल बनाई जाएगी।

(4) मृतक आश्रित भर्ती के ऐसे समस्त प्रकरण जिनके सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड से कार्यवाही करायी जानी है, उनके समस्त अभिलेख सम्बन्धित मुख्यालय पर पदवार संकलित कर रखे जायेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अभिलेख नियमानुसार पूर्ण है। इन प्रकरणों को अलग–अलग पुलिस मुख्यालय अथवा भर्ती बोर्ड नहीं भेजा जायेगा, बल्कि सम्बन्धित मुख्यालय पर संकलित कर रखा जायेगा एवं मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद की भर्ती हेतु उस पद के सभी प्रकरणों की संकलित सूचना पुलिस मुख्यालय द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समकक्ष पदों की भर्ती के समस्त प्रकरण सभी मुख्यालयों से एक साथ भर्ती बोर्ड को प्रेषित किये जा सकें।

7– मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रस्ताव तैयार कना तथा अभिलेखीकरण व सत्यापन

(1) मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर पुलिस प्रभारी अपने हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मुहर लगाकर दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। मृतक आश्रित का प्रार्थना पत्र किसी भी हालत में कार्यालय के किसी सहायक अथवा प्रधान लिपिक द्वारा नहीं किया जायेगा। आश्रित द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के प्रारूप संलग्न हैं।

(2) पुलिस मुख्यालय द्वारा लिपिक संवर्ग की पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही कराने के उपरान्त सफल मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व में की जा रही थी। विगत में पुलिस विभाग में लिपिक संवर्ग में नियतन के सापेक्ष कर्मी नियुक्त हो जाने के कारण मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्याः2046/छः–पु0–1–06–650(59)02,दिनांकः08.05.2006 द्वारा पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है, जो वर्तमान में लागू हैं।

(3) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में मृतक आश्रित द्वारा माँगे गये पद हेतु नियुक्ति प्राधिकरी के कार्यालय द्वारा विस्तृत नोट शीट पत्राली पर तैयार की जायेगी जिस पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक सहित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी हस्ताक्षर बनायेगें। नोटशीट का प्रारूप संलग्न है।

(4) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन सम्बधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण–पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारीयों के माध्यम से करया जायेगा। सभी सत्यापन आख्यायें प्रस्ताव के साथ मूलरू‍प में संलग्न की जायेंगी जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई की पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

(5) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थायी निवास (यदि कोई हो) क`पते पर राजपत्रित

अधिकारी से जाँच कराई जायेगी। जॉच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(6) मृत पुलिस कर्मी को सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पंत्र संः18/ए–मृ0आ0सेवा0(निर्देश)–2014 दिनांक 24–09–2015 के अनुसारृ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन पाने का हकदार है अथवा नहीं।

(7) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व पदनाम की मुहर के साथ अंकित किया जायेगा।

(8) मृतक आश्रित के सेवायोजना का प्रस्ताव इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी (जो किसी भी परिस्थिति में निरीक्षक स्तर से कम का नही होगा), लेकर सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में जाकर दाखिल करायेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी ले जायेंगे कि उन्हे सेवायोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राधिकारी पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर, सम्बन्धित इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य ले जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे। प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी प्रस्ताव का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(9) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

(10) मृतक आश्रिता का जो प्रस्ताव सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी से सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखी जायेगी जिसे कभी नष्ट नही किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।

(11) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर कार्यालय प्रमुख का नाम व पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संज्ञान में नही लिया जायेगा।

(12) जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अजनपदीय इकाईयों के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जनपद/इकाई के निरीक्षण के समय मृतक आ़श्रितों के सेवायोजना से सम्बन्धित वरीयता रजिस्टर एवं स्थायी रजिस्टर तथा सेवायोजन से सम्बन्धित अभिलेखों को भी गम्भीरता से चेक किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रितों के प्रार्थना पत्र के विवरण की प्रविष्ट एक मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर बनाकर की जायेगी जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय द्वारा अंकित की जायेगी तथा हस्ताक्षर/नाम व पदनाम की मुहर अंकित की जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि वही माना

जायेगी जिस दिनांक को सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी द्वारा मृतक आश्रित के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर के दिन अंकित किया गया है। रजिस्टर में मृतक आश्रितों का विवरण अंकित करते समय क्रमांक के कालम में कोई गैप न रहे। अधिकारी इसे समय–समय पर चेक करते होंगे। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगाः–

मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर का प्रारूप

क्र0सं0	आश्रित का नाम	मृतक कर्मी का नाम	मृतक कर्मी का पद	प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	प्रार्थना पत्र पद पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर का दिनांक
1	2	3	4	5	6

(14) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किये जाने हेतु एक मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टार का भी रख –रखाव कार्यालय द्वारा किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत् होगाः–

मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का प्रारूप

क्र0सं0	स्व0 पुलिसकर्मी का पी0एन0ओ0 नम्बर	स्व0 पुलिसकर्मी का नाम व पद	मृतक आश्रित का नाम	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु का दिनांक	सेवायोजन हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	आवेदित पद	पता स्थायी/अस्थायी दूरभाषा नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर की प्रकिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

प्रार्थना पत्र 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त होने ही आश्रित जिस पद के लिये अर्हता रखता है और वहां रिक्ति उपलब्ध है तो उसे अतिशीघ्र (15 दिन के अन्दर) मृतक के स्थायी पते एवं मृतक आश्रित श्रद्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से उस पद के लिये औपचारिक ऑफर देकर सभी वांछित प्रपत्र प्रदान किये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित को सेवायोजन हेतु विभाग द्वारा अवसर दिया गया है प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रखें अन्यथा विभाग द्वारा आफर नही दिये जाने पर अभ्यर्थी अपनी नई शिक्षा प्राप्त न कर नये पद पर दावा करने लगते है और अनावश्यक विवाद पैदा होते है। प्रत्येक दशा में प्राप्त प्रस्ताव एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय। अन्यथा सम्बन्धित लिपिक के विरूद्ध प्रतिकूल मन्तव्य बनाते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किन्ही अन्य कारणों से विलम्ब हो रहा है तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा। जनपद/इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आश्रित से आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्य उनकी आयु कर्मी पर निर्भरता तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर सदस्यों के

किसी अन्य श्रोत से आय के साथ कुटुम्ब के सदस्यों की अचल सम्पत्ति एवं उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए इस विषय में स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए सेवायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर विचार किया जाये यदि सेवायोजन जनपद/इकाई स्तर से दिया जाना है तो अधिकतम 6 माह में सेवायोजन प्रदान कर दिया जाय। अन्य दशा में एक माह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कराकर संबंधित को प्रेषित किया जाय ताकि 6 माह में आश्रित के सेवायोजन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा सके।

सेवायोजन हेतु मृतक आश्रित के सेवायोजन के पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि मृतक आश्रित द्वारा मृत कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष अन्दर प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा मांगे गये पद हेतु सभी प्रकार से अर्ह है एवं उस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु एवं शैक्षिक अर्हता मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया हो । यदि मृतक आश्रित द्वारा मांगे गये पद हेतु सम्पूर्ण अर्हतायें मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर के पूर्ण करता है। तथा उस पद पर रिक्ति है, तो उसके सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उस कार्यालय का प्रधान उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके ही प्रस्ताव तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही का वितरण

पुलिस विभाग के मृत कर्मी की मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु जनपद/इकाई के प्रभारी 37 बिन्दुओं का प्रस्ताव तैयार करायेंगे। चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् हैः–

1	मृत सरकारी सेवक नाम	.....
2	मृत सरकारी सेवक पदनाम	.....
3	मृत सरकारी सेवक का मृत्यु पुर्व नियुक्ति सीान/कार्यालय का नाम	.....
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	..... परिशिष्ट.....
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	.....
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई /अस्थाई/आकस्मिक)	.....
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि (मृत्यु का प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	.....
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	.....
9	मृत सरकारी सेवक मृत्यु के समय ड्यूटी पर था अथवा अवकाश पर	.....
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम.....आयु नाम.....आयु नाम.....आयु

11	मृत सरकारी सेवक के एक से अधिक पत्नियां हो तो पत्नियों के नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार)	नाम.....आयु नाम.....आयु
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनों का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा सम्मिलित हो, से सम्बन्धित शपथ पत्र (प्रारूप क)	परिशिष्ट.....
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों के वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट.....
14	इस आशय का प्रमाण पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है। पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दों संलग्न किया जाय)	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट..... पेंशन भाग दो की प्रमाणित सूची, परिशिष्ट.....
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ पत्र सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में (प्रारूप ख)	परिशिष्ट.....परिशिष्ट..... परिशिष्ट.....परिशिष्ट.....
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	.... परिशिष्ट.....
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सेवायोजना की मांग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें।	....
18	इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है यथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	.....
19	ठस आशय का प्रमाण पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ प्रदान नही किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप घ)	..... परिशिष्ट.....
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते पर संबंधित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जांच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण पत्र	परिशिष्ट..... अनुलग्नक– अनुलग्नक– अनुलग्नक–
21	मृतक आश्रित नाम	.....
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दों में।	....
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	.....
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथपत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है। (प्रारूप ग)	परिशिष्ट.....
25	मृत आश्रित का प्रार्थनापत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित	प्रार्थनापत्र

	पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाणपत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	परिशिष्ट.....परिशिष्ट..... परिशिष्ट.....परिशिष्ट.....
26	शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अंको तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या	मा0शि0बोर्ड.–परिशिष्ट..... विश्वविद्यालय– परिशिष्ट.... जि0वि0नि0– परिशिष्ट....
27	मृतक आश्रित अभ्यर्थी की सम्बन्धित पद विषयक प्रचलित नियमावली के अनुसार यदि कोई अधिमानी अर्हता हो तो उसका उल्लेख किया गया।	1..... 2..... 3.....
28	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी।	स्थाई पते पर– परिशिष्ट.... अस्थाई पते पर– परिशिष्ट. अभि0मुख्यालय– परिशिष्ट.
29	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो	1. राजपत्रित अधिकारी का नाम.. ..... परिशिष्ट..... 2. राजपत्रित अधिकारी का नाम.. ..... परिशिष्ट.....
30	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नम.....आयु
31	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय किः– 1. यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है? 2. यदि पूर्व में सेवारत रहा हो? 3. यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो ? 4. यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो ?	.....परिशिष्ट....
32	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा।	1.प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी का नाम..... ..... परिशिष्ट.....
33	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
34	मृतक आश्रित का शारीरिक नाम जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक की समिति द्वारा जांचा गया हो एवं संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो)	<table><tr><td>उॅचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना बिना फुलाये</td></tr></table>
35	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करे, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नियम–10 के अर्न्तगत प्रदत्त किया गया प्रमाण पत्र	.....
36	इस आशय का प्रमाण पत्र को पुलि स कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये '' मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर'' में अंकित कर दिया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र (प्रारूप च)	स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या..... क्रम संख्या..... प्रमाण पत्र परिशिष्ट.....
37	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त क्रम सं0 01 से लेकर क्रम	.....

	सं0 35 तक अंकित सभी प्रविष्टियों को मेरे द्वारा भली भांति जांच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मांगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है (अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुए संस्तुति की जायेगी)	

कार्यालय प्रमुख का नाम

पदनाम

जनपद/इकाई का नाम

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मृतक आश्रित से सम्बन्धित सूचना मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में अंकन कराया जायेगा। मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर में मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर खोले जाने का अंकन होगा। मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एंव मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में प्रत्येक मृतक आश्रित की पत्रावली खोले जाने का अंकन होगा।

9–मृत्यु के 05 वर्ष के उपरान्त की प्रकिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 के उपरान्त प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही।

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्व0 कर्मी की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के पश्चात विलम्ब से दिये गये आवेदन पत्र में विलम्ब का औचित्य पूर्ण कारण सहित प्रमाण पत्र आश्रित द्वारा दिये जाने पर शासन के पत्र सं01230/6–पु–10–2014–1200 (78)/2015, दिनांकः01.07.2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0 18/ए–6रिट(मेरठ)/2015 दिनांकः23.07.2015 के अनुसार मृतक कर्मी के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अनुमन्य 05 वर्ष की निर्धारित समय–सीमा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरण जो वर्ष 05 की निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त के हों, का गम्भीरता से परीक्षण करते हुए विलम्ब से दिये गये आवेदन के औचित्यपूर्ण कारणों एवं मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए पूर्ण प्रस्ताव 23 बिन्दुओं में वांछित सूचनाओं सहित 05 वर्ष की समय–सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन के विचारार्थ भेजे जाने हेतु पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। समय सीमा में छूट हेतु 23बिन्दुओं की चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् हैः–

1	मृतक कर्मचारी का नाम	.....
2	मृतक कर्मचारी का नाम	.....
3	मृत्यु के समय तैनाती का विवरण	.....
4	मृत्यु के समय कर्मचारी का आयु	वर्ष.....माह.....दिन.....
5	मृत्यु का कारण, पूर्ण विवरण एवं संस्तुति सहित/मृतक कर्मचारी अवकाश पर था अथवा ड्यटी पर? मृत्यु प्रमाण पत्र सहित	.....
6	क्या मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई?	....
7	क्या मृत्यु के समय कर्मचारी की पत्नी/पति किसी	.....

	सेवायोजन में थे ? यदि हां तो उसका विवरण	.....
8	कर्मचारी के आश्रितों का नाम/सम्बन्ध	.....
9	परिवार के अन्य आय के श्रोत/व्यवसाय/उपलब्ध भूमि का विवरण	....
10	कर्मचारी के आश्रितों को प्राप्त होने वाली पेंशन का विवरण (साधारण/असाधारण)	....
11	समस्त श्रोतों से परिवार की मासिक आय का विवरण	....
12	सेवायोजन हेतु आवेदक आश्रित का नाम व मृतक से सम्बन्ध	....
13	सेवायोजन हेतु आवेदित पद का नाम	.....
14	यदि कर्मचारी की पत्नी/पति को सेवायोजित नही किया गया तो उसका विवरण	....
15	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन न प्रस्तुत करने का कारण, पूर्ण औचित्य सहित	....
16	परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि परिवार के निर्वाह हेतु अभी भी शासकीय अनुकम्पा की आवश्यकता है ?	....
17	अब तक परिवार के निर्वाह की क्या व्यवस्था थी ?	....
18	समय–सीमा में छूट हेतु विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति पूर्ण औचित्य सहित	
19	मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु सब प्रकार से अर्ह होने के उपरान्त प्रथम बार प्रार्थना पत्र देने की तिथि	....
20	स्व0 कर्मचारी की जन्मतिथि स्व0 कर्मचारी की भर्ती की तिथि स्व0 कर्मचारी की मृत्यु की तिथि (स्व0 कर्मचारी की चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जाय)	....
21	स्वायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों जैसे मृत्यु के समय से अब तक परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार प्रकार, की कृषि पर निर्भरता तथा मृतक आश्रित पर आने वाले दायित्वों एवं सभी श्रोतों से प्राप्त परिवार की आय (इनकम) आदि का भी संज्ञान लेते हुए सेवायोजन के प्रत्यावेदन में विचार किया जाना चाहिए।	....
22	यह भी देखा जाय कि मृतक आश्रित द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण क्या रहा है ? क्या यह औचित्यपूर्ण	....
23	प्रकरण का परीक्षण करते हुए इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाय कि पारिवारिक दायित्वों के मद्देनजर कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक	....

	स्थिति क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने के दिनांक तक तंग/कमजोर बनी हुई थी ?	

कार्यालय प्रमुख का नाम

पदनाम

जनपद/इकाई का नाम

10–मृतक आश्रितों को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्वः–

पुलिस मुख्यालय द्वारा ''बारकोड'' युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी ''बारकोड़'' एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूलरूप से प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा चरित्र सत्यापन इत्यादि कराने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, दो प्रतियों में लेगे, जिससे स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ पत्र की एक प्रति आश्रित की सेवायोजन पत्रावली पर रखी जायेगी। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

जनपदीय/अजनपदीय शाखाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में वे है, से नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेंगे।

मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे ''फुलस्कोप पेपर'' पर निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा प्रारूप संलग्न है।

11. मृतक आश्रित को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह परिपत्र कार्यालय की गार्ड फाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।

12. उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों को वहां तक अतिक्रमिकक समझा जाये, जहां तक इस परिपत्र से विरोधाभाषी हो।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि विशेष सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–10 उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अधक्ष्य उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. अपर पुलिस महानिदेश, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. समस्त विशेष कार्याधिकारी पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
7. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–20, पुलिस मुख्यलाय, इलाहाबाद को पांच प्रतियों में गजट कराने एवं गार्ड फाइल पर रखने हेतु।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
9. समस्त गोपनीय सहायक, मुख्यालय, इलाहाबाद।

परिशिष्ट–1

मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र का पारूप

(सेवायोजन हेतु नामित आश्रित द्वारा)

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,

.....परिक्षेत्र।

द्वारा– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,

जनपद/इकाई.....

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,

जनपद/इकाई.....

(यदि आश्रित कान्स0 ना0पु0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो)

विषयः– स्व0..................................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन..................को........................ के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति स्व0................................जो जनपद/इकाई..............में................. .....के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांक..........................को.........................(मृत्यु का कारण)................के कारण हो गयी है।

2. अतः महोदय से निवदेन है कि मेरे पुत्र/पुत्री..................जिसकी शैक्षिक योग्यता..................है, एवं शारीरिक अर्हता ऊँचाई..............सें.मी. सीने की माप बिना फुलाये.........................है, एवं शारीरिक अर्हता ऊँचाई..............से.मी. सीने की माप बिना फुलाये...............................से.मी. फुलाने पर....................से.मी. है, को उ0नि0ना0पु0 एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, कान्स0 चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्यों का ब्यौरा प्रमाण पत्रों के साथ निम्नवत् हैः–

क0सं0	कुटुम्ब के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्मतिथि के आधार पर आयु	वैवाहिक स्थिति	अचल सम्पत्ति का विवरण	सदस्य का व्यवसाय	कुटुम्ब के सदस्यों की मासिक आय (रूपये में)		
							कृषि से	पेंशन से	अन्य श्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
कुटुम्ब की मासिक आय विभिन्न श्रोतों से (रूप्ये में)									
कुटुम्ब की वार्षिक आय (रूप्यों में) मासिक आय का 12 गुना									
कुटुम्ब की विभिन्न आयों का योग कुल वार्षिक आय									

नोटः–

1. आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पद से सम्बोधित किया जायेगा, यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0 (एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को प्रार्थना पत्र सम्बोधित करेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेग, जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था यदि आश्रित कान्स0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो उस कार्यालय कें प्रधान जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था को आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।
2. स्व0 कर्मी की मृत्यु से 05 वर्ष के उपरान्त दिये गये आवेदन पत्र पर विलम्ब के कारण और उसके समर्थन में न्यायोचित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आश्रित की होगी।
<u>वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय।</u>

कृप्या जनपद/इकाई.....के.....के पद पर नियुक्त रहे स्व0.....
.....के आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री.....
को पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में..... के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक क्रमांक– ( ) पर रखे प्रस्ताव का अवलोकन करें।

2. प्रश्नगत मामले में अवगत कराना है कि स्व0.....की दिनांक.....को मृत्यु हुई है। इनके आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री.....को पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में.....के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसका पात्रता/अर्हता का विवरण निम्नवत् अंकित हैः–

1. आश्रित का नाम .....
2. मृतक कर्मी का नाम .....
3. गृह जनपद/अस्थायी जनपद .....
4. मृतक के समय मृत कर्मी की नियुक्ति का स्थान .....
5. मृतक कर्मी की भर्ती की तिथि .....
6. मृतक कर्मी की मृत्यु की तिथि .....
7. मृतक आश्रित की शिक्षा .....
8. मृतक आश्रित की जाति/उपजाति .....
9. मृतक आश्रित की जन्मतिथि .....
10. मृतक आश्रित का मृतक कर्मी के संबंध .....
11. ऊँचाई .....
12. सीने की माप बिना फुलाये .....
13. सीने की माप फुलाने पर .....
14. प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त नाप जोख का प्रमाण पत्र का क्रमांक .....
15. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र का क्रमांक.....
16. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र का क्रमांक .....
17. आश्रित के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र का क्रमांक .....
18. शैक्षिक प्रमाण पत्र की सत्यापन आख्या का क्रमांक .....
19. आश्रित के सम्बन्ध में उसके गृह जनपद/अस्थायी जनपद/अधिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिया गया चरित्र एवं आचरण की सत्यापन रिपोर्ट का क्रमांक .....
20. गृह जनपद/अस्थायी जनपद से करायी गयी क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या का क्रमांक.....
.....
21. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया शपथ पत्र का क्रमांक–.....
22. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया प्रथम प्रार्थना पत्र का क्रमांक.....
23. स्व0 कर्मी के पति/पत्नी/अन्य सदस्यों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि वह किसे सेवायोजन का लाभ दिलाना चाहतें है, का क्रमांक .....
24. स्व0 कर्मी के पारिवारिक सदस्यों की प्रमाणित सूची का क्रमांक .....

25. स्व0 कर्मी के किसी भी मृतक आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है और सेवायोजन का प्रथम प्रकरण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ''घ'' का क्रमांक .....
....

26. स्व0 कर्मी के मृतक आश्रित के रूप में भेजा गया सेवायोजन का प्रस्ताव सत्य होने व उसका जनपद में रखे गये स्थायी रजिस्टर में अंकन होने का प्रमाण पत्र ''च'' का क्रमांक

27. पेपीओ निर्गत हुआ है अथवा नही यदि हां तो क्रमांक .....

28. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सेवायोजन प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन के प्रमाण पत्र का क्रमांक .....

29. पेंशन अनुभाग की आख्या का क्रमांक .....

30. चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति का क्रमांक .....

3. गृह जनपद/अस्थायी जनपद के पुलिस उपाधीक्षक से कराई गयी जांच आख्या दिनांकित..... .....तथा आश्रित द्वारा दिये गये शपथ पत्र से यह विदित होता है कि आश्रित..... ..... स्व0 पुलिस कर्मी के आश्रित की श्रेणी में आता है तथा इस मृत पुलिस कर्मी के किसी आश्रित को अब तक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान नही किया गया है।

4. उक्त मृतक आश्रित श्री.....पुत्र स्व0.....की हाईस्कूल इण्टर/स्नातक की शिक्षा का सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय से करा लिया गया है उनकी प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त मृतक आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें उनके कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार ही जारी की गयी है।

5. शासन ने शासनादेश संख्या 146/छः–पु0–10–2008–1200(173)/2007 दिनांक 24.01.2008 द्वारा पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में आश्रितों की चयन प्रक्रिया को फूलप्रुफ बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 18/ए–1(5)/2008 दिनांक 24.02.2008 निर्गत कर दिया गया है।

6. कृप्या रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवीनश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फर्जी मृतक आश्रितों के प्रकरणों कों संज्ञान में लेकर अपने आदेश दिनांक 21.04.2006 में निम्न 04 बिन्दुओं पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन प्रकरणों की जांच के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के दृष्टिगत जनपद.....से स्व0 .....के आश्रित.....के प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों से निम्नवत् परीक्षण किया गया।

क्र.सं0	विवरण	निष्कर्ष	पुष्टि के समर्थन में अभिलेख
1	आश्रित के माता/पिता पति पुलिस विभाग में नियुक्त रहें अथवा नही?	1– विभाग चार (पेंशन) अनुभाग की आख्या दिनांक..... .....के अनुसार स्व0 कर्मी की मृत्यु दिनांक..... को जनपद/इकाई..... .....में हुई है।	1– अनुभाग चार की की आख्या दिनांक..... पत्रावली का (क्रमांक) 2– कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है इसकी पेंशन जिला से निर्गत की गयी है पेंशन भुगतानादेश जनपद..... की आख्या दिनांक.....

			. पत्रावली का (क्रमांक)
2	मृतक आश्रित के माता/पिता/पति जीवित हैं, अथवा नही?	1–स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र 2–क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौति सत्यापन का प्रमाण पत्र 3–पेंशन अनुभाग की आख्या	1–स्व.कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली का क्रमांक..... 2– भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र पत्रावली का क्रमांक..... 3–पेंशन अनुभाग चार की आख्या पत्रावली का क्रमांक .....
3	मृतक कर्मी के एक से अधिक आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिया गया है अथवा नही?	1–जनपद से राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक.....से पुष्टि है। 2–शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक .....द्वारा कराया गया है।	1– क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र पत्रावली का क्रमांक..... 2–वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र घ पत्रावली का क्रमांक..... 3–क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या पत्रावली का क्रमांक..... 4–चरित्र पंजिका प्रथम पृष्ठ.....
4	मृतक आश्रित द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण पत्र सही है अथवा नही?	1– जनपद से राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/भौतिक सत्यपान प्रमाण पत्र दिनांक..... से पुष्टि है । 2– शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक..... द्वारा कराया गया है।	1. क्षेत्राधिकार द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र पत्रावली का क्रमांक..... 2– माध्यमिक शिक्षा परिषद की सत्यापन आख्या पत्रावली का क्रमांक ..... (ख)विश्वविद्यालय की सत्यापन आख्या पत्रावली का क्रमांक..... (ग)जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सत्यापन आख्या पत्रावली का क्रमांक.....

7– उपर्युक्तानुसार प्रकरण के परीक्षण से तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार कर पाया गया है कि स्व.....की मृत्यु जनपद.....में .....के पद पर नियुक्त के दौरान दिनांक.....को हुई तथा इसी जनपद के क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय श्री.....

द्वारा सेवायोजन का भौतिक सत्यापन दिनांक.....को किया गया है।

8– मृतक आश्रित श्री/कु0/श्रीमती.....द्वारा सेवायोजन हेतु प्रथम बार दिनांक..... .....को प्रर्थाना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह प्रकरण 05 वर्ष की समय सीमा के अर्न्तगत है।

9– यदि मान्य हो तो स्व0.....के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी.....के पद पर रिक्त पदो के सापेक्ष सेवायोजित किये जाने हेतु अनुमोदित करें ताकि आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश नियुक्ति आदेश निर्गत किया जा सके तथा निर्गत किया जा सके तथा निर्गत आदेश की एक प्रति प्रतिसार निरीक्षक को उपलब्ध कराकर हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने हेतु निर्देशित कर दिया जाय।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकई..... के पत्र सं0..... .....दिनांक.....के माध्यम से प्रेषित स्व0.....जिनकी मृत्यु दिनांक.....को सेवाकाल में हुई है, के आश्रित श्री..... .....को .....के पद पर सेवायोजना सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नकों सहित जनपद/इकाई.....से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है। यह प्रकरण फर्जी नही है एवं मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्रो की सत्यता की पुष्टि क्रमशः जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा बोर्ड़/विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित के सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है।

हस्ताक्षर :–
नामः–
पदनामः–
कार्यालय का नामः–
(राजपत्रित अधिकारी का नाम/पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण–पत्र आज दिनांक.....को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक स्थापना

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

प्रारूप 'क'

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी,पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

1. यह कि बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम.....पुत्र/पुत्री/ पत्नी स्व0..... .....निवासी–ग्राम–.....पो0.....थाना..... जनपद.....का/की निवासी/निवासिनी हूँ।
2. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे पति/पिता/पत्नी स्व0.....पुलिस विभाग में (पद के नाम का उल्लेख करें) पद पर जनपद.....में थाना.....या कार्यालय में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक.....को..... (बीमारी /मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी हो अंकित करें) हो चुकी है।
3. यह कि मेरे पति/पत्नी/पिता स्व0.....के कुटुम्ब में निम्नलिखित वयस्क/अवयस्क सदस्य हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैं।

क्र0 सं0	नाम	आयु	शिक्षा	व्यवस्या	विवाहित/अविवाहित	स्व0 कर्मी से सम्बन्ध

4. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल सनद के अनुसार जो भी हो) अंकित करें.....हैं। समस्त श्रोतों से प्राप्त की गयी मेरी पति/पत्नी का नाम.....है।
5. यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी/पिता के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई/(नाम) श्री/ कुमारी..... को पुलिस विभाग में पद.. .....सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है।
6. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करजी हूँ कि (मृतक आश्रित का नाम) श्रीमती/ श्री/कुमारी..... .....स्व0 के वारिस हैं।
7. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मृतक स्व0..... के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है।
8. यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है। यदि असत्य पाया गया हो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।
9. यह कि उपरोक्त बयानहलफी की धारा –1 से 8 तक मेरे नीजि ज्ञान से सब सत्य है। कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मद्द करें।

शपथी/शपथिनी के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ख'

मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों द्वारा दिये जाने शपथ पत्र/सहमति पत्र जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हों, का प्रारूप

1. यह कि मैं शपथी/शपथिनी बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....निवासी–ग्राम–.....पो0.....थाना..... जनपद..... का/की निवासी/निवासिनी हूँ और शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ।
2. यह कि शपथी/शपथिनी जन्म भारतीय नागरिक है।
3. यह कि शपथी/शपथिनी के कुटुम्ब में निम्नलिखित सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई (नाम).....को विभाग के पद.....पर सेवायोजन कराना चाहते हैं।
4. यह कि शपथी/शपथिनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है।
5. यह कि शपथी/शपथिनी सहित परिवार के किसी भी सदस्य को श्री/श्रीमती/कुमारी..... को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इनकी शैक्षिक योग्यता.....है।
6. यह कि प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा–1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है ईश्वर मेरी मद्द करे।

शपथी/शपथिनी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट ''घ''

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिसक विभाग के कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में कभी भी सेवायोजित नही किया गया है।

यह मृतक स्व0.....के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी पद..... पर सेवायोजित किये जाने का प्रथम प्रकरण है। यह प्रकरण सत्य है। मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है।

(नाम एवं हस्ताक्षर)

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय

प्रधान के हस्ताक्षर तथा नाम की मुहर लगाई जाय।

प्रारूप (ग)

आवेदक का शपथ पत्र

समक्ष,

पुलिस उपमहानिरीक्षक सीापना,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

मै.....उम्र लगभग.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....थाना..... जनपद.....अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ–

1. यह कि मैं स0.....का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित विधवा पुत्री हूँ। जो मृत्यु से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस में.....पद पर स्थान.....पर कार्यरत थे।

2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में पद.....पर नियुक्ति हेतु जिल/इकाई..... .....से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ। इस पद हेतु यति मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नही पाया जाता है तो मैं अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ।

3. यह कि शपथी के विरूद्ध कोई मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में अभी तक पंजीकृत नही हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना (इन्वेस्टिगेशन)/मामला न्यायलय में लम्बित है।

4. यह कि शपथी किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी/संगठन का कभी सदस्य नही रहा हूँ।

5. यह कि शपथी कभी अपराधिक मामले में गिरफ्तार नही किया गया है।

6. यह कि शपथी को कभी किसी अपराधिक मामले में पुलिस द्वारा चालान नही किया गया है।

7. यह कि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय तथा किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी निरस्त कर दी जाये तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाये।

8. यह कि शपथी आवेदन पत्र भरने के 10 वर्ष तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नही लिया है।

9. यह कि शपथी के विरूद्ध जो अपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं या जिससे शपथी चालान किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है, उनका विवरण निम्नवत् हैः–

(यदि कोई हो तो विवरण अंकित करें अथवा नही तो सूचना शून्य अंकित की जाय)

.....

.....

.....

10. यह कि शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जाये तथा विधिक दण्ड़ दिया जाये।

11. मै.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नही किया गया हूँ।

12. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वीमित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नही हूँ।

13. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को जिसमें मैं भी शामिल हूँ पुलिस विभाग में कभी सेवायोजित नही किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं.....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... .....में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। शपथ पत्र के प्रस्तर..... ..में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास में सत्य उल्लिखित प्रस्तर.....के तथ्य विधिक सलाह पर आधारित है। और जिन्हें मैं विश्वास करता/करती हूँ कि वे भी सत्य है। इसका कोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नही है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नही गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी/शपथकर्ता का निशान अंगूठा

आज दिनांक.....को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला..... प्रांगण मे अभिसाक्ष्य द्वारा सत्यापित किया गया।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

पुलिस विभाग में कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में भर्ती के अधीन जनपद/इकाई..... .....स्व0.....के आश्रित श्री .....को मृतक आश्रित के रूप में.....के पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाम जोख का विवरण निम्नवत् हैः–

लम्बाई.....से0मी0

सीने की माप (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

सीना बिना फुलाये.....से0मी0

सीना फुलाने पर.....से0मी0

वजन (महिला अम्यर्थियों के लिये)

वजन..... कि0ग्राम

प्रतिसार निरीक्षक के हस्ताक्षर पुलिस उपाधीक्षक के हस्ताक्षर अपर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम..... नाम..... नाम.....

(पदनाम की मुहर) (पदनाम की मुहर) (पदनाम की मुहर)

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/पदनाम की मुहर)

परिशिष्ट 'च'

प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम 01 से 37 तक अंकित सम्पूर्ण सूचनाओं का मेरे द्वारा भलीभांति परीक्षण कर लिया गया है अंकित सूचनायें एवं सलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य हैं। तथा आवेदक मांगे गये पद की योग्यता रखता है व इस प्रकरण का कार्यालय में रखे स्थायी रजिस्टर के क्रमांक.....पर अंकित कर दिया गया है।

दिनांक.....

(नाम एवं हस्ताक्षर)

वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक / सेनानायक / कार्यालय

प्रधान के हस्ताक्षर तथा नाम की मुहर लगाई जाय।

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाला शपथ पत्र)

शपथ पत्र का प्रारूप –2

शपथी का नवीनतम फोटोग्राफ नोटरी द्वारा सत्यापित

नाम.....उम्र.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....निवासी.....थाना.....
.....जनपद.....का शपथ पत्र।

मैं.....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ/करती हूँ:–

1. यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।
2. यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध में नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।
3. यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ नही किया गया है।
4. यह कि शपथ पत्र के प्रस्तर–01 से 03 तक में अंकित कथन सत्य हैं तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपयी नही गया है।

अभिसाक्षी/शपथपूर्वक के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :– (क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 कहलाएगी ।

   2.यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

   (ख) यह 1 अप्रैल 1961 से प्रचलित हुई समझी जायेगी।

2. जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

   (क) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

   (ख) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

   (ग) '' उपलब्धियां का तात्पर्य–

   1. फाइनेन्शियल हैण्ड़बुक, खण्ड़ 2, भाग 2, 4 के फण्डामेंटल रूल 9 (21) यथा परिभाषित वेतन तथा
   2. महंगाई भत्ता से है।

   (घ) ''अभिनिर्णय'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन पेंशन और अनुतोषिक ( ) देने से है;

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
(ड.) ''पुलिस कर्मचारी'' का तात्पर्य पुलिस ऐक्ट, 1961 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस दल के सदस्य और 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 40 सन् 1948 ई0) के सदस्य से है;	(ड.) ''पुलिस कर्मचारी'' का तात्पर्य पुलिस ऐक्ट, 1961 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस दल के सदस्य और 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 40 सन् 1948 ई0) की धारा 3 के अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के सदस्य और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस रूल्स, 1945 के अधीन संगठित अग्निशमन सेवा बल के सदस्य से हैं।

मूल नियम	*दिनांक 07.07.1975 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
3. यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन ऐसे समस्त अराजपत्रित पलिस कर्मचारियों पर लागू होगी चाहे वह स्थायी रूप में सेवायोजित हों अथवा अस्थायी रूप में, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में मारे जाय। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमवाली के अधीन	यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप में सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे या जिनकी मृत्यु हो जाय। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे	यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले उत्तर प्रदेश के सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कार्मिकों पर लागू होगी चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित किये गये हों, जिनकी मृत्यू कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई; (क) डाकुओं/अपरोधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों/आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के

*उ0प्र0 असाधारण पेंशन (प्रथम संसोधन) नियमावली 1975, संख्या 1406–पी/आठ–अनुभाग–6–1000(17)–65दिनांक 07.07.1975 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 असाधारण पेंशन (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, संख्या 1779पी/छः–पु–6–15–1000(32) /2004 दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित

अभिनिर्णय दिया गया है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन आनुतोषिक और न यू0पी0 लेबरलाइज्ड़ पेंशन रूल्स, 1961, अथवा यू0पी0 रिटायरमेंट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कान्सट्रीब्यूरी प्राविडेन्ट पेंशन फंड रूल्स, के अधीन सरकारी अंशदान दिया जाएगा। सरकारी अंशदान दिया जाएगा।	पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमवाली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन आनुतोषिक और न यू0पी0 लेबरलाइज्ड़ पेंशन रूल्स, 1961, अथवा यू0पी0 रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कान्सट्रीब्यूरी प्राविडेन्ट पेंशन फंड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जाएगा।	आक्रमण/लड़ाई के कारण मृत्यु; (ख) आक्रोशित जनता द्वारा आक्रमण के कारण मृत्यु; (ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु; (घ) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़/भूकम्प/भूस्खलन/बर्फीले तूफान आदि अथवा मानवजनित दुर्घटनाओं जैसे रेल दुर्घटनाओं, टैंकर विस्फोट आदि के बचाव एवं राहत कार्यो के दौरान मृत्यु ; (ड.) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने अथवा आग बुझाने में सहायता करने के दौरान मृत्यु ; (च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु ; (छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु ;

4. (1) इस नियमावली के अधीन कोई अभिनिर्णय राज्यपाल की स्वीकृति के बिना नहीं दिया जायेगा।

(2) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई पुलिस कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में मारा जाय अथवा चोट लगने के कारण मर जाय, जिसमें राज्यपाल का यह विचार हो कि अभिनिर्णय नही दिया जाना चाहिए अथवा उनकी धनराशि कम कर दी जानी चाहिये तो कोई अभिनिर्णय जिसके लिये इस नियमावली द्वारा अन्यथा अधिकार प्राप्त हो, रोक लिया जा सकता है अथवा उसकी धनराशि कम की जा सकती है।

मूल नियम	*दिनांक 07.07.1975 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
5. ऐसी मृत्यू के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय नही लिया जायगा जो किसी रोग से अथवा ऐसे कारण से हुई हो, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में चोट लगने से भिन्न हो।	कोई अभिनिर्णय नियम 3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नही दिया जायगा।	नियम 3 के अधीन आच्छादित कारणों से भिन्न किसी अन्य कारणों से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नही दिया जायेगा।

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
6. 1. अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा उसकी मृत्यु हो जाये अथवा वह पुनर्विवाह	कोई अधिनिर्णय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनसार ऐसे पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की विधवा/विधुर/आश्रित को स्वीकृत की जायेगी, जिन

*उ0प्र0 असाधारण पेंशन (प्रथम संसोधन) नियमावली 1975, संख्या 1406–पी/आठ–अनुभाग–6–1000(17)–65दिनांक 07.07.1975 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 असाधारण पेंशन (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, संख्या 1779पी/छः–पु–6–15–1000(32) /2004 दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित

कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूरी पेंशन के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर –बराबर बांट दी जायेगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायेगा जो पेंशन पाने के हकदार हों। **टिप्पणी–** यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाये और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर बांट दी जायेगी।	पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा मृत्यु हो जाय अथवा पुनर्विवाह कर ले तो, ऐसी घटना के हकदार होंगे, जो विधवा/विधुर को अनुमन्य होती और इसे उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार वितरित किया जायेगा। **टिप्पणी :–** यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अधिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

7. यदि मृत पुलिस कर्मचारी की विधवा अथवा बच्चे जीवित न हों तो, अभिनिर्णय की धनराशि जो विधवा को अनुमन्य होती वह उसके (मृत पुलिस कर्मचारी के) पिता या माता अथवा दोनो को, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मृत पुलिस कर्मचारी पर पुर्णतः आश्रित रहें हों पिता और माता के न होने पर अभिनिर्णय की धनराशि दादा (Paternal Grand Father) या दादी (Paternal Grand Mother) अथवा दोनों को जैसी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे मृत पुलिस कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित रहें हों। पिता, दादा और दादी के न होने पर अभिनिर्णय की धनराशि उसके (मृत पुलिस कर्मचारी के) अवयस्क भाई या अविवाहित बहन अथवा दोनों की, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है, इस नियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को पृथक–पृथक स्वीकृत की जाय तो उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
8. (1) पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें। (2) पारिवारिक पेंशन साधारणतया– 1. विधवा या विधवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में, उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो, 2. अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में, 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो। 3. अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा आश्रित अविवाहित बहन की दशामें उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा मृत्यु तक, इसमें	8.(1). पारिवारिक पेंशन पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जैसा राज्यपाल अवधारित करें। 8(2). सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रित की पारिवारिक पेंशन, उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

जो पहले हो, 4. पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी। टिप्पणी – विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह हो जाने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अभित्याग() अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रद्द हो जाय तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण–पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन देना बन्द कर दिया जायगा।	

9. (1) इस नियमावली के अधीन सभी अभिनिर्णय तत्समय प्रचलित साधारण पेंशनों से सम्बन्ध किन्हीं प्रकिया नियमों के अधीन उस सीमा तक होंगे जिस सीमा तक ऐसे प्रकिया नियम लागू हों और इस नियमवाली से असंगत न हों।

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
9. (2) जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिये दावा उत्पन्न हो जाय तो उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेखों के साथ उस दावे को सरकार के पास भेजेगा– (1) उन परिस्थतियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई है	9(2) जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिये दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी सेवायोजित था। उचित माध्यम से, उन परिस्थितियों के पूरे विवरण सहित, जिनके कारण मृत्यु हुई, दावा शासन को अग्रसारित करेगा।
(**उ0प्र0 असाधारण पेंशन (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, संख्या 1779पी/छः–पु–6–15–1000(32) /2004 दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित र अनुमन्य है अथवा नहीं और यदि अनुमन्य है तो कितनी धनराशि का ।	

***__नियम 9 का बढाया जाना__ – (3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट प्रत्येक दावा अनुसूची– 2 में दिये गये प्रपत्र में किया जायगा।''

3.(1) उक्त नियमावली की वर्तमान अनुसूची को अनुसूची 1 कर दिया जाय और उक्त नियमावली के नियम 6 में उसके अभिदेश के स्थान पर अनुसूची 1 अभिदेश रख दिया जाय ।

(3) उक्त नियमावली की अनुसूची 1 के पश्चात निम्नलिखित नयी अनुसूची 2 रख दी जाय;

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
10– राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम 8 (दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने की अनुज्ञा दे सकते हैं।	राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों मृत पुलिस कर्मचारी पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रितों को नियम 8(2) में विहित सीमा से परे अपनी पेंशन प्राप्त करने की निरन्तरता की अनुमति दे सकते हैं।

****नियम 11 का बढाया जाना** – 1. आसाधारण पेंशन के अस्वीकृत किये गये दावों पर पुनर्विचार का अधिकार शासन में निहित होगा। इसके लिए आश्रित को अस्वीकृति की अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर शासन अथवा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासन प्रत्यावेदन पर आवश्यक निर्णय लेगा।

2. किसी भी पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी को असाधारण पेंशन देय नही होगी यदि ड्यूटी ग्रहण करने के लिये उपस्थित होने से पूर्व या उसकी अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, जब कि वह अपने आवास पर हो अथवा जब किसी स्थान के लिए यात्रा कर रहा/रही हों।

3. उत्तर प्रदेश पुलिस (आसाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना के पश्चात असाधारण पेंशन के मामलों को निस्तारित करने से संबंधित सभी शासनादेश यथा शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 1980 और 19 जुलाई, 1978 अप्रभावी हों जायेंगे।

....

....

अनुसूची–.1

**उ0प्र0 असाधारण पेंशन (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, संख्या 1779पी/छः–पु–6–15–1000(32) /2004 दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
विधवा को आनुताषिकः– मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा अंतिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उनलब्धियां।	विधवा/विधुर को उपदानः– मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित की गयी आठ माह के बराबर परिउब्धियां।

मूल नियम	**दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित
विधवा की पेंशन :– मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक ली गयी उपलब्धियों के बराबर, जब वह अधिवार्षिक पेंशन पर सेवा निवृत्त हो जाता तत्पश्चात् पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस कर्मचारी, यदि उसकी	**विधवा/विधुर की पेंशन :–** देय असाधारण पेंशन मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा के कर्मचारी द्वारा आहरित उस दिनांक के पेंशन की परिलब्धियों (मूल वेतन और उस वेनत पर महंगाई भत्ता) के बराबर होगी, जो वह

मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुए होगा (क) मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिक के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता हुए होगा–कोई पदोन्नति नहीं मिली थी। (ख) यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा वह स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की पूर्व धारणा कर ली जाएगी। यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतनक्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय, जिस दिनांक को वह अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिक के समय लेता ।	अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त करता। उसके बाद साधारण पेंशन (पारिवारिक पेंशन नहीं) निम्नलिखित उपधारणाओं के अध्यधीन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत पुलिस कर्मचारी तत्समय पुलिस कर्मचारियों पर लागू साधारण पेंशन नियमावली के अनुसार आहरित करता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती– (क) यह कि मृत पुलिस कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा में निरन्तर बना रहता और वह कोई पदोन्नति न प्राप्त करता। (ख) यह कि यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न हैसियत से काम कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण का सम्भावित दिनांक उपधारित कर लिया जायेगा। यदि वेतनमान, जिस पर मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार काम किया था, उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है जिससे वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस उपधारित वेतन में की जायेगी जो मृत कर्मचारी अधिवर्षता के समय आहरित करता, यदि वह जीवित रहा होता। यदि ऐसे आश्रित हैं जो एक से अधिक असाधारण पेंशन आहरित कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरीके से पारिवारिक पेंशन देय होगी। 2. असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशासी संस्था अथवा किसी लोक उद्यम में काम कर रहा/रही है तो वह विकल्प दे सकता/सकती है कि वह पेंशन धनराशि पर मंहगाई भत्ता लेना चाहता/चाहती है अथवा अपने वेतन पर जो भी अपेक्षाकृत लाभप्रद हो।

**उ0प्र0 असाधारण पेंशन (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015 संख्या 1779पी/छः–प–6–15–1000(32) /2004 दिनांक 08.10.2015 से प्रतिस्थापित

उत्तर प्रदेश (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अधीन अभिनिर्णय की धनराशि दिये जाने के लिये दावे का प्रपत्र

ड़ाकुओं /सशस्त्र अपरोधियों/विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में मारे गये स्वर्गीय..... .....के परिवार के निमित अभिनिर्णय की धनराशि दिये जाने के लिये दावा।

दावेदार या दावेदारों का विवरण

1. नाम तथा निवास स्थान ग्राम और परगना
2. आयु
3. कद (ऊंचाई)

4. जाति, वर्ण या जन जाति

5. पहचान के चिन्ह

6. वर्तमान धंधा और परिस्थितियां

7. मृतक से संबंध

मृतक का विवरण

8. नाम

9. किस पद पर था

10. सेवाकाल

11. वेतन जब मारा गया

12. चोट का प्रकार जिसके कारण मृत्यु हुई

13. आनुतोषिक की धनराशि जिसका दावा किया गया है

14. पेंशन की धनराशि जिसका दावा किया गया है

15. भुगतान किस स्थान पर किया जाय

16. दिनांक जब से पेंशन आरम्भ होगी

17. अतिवयता का दिनांक

18. अभ्युक्ति

मृतक के जीवित संबंधियों के नाम और आयु

नाम	जन्म दिनांक
विधवा	
पुत्र	
पुत्री	
पिता	
माता	
दादा	
दादी	

अवयस्क भाई

अवयस्क बहन

(टिप्पणी– यदि मृतक अपने पीछे कोई विधवा, बच्चे आदि न छोड़ गया हो तो प्रत्येक संबंधी के सामने शब्द ''कोई नही'' या मृत लिखा जाना चाहिये)।

(स्थान).....

(दिनांक).....

कार्यालय के अध्यक्ष के

हस्ताक्षर

*ठीक–ठीक नही मालूम होने पर अंतिम सूचना या अनुमान के आधार पर लिखा जाना चाहिये।

लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले भर्ती संबंधी अधीयाचनों में शारीरिक योग्यता के मानक सम्मिलित किया जाना

चिकित्सा अनुभाग–5 उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय शाप सं0 2784/क्षे–वी–106, 1964, दिनांक 27 सितम्बर, 1965 जिसमें शासन का निर्णय सूचित किया गया था कि भविष्य में जब भी नियुक्ति प्राधिकारी आयोग की किसी पद पर भर्ती के लिये अधियाचन भेजे और यदि प्रश्नमत पद के लिए शारीरिक योग्यता का परीक्षण मेडिकल बोर्ड़ द्वारा किया जाना हो,तो उन्हे अन्य विवरणों के साथ, अभ्यर्थी के लिये अपेक्षित शारीरिक योग्यता के व्योरेवार मापक भी सदैव प्रस्तुत करने चाहिये ताकि आयोग द्वारा सम्बन्धित सेवाओं/पदो के लिये संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों को दिये जाने वाले सूचना पत्रक में अपेक्षित शारीरिक योग्यता के मापक का व्योरा भी सम्मिलित कर दिया जाय और अभ्यर्थी को संबंधित प्रतियोगितात्मक परीक्षा में मांग होने के लिये आवेदन करने से पूर्व अपेक्षित शारीरिक योग्यता का पूर्ण ज्ञान रहे। यह अपेक्षा की गई थी कि वे विभाग जिन्होंने अपने अधीन विभिन्न पदो के लिये अपेक्षित शारीरिक योग्यता के मापक संबंधी व्योरे तैयार किये हों,

सम्बन्धित पदों की शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखतें हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश के परामर्श ऐसा कर लें।

उक्त निर्णय के अनुसरण में इस विभाग में मेंडिकल मैनुअल में समाविष्ट शारीरिक योग्यता सम्बन्धी मानकों में केन्द्रीय सेवाओ के लिये भारत सरकार द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षण संबंधी विनियमों तथा नियुक्ति विभाग (अब पुलिस सेवायें) के परामर्श से उसे अंतिम रूप लेकर राज्याधीन सेवाओं के अधोलिखित पदो के अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यताओं के परीक्षण संबंधी तैयार कर लिये ।

1. समस्त राजपत्रित पदों, जिन पर नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षा विहित है।
2. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत आने वाले समस्त पदों जिन पर स्वास्थ्य परीक्षण समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना हो, तथा
3. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत आने वाले पदों पर एक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व जहां मेडिकल बोर्ड़ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा विहित है।

शारीरिक उपयुक्तता के मानकों का निर्धारण भर्ती के में से एक है अतः इन विनियमों पर शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त विनियमों के आधार पर मेडिकल में मेडिकल बोर्ड़/चिकित्सा अधिकारियों के लिये निर्दिष्ट नियमों में भी तदनुसार संशोधन प्रभावी हो जायेंगे। विनियमों की 15 प्रतियों संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि अपने अधीन संबंधित पदों/सेवाओं की सेपा नियमावलियों में पूर्व निर्दिष्ट शारीरिक योग्यता के मानकों यदि कोई हो में तदनुसार संशोधन कराने का कष्ट करें, और साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा समस्त संबंधित अनुभागों को इस विनियमों की प्रति भेजकर कृप्या यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचनों के साथ अन्य विवरण के अतिरिक्त सम्बन्धित पद/सेवा के लिये आदेश द्वारा आधारित किये जाने वाले सुचना में सम्मिलित करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त किये जाय तो तदसंबंधी पूर्ण विवरण आयोग का प्रथम सेवा जाये कि आयोग उस पद के लिये प्रसारित किये जाने वाले सूचनाजनक में तदनुसार उन्हें समाविष्ट कर सकें।

3. कृप्या इस पत्र को प्राप्त सूचित करते हुए आपके द्वार इस संबंध आदेशों को एक प्रति इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्राविधिक तथा अप्राविधिक सिविल सेवाओं राजपत्रित तथा अराजपत्रित मके प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण से संबंधित विनियम

ये विनिमय इसलिये प्रकाशित किये जा रहें कि इनसे अभ्यर्थियों को सुविधा हो और वे यह सुनिश्चित कर सके कि अपेक्षित शारीरिक स्तर उनके पहुचने की संभावना है या नही किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से समक्ष जाने चाहिये कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी ऐसे अभ्यर्थी की जिसे वह चिकित्सा बोर्ड़ की रिर्पोट के आधार पर शारीरिक रूप अपने समझें, अयोग्य करार करने के संबंध में पूर्ण रूप से अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है और यह कि किसी भी संबंध में स्वविवेक का प्रयोग करने का उसका अधिकार इन विनियमों से शोभित नही होगा। ये विनियम केवल चिकित्सीय परीक्षकों के मार्ग–निर्देशन के आशय से ही बनाये गये हैं और इनका तात्पर्य यह नही है कि किसी भी प्रकार से विवके का प्रयोग करने के उनके अधिकार को सीमित किया जाय।

1.. राज्य कर्मचारियों की निम्नलिखित प्राविधिक तथा अप्राविधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक के लिये पृथक–पृथक मानक विहित किये गये है।

क. अप्राविधिकः–

ग्रुप–1. समस्त राजपत्रित राज्य सेवायें जिससे अधीनस्थ अधिशासी सेवा (राजपत्रित) सम्मिलित है।

ग्रुप–2. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित)

ख. प्राविधिकः–

1. समस्त शभियंक्षण सेवायें,
2. चिकित्सा सेवायें,
3. कृषि एंव पशुपालन सेवायें,
4. परिवहन सेवायें
5. पुलिस सेवायें,
6. जन सेवायें,
7. वन विभाग के अधीन राजय प्रशिक्षण सेवा
8. अन्य सिविल प्राविधिक सेवायें/पत्र जो समूह 'क' के अर्न्तगत आतें है।

टिप्पणीः–उपर्युक्त (क) अप्राविधिक वर्ग के अर्न्तगत ग्रुप–1 के समस्त पत्रों के लिये शारीरिक परीक्षण मेडिकल बोर्ड़ द्वारा किया जायेगा किन्तु ग्रुप –2 के अर्न्तगत केवल एक आंख के अभ्यर्थियों की दशा में मेडिकल बोर्ड़ द्वारा शारीरिक अनिवार्य होगा। ग्रुप 2 के अर्न्तगत एक आंख अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण समक्ष चिकित्साधिकारी द्वारा इन्ही विनियमों के अर्न्तगत कराया जायेगा।

2. किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु योग्य ठहराये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिसके कारण उसके पक्ष के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक विहित करने में कोई यात्रा पडने की संभावना हो।

3. क. जहां तक भारतीय (जिसके अर्न्तगत प्राप्त भारतीय भी है) के अभ्यर्थियों की वह, ऊँचाई और सीने के घेरे की माप के सहसंबंध के आंकडों (को–रिलेशन फिमर्स) कर प्रयोग करें जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझें। यदि अभ्यर्थी की ऊँचाई वनज और सीने के घेरे की माप के अनुपात में भिन्नता हो तो चिकित्सा बोर्ड़ अन्य उसे योग्य अर्थात किये भर्ती करके उसकी जांच की जानी चाहिए और उसके सीने का एक्स–रे लिया जाना चाहिये।

(ख) किन्तु कतिपय सेवाओं के लिये ऊँचाई और सीने के पैरे की माप के निम्नलिखत न्यूनतम मानक, जिनके निवा अभ्यर्थियों को सेवा में भर्ती के लिये स्वीकार नही किया जा सकता है निम्नलिखित है।

क्र.सं	विवरण	ऊँचाई	बिना फुलाये सीने की घेरे की माप	सीने के फुलाने पर
क.	पुलिस सेवा –1– पुरूष	165 से.मी.	84 से.मी.	5 से.मी.

	2– महिला	150 से.मी.	78 से.मी.	5 से.मी.
	3– कुमायु और उतराखंण्ड प्रयाग के और अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों के लिये	160 से.मी.	70 से.मी.	5 से.मी.
(ख)	अन्य सेवायें	160 से.मी.	84 से.मी.	5 से.मी.

टिप्पणीः उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिए आवृत्ति मानक केवल ऐसे पदो ंके लिए है जो राजपत्रित है और जिनके लिये अभ्यार्थियों का चयन लोक सेवा आयेाग द्धारा किया जाता है। पुलिस विभाग के मानक पूर्ववत लागू रहेगे।

अभ्यार्थियों की ऊचाई की माप निम्नलिखित रीति में ली जायेगीः–

वह अपने जूते उतार देगा और उसे मानक (स्टैन्डर्ड) के सहारे इस प्रकार से खडा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए और उसके शरीर का वनज उसकी एडी पर पड़े हुए (अंगूठे अथवा पैर के अन्य भाग पर पड़ने के बजाय)। वह अपने शरीर को ढीला रखकर इस प्रकार बिल्कुल सीधा खड़ा होगा कि उसकी एडियां, पिडलिया, नितम्ब और कन्धें मानक (स्टैन्डर्ड) से स्पर्श कर रहे हो और उसकी ठुड्डी को इस प्रकार झुकाया जायेगा कि सिर का शीर्ष स्तर समस्तर पट्टी (हारिजेन्टल गार) के नीचे आ जाये और ऊँचाई की माप सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर के आधे भाग तक अभिलिखित की जायेगी।

5. अभ्यर्थी के सीने की माप निम्नलिखित रीति से ली जायेगी।

डसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए हों और उसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हो। फीते से सीने के घेरे की माप इस प्रकार ली जायेगी कि फीते का ऊपरी सिरा पीछे की तरफ स्कन्धस्थियों (शोल्डर ब्लेड्स) के निम्न कोनी को स्पर्श करता हो और जब फीतें को सीने के चारों लपेट जाय तो वह असी समस्तर पर मना रहें है। तत्पश्चात बाहों को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि वे बगल में ढीली हालत में झुकाया जाय जिसमें फीता अपने स्थान से हट जाय। तदुपरान्त अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जायेगा कि वे (कई बार) गहरी सांस ले सीने के अधिकतम फैलाव को सावधानी पूर्वक नोट किया जायेगा और तत्पश्चात अधिकतम एवं न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटर में अभिलिखित किया जायेगा । माप अभिलिखित करतें समय आधें सेंटीमीटर से कम भाग को नोट नही किया जाना चाहिये।

टिप्पणीः– अभ्यर्थियों की ऊँचाई और उसके सीने के पैरों की माप के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व दो बार माप ली जानी चाहिए ।

6. अभ्यर्थी का वजन भी लिया जायेगा और उसके वजन को किलोग्रम में निम्नलिखित किया जायेगा और आधे किलोग्रम के किसी भाग को नोटबंदी किया जाना चाहिये।

7.राज्य सेवाओं, जिनमें उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) भी सम्मिलित है, में प्रथम प्रवेश के लिये विहित किये गये निम्नांकित दृष्टि शक्ति मानक (स्टैन्डर्ड) के अनुसार आभ्यर्थी की दृष्टि शक्ति की जांच की जानी चाहिये।

(1) राज्य सरकार के आधीन सेवाओं के लिये वर्णनीय मानव (स्टैन्डर्ड आफ कलर विजन)

1. अप्राविधिक सेवायें

   समस्त श्रेणी (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) की अप्राविधिक सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए वर्णबोध से शक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए और उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए किन्तु वर्णबोध शक्ति के दोषपूर्ण होने की दशा में उसे उक्त सेवाओं में प्रवेश पाने के लिये अनर्हकारी नही समझा जाना चाहिये।

2. प्राविधिक सेवायें

   1– पुलिस सेवाएंः– समस्त श्रेणी की पुलिस सेवाओं के लिए ''इशिहारा'' प्लेट पर यथारीक्षित दोषपूर्ण वर्णबोध को अनर्हकारी समक्षा जाना चाहिये।

   2– परिवहन सेवाएंः– परिवहन विभाग के अधीन फोरमैन के पदो पर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती नही की जानी चाहिए जिनकी वर्णबोध (कलर विजन) परीक्षा ''इशिहारा'' प्लेट पर करने के उपरान्त उनका वर्णबोध दोषपूर्ण पाया जाय। परिवहन विभाग अन्य पदों पर भर्ती करने के लिये वर्णबोध के दोषपूर्ण पाये जाने के कारण सेवा में भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

   3– जो अभ्यर्थी प्रमुख वर्णो (अर्थात लाल,हरे,नीले और नीले वर्ण) के 235 से0मी0 व्यास वाले डिस्क पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त इन वर्णो कि स्थूल स्वरूप को पहिचान सवर्श हो, उन्हे चिकित्सा सेवाओं में भर्ती के लिये स्वास्थ्य दृष्टि से उपयुक्त समझा जाना चाहिये।

(3) सिंचाई सार्वजनिक निर्माण,विद्युत, व्यापार, शासन, और कृषि विभाग, जनसेवाओं और विभाग के अधीन राज्य प्रशिक्षण सेवाओं की अभियंत्रण सेवायें	(1) यदि अभ्यर्थी 2.5 से0मी0 व्यास के वर्ण रिस्क (कलर–रिस्क) पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त लाल,हरे और नीले वर्णो (के स्थूल स्वरूप) को पहिचान सकता हो तो इस इन सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त समझा जाना चाहिए। (2) उपर्युक्त सेवाओं में वास्तुशिलियों (आर्किटेक्स) के लिए यह आवश्यक है कि वे वर्णों में सूक्ष्म रूप से विभेद कर सके अतः उनके वर्णबोध का परीक्षण ''इशिहारा'' प्लेट पर किया जाना चाहिये और यदि परीक्षण के उपरान्त उनमे कोई दोष पाया जाय तो उसे अनर्हकारी समझा जाना चाहिये।
2. दृष्टि की तीक्ष्णताः– (एक्यूटी आफ विजन) (क) बिना चश्में के दृष्टि शक्ति (नेकेड थाई विजन) (ख) दूर और निकट की दृष्टि आश्रित नेत्र की श्रेणी प्राविधिक और अप्राविधिक दोनों ही की प्रथम और द्वितीय श्रेणी	नेत्र की दशा का कोई मानक निर्धारित नही हैं (न्यूनतम बिना चश्में से लिये गये दृष्टि शक्ति को) इस उद्देश्य से कि आंख की क्या दवा दशा है केवल अभिलिखित करये। (चश्मा या बिना चश्में के) दूर दृष्टि शक्ति निकट दृष्टि शक्ति अच्छी आंख खराब आंख अच्छी आंख खराब आंख 0/9 6/9 0.6 0.6 0/6 6/12

(ग) अधिकतम अनुमन्य परिवर्तित

दोष (रिफेविटव, एरर)

ऊपर निहित किये गये द्राष्टिक (विजुअल) मानकों को सुनिश्चित करने पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में जो (रिफेविटव एरर) अनुज्ञेय है। वह इस प्रकार हैः–

(1) परिवहन और पुलिस सेवाओं की समस्त प्राविधिक सेवायेंः–

(+) 6 डायोप्टर्स अथवा (–) 6 डायोप्टर्स (जिनमें सिलेण्डर्स भी सम्मिलित है) तक की चश्में द्वारा शुद्धी अनुमान्य होना चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि फंडस परीक्षा (फंडस इक्जामिनेशन) के उपरान्त कोई अपकर्यी परिर्वतन (डिजनरेटिव चेन्जेज) न पाये जायें और अल्प दृष्टि (मायोपिया) का दोष वर्द्धमान किस्म का न हो। यदि अल्प दृष्टि (मायोपिया) का अर्द्धचन्द्रकार विद्यमान हो और कोई अन्य अपकर्पी परिर्वतन न पाया जाय तो केवल इसी कारण से अभ्यर्थी को सेवा मे भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

(2) अप्राविधिक सेवायेंः–

(+) 6 डायोप्टर्स अथवा (–) 6 डायोप्टर्स (जिनमें सिलेण्डर्स भी सम्मिलित है) तक की चश्में द्वारा शुद्धी अनुमान्य होना चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि फंडस परीक्षा (फंडस इक्जामिनेशन) के उपरान्त कोई अपकर्यी परिर्वतन (डिजनरेटिव चेन्जेज) न पाये जायें और अल्प दृष्टि (मायोपिया) का दोष वर्द्धमान किस्म का न हो। यदि अल्प दृष्टि (मायोपिया) का अर्द्धचन्द्रकार विद्यमान हो और कोई अन्य अपकर्पी परिर्वतन न पाया जाय तो केवल इसी कारण से अभ्यर्थी को सेवा मे भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

(3) उन अभ्यर्थियों के लिये शोसित दृष्टि (स्टैन्डर्ड आफ फरपेटस विजन) जिनकी वय प्रथम नियुक्ति के प्रथम 35 वर्ष या उससे अधिक हो।

टिप्पणी 1. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के लिये एक आंख के अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य सयुक्त अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण इस विनियमों के अधीन पूर्ववत सक्षम चिक्तिसा अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा किन्तु एक आंख भी अभ्यर्थियों को अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत किसी पद पर चुनाव हो जाने की दशा में नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड़ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा और सम्बन्धित मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्यवाही होगी।

2. विनियम7 (7) में उल्लिखित उपर्युक्त दृष्टिक तीक्ष्णता (विजुएल एक्विटी) का शिथिलीकृत मानक प्राविधिक श्रेणी के पदों/सेवाओं जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भी सम्मल्लित है के लिये लागू नही होगा। संबंधित विभाग के लिये यह आवश्यक होगा कि चिकित्सा बोर्ड़ को यह सूचित कर कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा अप्राविधिक पद के लिये होना है या प्राविधिक पद हेतु।

3. उपर्युक्त मानक सभी विभागों पर ऊपर टिप्पणीः मे उल्लिखित अपवाद को छोड़कर सामान्य रूप से लागू होगें।

8. रक्त चाप (ब्लडप्रेशर)– चिकित्सा बोर्ड़ रक्त चाप के संबंध में अपने विवके का प्रयोग करेगा। सामान्य अधिकतम हृदय चाप (नार्मल मैक्सिमम सिस्टालिक प्रेशर) की गणना करने का स्थूल तरीका निम्नवत हैः–

1. 15 से 25 अगले वर्ष के पुरा व्यक्तियों के लिये औसत रक्त चाप 100 से अधिक और उसकी वय की जोडकर होगा।
2. 25 वर्ष से अधिक वय के व्यक्तियों के लिये औसत रक्त चप की गणना करने के लिये 110 में वय के आधे को जोडने का जो सामान्य नियम है। वह काफी संतोषजनक प्रतीत होता है।

विशेष ध्यान दीजियेः– सामान्यतः यदि किसी अभ्यर्थी का हत्प्रकुचन चप (सिस्टलिक प्रेशर) 140 से अधिक ही और हतफारी चाप (डायोस्टालिक प्रेशर) 90 से अधिक होतो उसे सदेंहात्पद समझा जाना चाहिये और अभ्यर्थी की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध मे अपनी अंतिम राय देने या पूर्व बोर्ड़ को चाहिये िकवह उसे जांच के लिये आस्पताल में भर्ती कराये। अस्पताल में जांच की रिर्पोट में इस बात का संकेत होना चाहिये कि रक्त चाप जो नही हुई है। वह उत्तेजना आदि के कारण अस्थायी प्रकार की है अथवा किसी कार्यिक रोग (आर्गेनिक डिजिज) के कारण हो। ऐसे सभी मामलों में अभ्यर्थियो के हृदय और रक्त की परीक्षा एक्स–रे, और (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ) किया जाना चाहिये तथा यूरिया उत्सर्जन परीक्षण भी नैत्यृक रूप से किया जाना चाहिये। किन्तु किसी अभ्यर्थी के योग्य अथवा अयोग्य होने के विषय में अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार केवल चिकित्सा बोर्ड़ को होगा।

रक्त चाप मापने का तरीकाः– रक्त चाप मापने के लिये नियमित मकेरी मेनोमीटर प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार का व्यायाम किये जाने अथवा उत्तेजना होने के पन्द्रह मिनट के भीतर रक्त चाप मी माप नही ली जानी चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि रोगी और विशेषकर उसकी दोनो बाहों ढीली ओं और वह या तो लेटा हो अथवा बैठा हो। रोगी की दोनों बाहों उसकी बगल में न्य बाधिक रूप से समस्तर स्थिति मे हों। बांह पर से कंधे तक कपड़ा हटा होना चाहिये। पूर्णतया वायु रहित कफ का बांह के अन्दर की तरफ रबड के बीचो बीच इस प्रकार लगाया जाना चाहिये कि उसका निचला भाग कोहनी के मोड़ से 2.5 सेंटीमीटर अथवा 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। उसके बाद कपड़े को पट्टी की परतों को थैले के ऊपर समतल रूप से फैलाया जाना चाहिये ताकि हवा भरते समय फुलने न पायें।

कोहनी के मोड़ के ऊपर स्पन्दन द्वारा बांह धमनी (वैकियल आर्टरी) का पता लगाया जाता है। तदुपरान्त नीचे की ओर इसके ऊपर (स्टेस्थकोप) को हल्के तौर पर और बीचोबीच इस प्रकार लगाया जाता है कि कफ से उसका कोई संबंध न रहे। कफ मे लगभग 200 मीलीमीटर एन0जी0 तक हवा भरी जाती है और तदुपरान्त धीरे–धीरे उसमें से हवा निकाल दी जाती है। और जब कर्मिक रूप से युद्धध्वनि सुनाई पडती है। उस स्तर पर हृत्प्रकुंचन चाप (सिसटोलिक प्रेशर) को व्यक्त करता है। उसमें से और हवा निकालने पर ध्वनि और अधिक में परिवर्तित हो जाती है वह हृत्प्रफारी (हाइस्टोलिक) माप को करता है रक्त चाप को माप गति अल्प समय में ली जानी चाहिये क्योंकि कफ का अधिक देर तक दबाव पडनें पर रोगी की उत्तेजना आ जाती है और पाशांक बेकार हो जाता है। यदि पुनः जांच करना आवश्यक होतो कफ से पूर्णतया हवा निकालने के कुछ मिनट बाद ही यह माप की जानी चाहिये । कभी कभी जब कफ से हवा निकालो वाली है तब विषय स्वरो पर ध्वनि सुनाई पडनी है जब कफ हो जाता है यह ध्वनि बन्द हो जाती है

अब में शर्करा विद्यमान है तो बोर्ड़ द्वारा अन्य सभी पहलुओं के संबंध मे जांच करेगा और यह विशेष रूप से की हो ऐसा चिन्ह अथवा लक्षण नोट करेगा जिससे मधुमेह का पता लगता हो। यदि मधुमेहता (ग्लाइकोसुरिया) के अलावा बोर्ड़ योग्य घोषित करेगा कि उसकी मधुमेहेतर (नाम डायवटिक) है और बोर्ड़ और बोर्ड़ उस मामले को जांच के लिये किसी ऐसे विशिष्ट चिकित्सा

विशेषज्ञ (विलनिकल) और प्रयोगशाला संबंधी सभी जांच करेगा जिसे वह आवश्यका समझें और इस जांच में मानक रक्त शर्करा सहन परीक्षण (स्टैन्डर्ड शुगर टालरेंस टेस्ट) भी सम्मिलित होगा और तदुपरान्त वह अपनी राय चिकित्सा बोर्ड़ की प्रस्तुत करेगा। जिसके आधार पर चिकित्सा बोर्ड़ अभ्यर्थी के 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' होने के बारे में अपनी अंतिम राय निश्चित करेगा। एक दूसरे अवसर पर अभ्यर्थी से इस बात की अपेक्षा नही की जायेगी कि वह बोर्ड़ के समक्ष स्वयं उपस्थिति हो। दवाओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिये किसी अभ्यर्थी को कठोर पर्यवेक्षण के अधीन अस्पताल में कई दिनों तक रोक रखना आवश्यक हो सकता है।

निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में जो व्यय अर्न्तग्रस्त होगा वह सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वह किया जायेगा–

(क) चिकित्सा विशेषज्ञों की फीस

(ख) अस्पताल की आवास फीस जिसका तात्पर्य आदेशित पद की श्रेणी के अनुसार स्पेशल बार्ड में आवास की फीस से होगी।

(ग) प्रयोगशाला फीस चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा रक्त शर्करा परीक्षण के निमित्त मांगी गई हो।

निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिये :–

(क) अभ्यर्थी के प्रत्येक कान के श्रवण शक्ति अच्छी है और कान में किसी रोग के लक्षण नही पायें जाते हैं। यदि अभ्यर्थी के कान में कोई की जांच कर्ण विशेषज्ञ से कराई जानी चाहिए प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी के श्रवण शक्ति में कोई ऐसा दोष होतो शल्य कर्म अथवा श्रवण सहाय (हियरिंग एस) के प्रयोग द्वारा साध्य हो, तो उसे इस कारण अनुपयुक्त घोषित नही किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि उसके कान में कोई वर्तमान रोग विद्यमान न हो।

विशेष ध्यान :– यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षाऐं से 305 सेमीमीटर के दूरी पर उसके तरफ अपनी पीठ करके किये गये फुसफुहाट को सुन सकता हो तो उसे भर्ती के योग्य समझा जाना चाहिये। अभ्यर्थी का प्रत्येक कान का परीक्षण पृथक रूप से किया जाना चाहिये और परीक्षण के दौरान दूसरे कान को तेल युक्त उनी कपउे से बन्द कर दिया जाना चाहिये।

(ख) यह बोलने में हकलाता/ हकलाती हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है। यदि प्रभाव कारी ढंग से पयर्ण (मैस्टीकेशन) के लिए यथा आवश्यक कृत्रिम दांत लगे हुए हो (अच्छी तरह से भरे हुए दांतो को अच्छी दशा में समझा जायेगा)।

(घ) उसके सीने की बनावट अच्छी हो और उसके सीने का फैलाव पर्याप्त हो और उसका हृदय फेफडे अच्छी दशा में हो।

(ड.) किसी उदर संबंधी रोग का कोई लक्षण न हो।

(च) उसे आंत उतरने (हर्निया) का रोग न हो।

(छ) वह अण्डवृद्धि (हाइड्रोसिल) से गम्भीर से अण्ड़ शिरा फूली हुई क्यों (वेरीकील) या बवासीर से पीड़ित न हो।

(ज) उसके हाथ और पैर पूर्ण गठित और सुविकसित हों तथा न्य

(झ) वह किसी पुराने चर्म रोग से न पीड़ित हो।

(ट) उसको कोई जन्मजात विकृति या खराबी व हो।

(ठ) उसके शरीर पर किसी ऐसे पुराने रोगो का सुराग न हो जिससे उसके शरीर की बनावट की क्षीणता का पता चलता हो।

सभी मामलों में सीने की स्कीनिंग की जानी चाहिये जिसमे कि यदि हृदय और फेफड़े में कोई असामान्यता हो तो उसका पता चल सके, क्योंकि हो सकता है कि उसका पता साधारण शारीरिक जांच से नही लग पाया है। जहां आवश्यक समझा जाय, वह एक्स–रे चित्र ले लिया जाय।

जब कोई दोष पाया जाये तो उसे प्रमाण पत्र में प्रवेश अंकित किया जाय तथा परीक्षक को अपनी राय देनी चाहिये कि उससे (बीमारी से) उन कर्तव्यों के भली–भांति निवर्हन मे, जिनकी कि अभ्यर्थी से करने की अपेक्षा कि जायेगी अड़चन पहुचाने की सम्भावना है अथवा नहीं। यदि उसके दशा आपरेशन द्वारा ठीक हो सकती है तो उसका उल्लेख किया जाय।

टिप्पणीः– अभ्यर्थी की आगाह किया जाता है कि (उन्हें) उक्त सेवाओं के लिये अपनी उपयुक्तता निश्चित करने के लिये नियुक्त विशेष अथवा स्थायी चिकित्सा बोर्ड़ से अपील करने का कोई अधिकार न होगा। परन्तु फिर भी पद प्रस्तुत साक्ष्यों से पहले बोर्ड़ के निर्णय संबंधी मूल की सम्भावना के बारे में सरकार का समाधान हो जाय को यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह अपीलक के दूसरे बोर्ड़ द्वारा जांच किये जाने की अपील की अनुमति देदे। ऐसा साक्ष्य उस पत्र के जिससे अभ्यर्थी को प्रथम चिकित्सा बोर्ड़ के निर्णय की सूचना दी गई हो, दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये, नही तो द्वितीय चिकित्सा बोर्ड़ के प्रति अपील किये जाने की किसी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम बोर्ड़ के निर्णय में किसी निर्णय संबंधी मूल की संभावना के बारें में कोई चिकित्सा प्रमाणक साक्ष्य के अंग के रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो उस प्रमाणक पर तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक उसके साथ सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रैक्टिशनर) की इस आशय की टिप्पणी न दी गई हो कि यह (प्रमाणक) इस तथ्य की पूरी जानकारी रखते हुए दिया गया है कि अभ्यर्थी को पहले ही चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा सेवा के लिये अनुपयुक्त करार दिया जा चुका है।

चिकित्सा बोर्ड़ की रिपोर्ट

चिकित्सक परीक्षक के मार्ग–निर्देशन हेतु निम्नलिखित सूचना दी जाती हैः–

शारीरिक उपयुक्तता सम्बन्धी मानक स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध अभ्यर्थी की आयु तथा सेवा काल यदि बोर्ड़ हो के लिये समान रियायत दी जानी चाहिए।

सरकारी सेवा में भर्ती किये जाने के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को अर्ह नही माना जायेगा जिसने यथास्थिति शासन अथवा नियुक्ति अधिकारी को इस बार में संतुष्ट न कर दिया हो कि उसे कोई ऐसा रोग, शारीरिक गठन संबंधी बीमारी अथवा शारीरिक निर्बलता नही है जो उसे उस सेवा के लिये अनुमन्य निल करनी हों अथवा जिसने उसके अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना हो।

यह समझ लिया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयुक्तता का प्रश्न वर्तमान के साथ–साथ भविष्य से भी जुडा हुआ है और अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य सेवा कराने का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हैं कि वे बराबर कारगर ढंग से सेवा करते रहेंगे और स्थायी रूप से नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उन्हें इतना स्वास्थ्य होना चाहिए कि उन्हे शीघ्र पेंशन न देनी पड़े और न ही अकाल मृत्यु होने की दशा में भुगतान करना पड़े। इसके साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रश्न है यतन् कारगर सेवा की सम्भावना का और किसी अभ्यर्थी को इस आधार पर अस्वीकृत किये जाने का परामर्श देने की आवश्यकता नही है। कि उसके शरीर में कोई ऐसा दोष है जिससे उसके बराबर कारगर ढंग से सेवा करने में थोडी बाधा पड़ सकती है।

चिकित्सा बोर्ड़ की (रिर्पोट गोपनीय रखी जानी चाहिए)

उस दशा में जब कि कोई अभ्यर्थी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग घोषित किया जाता है तो अस्वीकृत किये जाने के आधार सूक्ष्म विवरण दिये बिना अभ्यर्थी को तौर पर सूचित कर दिये जाये।

उस दशा में जबकि चिकित्सा बोर्ड़ यह समझता है कि किसी मामूली विकलांगता से कोई अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिये आयोग्य सिद्ध हो रहा है और उसे (चिकितसक या शल्य किया संबंधी) उपचार, द्वारा ठीक किया जा सकता है तो चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा इस आशय का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड़ की इस प्राधिकारी पर निर्भर होगा कि यह दूसरे नियुक्ति बोर्ड़ से दान लिये जाने की मांग करें।

उन अभ्यर्थियों मामले जिन्हें ''साक्ष्यमी पर पर्याप्त'' घोषित किया जाना हो उनको फिर से जांच किये जाने की निर्धारित अवधि सामान्यता छः माह से अधिक न होगी। निर्धारित अवधि के बार फिर से जांच करने पर इन को किसी और अवधि के लिये परमापी तोर पर आयोग्य घोषित नही किया जाना चाहिए किन्तु नियुक्ति के उनका योग्य होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाना चाहिए।

अभ्यर्थियों के विवरण तथा घोषणा का प्रपत्र

.....पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण

चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपनी जांच किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी नीचे दिया गया विवरण भरे और उसमें उसका घोषणा पर उक्त बोर्ड़ के समक्ष हस्ताक्षर अवश्य करें।

1– अभ्यर्थी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)

2– जन्म स्थान

3– आयु तथा जन्म–तिथि

अभ्यर्थी को पासपोर्ट के प्रकार का अपना हाल का चित्र यहां चिपकाना चाहिए।

4– परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें

पिता की आयु, यदि जीवित हो, तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु के कारण	जीवित भाइयों की संख्या उनकी आयु तथा स्वास्थ्य संबंधी दशा	मृत भाइयों की संख्या/मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

मां की आयु यदि जीवित हो तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय मां की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या/उनकी आयु और उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत बहनों की संख्या मृत्यु के समय उनके आयु तथा मृत्यु का कारण

5– क्या आपका कोई निकट सम्बधी क्षय रोग(तपेदिक,कण्ठमाला, कैंसर, दमा, दौरे, मिरगी, विक्षिप्तता अथवा अन्य स्नायु रोग) से ग्रस्त था।

6–क्या आप कभी विदेश गये हैं। यदि हो तो कहा और कितनी अवधि के लिये और तबसे कितना समय बीता चुका है?

7–क्या आपको कभी न सेना, स्थल सेना, अथवा किसी सरकारी विभाग में कार्य किया है?

8–क्या आपको जान कभी (क) जीवन बीमा के लिये अथवा/और (ख) राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी असैनिक (सिविल) अथवा सैनिक चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा की गई है यदि हां तो उसके ब्योरे दीजिये और उसके परिणाम बताइए।

9– क्या आपको जान कभी (क) चेचक निकाली है, कोई अन्य विसर्गी ज्वर हुआ है, गिल्टियां बढी है अथवा अनमे पीप पड़ा है मुह से खून निकलता है दमा हुआ है। फेफडों मे सूजन या कोई रोग उससे संबंधित हुआ है फुफ्फूसावरण शोध (फ्लूरिस) हुआ है, हृदय रोग हुआ है दौरे पड़े है, गठिया हुआ है उपावाह (अपैन्डिसाइटिरा) हुआ है मिरगी हुई है विक्षिप्तता अथवा अन्य स्नायु रोग हुआ है कान वहां है अथवा कान का अन्य रोग हुआ है सर्वया हुआ है सुजाक हुआ है (ख) कोई अन्य रोग हुआ है अथवा चोट लगी है जिसके कारण शैय्याग्रस्त होना पडा हो अथवा जिसके कारण चिकित्सक अथवा शारीरिक उपचार आवश्यक हो गया है। अथवा

(ग) कोई चिकित्सक प्रर्दिशत कराया है अथवा

(घ) सक्रिय

10–क्या आपको आंत उतरने का रोग है ?

11– क्या आपको अण्डशिरवृद्धि हुई है सूजी हुई है, सुजी हुई शिरा वाली नसें हैं, लकवा बवासीर है ?

12– क्या आपको हर एक आंख की दृष्टि अच्छी है जो अभ्यर्थी चश्मा पहनते है वे कृपया नुसखा अथवा अपने चश्में साथ लायें।

13– क्या आपको हर एक कान से अच्छी तरह सुनाई देता है ?

14– क्या आपको कोई जन्मजात अथवा जन्मेत्तर विकृति दोष अथवा विरूपता है ?

15– आपको पिछला चेचक का टीका कब लगा था ?

16– क्या आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई और मामला भी है जो उपर्युक्त प्रश्नों के अर्न्तगत न आया हो तथा जिसे चिकित्सा बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

(चिकित्सा बोर्ड़ के समक्ष हस्ताक्षर किये जायं)

मै घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी उत्तर जहां तक मेरा विश्वास है सही और ठीक है।

मैं चिकित्सा बोर्ड़ के समक्ष उन समस्त परिस्थितियों की पूरी तरह प्रकट कर दूगां/दूगी, जिनकी मुझे जानकारी है और जो कि उस पद के लिये जिसका कि मैं अभ्यर्थी हूँ मेरे स्वास्थ्य और योग्यता से सम्बन्धित है।

मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूँ कि किसी सूचना को जानबूझ कर छिपाने से मुझे नौकरी न मिलने या उसे छोड़ने का यदि (उक्त नौकरी) प्रदान की जाती है जोखिम उठाना पड़ सकता है।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

श्री/श्रीमती/कु0.....की जांच चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा की गई है और उसके प्रतीक स्वरूप पृष्ठ पर नयी फोटो तथा उनका उपर्युक्त हस्ताक्षर मेरे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक.....

अध्यक्ष,चिकित्सा बोर्ड़

(मोहर)

चिकित्सा (मेडिकल) बोर्ड़ की रिपोर्ट

ऊँचाई.....

वजन.....

अभ्यर्थी के पहचानने के निशान

का परिधि { पूरी सांस खीचने के बाद.....

पूरी सांस निकलने के बाद.....

प्रश्न	उत्तर	अप्युक्ति
1– क्या पिछले पृष्ठ पद दिये गये घोषणा–पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये गये है ?		
2– क्या जन्मजात या बाद में होने वाली विकृति के कोई लक्षण है ?		
3–क्या उसके शरीर पर कोई निशान नही है और क्या वह अपने सभी रोंगो का पूरेचित समाधान कर पाया है ?		
4– क्या निश्चित रूप से शारीरिक बनावट के विकृति होने अथवा उसकी किसी आंत के कोई संकेत मिलते है।		
5– क्या पिछले सात वर्षों के भीतर अभ्यर्थी के अ रूप से वक्र का टीका लगाया गया है ?		
6– क्या उसमें स्नायु तंत्र के रोग के कोई लक्षण हैं?		
7– क्या उसे अच्छी तरह सुनाई पडता है ?		
8– क्या अच्छी तरह से दिखाई देता है ?		
9– जहां तक स्पष्ट उच्चारण का सम्बन्ध है क्या वह अच्छी तरह से बोल सकता है ?		
10– क्या हड्डियों, जोडों या उससे सम्बन्धित शरीर के किसी भाग में रोग के कोई लक्षण हैं?		
11– क्या वह कोई गम्भीर चर्म रोग से ग्रस्त है ?		
12– क्या उसका हृदय और धमनी स्वस्थ हैं ?		
13– क्या अभ्यर्थी के (खूनी) बवासीर, अण्डकोष सूजी, शिरा वृद्धि या अन्य नाड़ी संबंधी रोग है।		
14– क्या उसके सांस लेने से सम्बन्धित अंगों में किसी रोग के कोई संकेत मिलतें हैं ?		
15– क्या उसके पाचक अंगो के रोग के कोई लक्षण हैं क्या उसके दांत गम्भीर रूप से खराब हैं अथवा किसी और प्रकार से रोग ग्रस्त हैं ?		
16– क्या अभ्यर्थी आंत के उतरने की बीमारी से युक्त है ?		
17– क्या जनन सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण मिलते हैं ?		

18– क्या उसका मूत्र (1)अल्वीरीन (2)शकर (सुगर) की बीमारी से युक्त है ?
क्या उसका मुत्र अन्यथा सामान्य है ?
19– क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी है जिससे कि दक्षतापूर्वक कार्य निर्वहन करने के लिये उसके अनुपयुक्त ही जाने की सम्भावना है ?
20– क्या अभ्यर्थी को दक्षता पूर्वक और विकृति रूप से कर्तव्यो का निर्वहन करने के लिये सभी प्रकार से योग्य समझते है ? अथवा अनुपयुक्त अथवा थोडे समय के लिये अनुपयुक्त है ?

.....

.....

स्थान –
दिनाक–

हस्ताक्षर
अध्यक्ष,चिकित्सा बोर्ड़

मोहर

प्रेषक,

संख्या 0270/पांच–5–23–78

श्री महेन्द्र प्रकाश,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

शासन के समस्त सचिव,

लखनऊः दिनांक, 16 नवम्बर, 1978।

विषयः– लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले भर्ती संबंधी अधियाचनों में शारीरिक योग्यता के मानक को सम्मिलित किया जाना।

चिकित्सा अनुभाग–5:–

1. उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय शाप सं0 2784/क्षे–वी–106, 1964, दिनांक 27 सितम्बर, 1965 जिसमें शासन का निर्णय सूचित किया गया था कि भविष्य में जब भी नियुक्ति प्राधिकारी आयोग की किसी पद पर भर्ती के लिये अधियाचन भेजे और यदि प्रश्नमत पद के लिए शारीरिक योग्यता का परीक्षण मेडिकल बोर्ड़ द्वारा किया जाना हो,तो उन्हे अन्य विवरणों के साथ, अभ्यर्थी के लिये अपेक्षित शारीरिक योग्यता के व्योरेवार मापक भी सदैव प्रस्तुत करने चाहिये ताकि आयोग द्वारा सम्बन्धित सेवाओं/पदो के लिये संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों को दिये जाने वाले सूचना पत्रक में अपेक्षित शारीरिक योग्यता के मापक का व्योरा भी सम्मिलित कर दिया जाय और अभ्यर्थी को संबंधित प्रतियोगितात्मक परीक्षा में मांग होने के लिये आवेदन करने से पूर्व अपेक्षित शारीरिक योग्यता का पूर्ण ज्ञान रहे। यह अपेक्षा की गई थी कि वे विभाग जिन्होंने अपने अधीन विभिन्न पदो के लिये अपेक्षित शारीरिक योग्यता के मापक संबंधी व्योरे तैयार किये हों, सम्बन्धित पदों की शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखतें हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश के परामर्श ऐसा कर लें।
2. उक्त निर्णय के अनुसरण में इस विभाग में मेंडिकल मैनुअल में समाविष्ट शारीरिक योग्यता सम्बन्धी मानकों में केन्द्रीय सेवाओ के लिये भारत सरकार द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षण संबंधी विनियमों तथा नियुक्ति विभाग (अब पुलिस सेवायें) के परामर्श से उसे अंतिम रूप लेकर राज्याधीन सेवाओं के अधोलिखित पदो के अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यताओं के परीक्षण संबंधी तैयार कर लिये ।
    1. समस्त राजपत्रित पदों, जिन पर नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षा विहित है।
    2. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत आने वाले समस्त पदों जिन पर स्वास्थ्य परीक्षण समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना हो, तथा
    3. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत आने वाले पदों पर एक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व जहां मेडिकल बोर्ड़ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा विहित है।

शारीरिक उपयुक्तता के मानकों का निर्धारण भर्ती के में से एक है अतः इन विनियमों पर शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त विनियमों के आधार पर मेडिकल में मेडिकल बोर्ड़/चिकित्सा अधिकारियों के लिये निर्दिष्ट नियमों में भी तदनुसार संशोधन प्रभावी हो जायेंगे। विनियमों की 15 प्रतियों संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि अपने अधीन संबंधित पदों/सेवाओं की सेपा नियमावलियों में पूर्व निर्दिष्ट शारीरिक योग्यता के मानकों यदि कोई हो में तदनुसार संशोधन कराने का कष्ट करें, और साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा समस्त संबंधित अनुभागों को इस विनियमों की प्रति भेजकर कृप्या यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचनों के साथ अन्य विवरण के अतिरिक्त सम्बन्धित पद/सेवा के लिये आदेश द्वारा आधारित किये जाने वाले सुचना में सम्मिलित करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त किये जाय तो तदसंबंधी पूर्ण विवरण आयोग का प्रथम सेवा जाये कि आयोग उस पद के लिये प्रसारित किये जाने वाले सूचनाजनक में तदनुसार उन्हें समाविष्ट कर सकें।

3. कृप्या इस पत्र को प्राप्त सूचित करते हुए आपके द्वार इस संबंध आदेशों को एक प्रति इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,
महेन्द्र प्रकाश,
उप सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्राविधिक तथा अप्राविधिक सिविल सेवाओं राजपत्रित तथा अराजपत्रित मके प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण से संबंधित विनियम

(ये विनिमय इसलिये प्रकाशित किये जा रहें कि इनसे अभ्यर्थियों को सुविधा हो और वे यह सुनिश्चित कर सके कि अपेक्षित शारीरिक स्तर उनके पहुचने की संभावना है या नही किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से समक्ष जाने चाहिये कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी ऐसे अभ्यर्थी की जिसे वह चिकित्सा बोर्ड़ की रिर्पोट के आधार पर शारीरिक रूप अपने समझें, अयोग्य करार करने के संबंध में पूर्ण रूप से अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है और यह कि किसी भी संबंध में स्वविवेक का प्रयोग करने का उसका अधिकार इन विनियमों से शोभित नही होगा। ये विनियम केवल चिकित्सीय परीक्षकों के मार्ग–निर्देशन के आशय से ही बनाये गये हैं और इनका तात्पर्य यह नही है कि किसी भी प्रकार से विवके का प्रयोग करने के उनके अधिकार को सीमित किया जाय।)

1.. राज्य कर्मचारियों की निम्नलिखित प्राविधिक तथा अप्राविधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक के लिये पृथक–पृथक मानक विहित किये गये है।

क. अप्राविधिकः–

ग्रुप–1. समस्त राजपत्रित राज्य सेवायें जिससे अधीनस्थ अधिशासी सेवा (राजपत्रित) सम्मिलित है।

ग्रुप–2. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित)

ख. प्राविधिकः–

1. समस्त शभियंक्षण सेवायें,
2. चिकित्सा सेवायें,
3. कृषि एंव पशुपालन सेवायें,
4. परिवहन सेवायें
5. पुलिस सेवायें,
6. जन सेवायें,
7. वन विभाग के अधीन राजय प्रशिक्षण सेवा
8. अन्य सिविल प्राविधिक सेवायें/पत्र जो समूह 'क' के अर्न्तगत आतें है।

टिप्पणीः–उपर्युक्त (क) अप्राविधिक वर्ग के अर्न्तगत ग्रुप–1 के समस्त पत्रों के लिये शारीरिक परीक्षण मेडिकल बोर्ड़ द्वारा किया जायेगा किन्तु ग्रुप –2 के अर्न्तगत केवल एक आंख के अभ्यर्थियों की दशा में मेडिकल बोर्ड़ द्वारा शारीरिक अनिवार्य होगा। ग्रुप 2 के अर्न्तगत एक आंख अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण समक्ष चिकित्साधिकारी द्वारा इन्ही विनियमों के अर्न्तगत कराया जायेगा।

2. किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु योग्य ठहराये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिसके कारण उसके पक्ष के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक विहित करने में कोई यात्रा पडने की संभावना हो।

3. क. जहां तक भारतीय (जिसके अर्न्तगत प्राप्त भारतीय भी है) के अभ्यर्थियों की वह, ऊँचाई और सीने के घेरे की माप के सहसंबंध के आंकडों (को–रिलेशन फिमर्स) कर प्रयोग करें जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझें। यदि अभ्यर्थी की ऊँचाई वनज और सीने के घेरे की माप के अनुपात में भिन्नता हो तो चिकित्सा बोर्ड़ अन्य उसे योग्य अर्थात किये भर्ती करके उसकी जांच की जानी चाहिए और उसके सीने का एक्स–रे लिया जाना चाहिये।

(ख) किन्तु कतिपय सेवाओं के लिये ऊँचाई और सीने के पैरे की माप के निम्नलिखत न्यूनतम मानक, जिनके निवा अभ्यर्थियों को सेवा में भर्ती के लिये स्वीकार नही किया जा सकता है निम्नलिखित है।

क्र.सं	विवरण	ऊँचाई	बिना फुलाये सीने की घेरे की माप	सीने के फुलाने पर
क.	पुलिस सेवा –1– पुरूष	165 से.मी.	84 से.मी.	5 से.मी.
	2– महिला	150 से.मी.	78 से.मी.	5 से.मी.
	3– कुमायु और उतराखंण्ड प्रयाग के और अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों के लिये	160 से.मी.	70 से.मी.	5 से.मी.
(ख)	अन्य सेवायें	160 से.मी.	84 से.मी.	5 से.मी.

टिप्पणीः उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिए आवृत्ति मानक केवल ऐसे पदो ंके लिए है जो राजपत्रित है और जिनके लिये अभ्यार्थियों का चयन लोक सेवा आयेाग द्वारा किया जाता है। पुलिस विभाग के मानक पूर्ववत लागू रहेगे।

4. अभ्यार्थियों की ऊचाई की माप निम्नलिखित रीति में ली जायेगीः–

वह अपने जूते उतार देगा और उसे मानक (स्टैन्डर्ड) के सहारे इस प्रकार से खडा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए और उसके शरीर का वनज उसकी एडी पर पड़े हुए (अंगूठे अथवा पैर के अन्य भाग पर पड़ने के बजाय)। वह अपने शरीर को ढीला रखकर इस प्रकार बिल्कुल सीधा खड़ा होगा कि उसकी एडियां, पिडलिया, नितम्ब और कन्धें मानक (स्टैन्डर्ड) से स्पर्श कर रहे हो और उसकी ठुड्डी को इस प्रकार झुकाया जायेगा कि सिर का शीर्ष स्तर समस्तर पट्टी (हारिजेन्टल गार) के नीचे आ जाये और ऊँचाई की माप सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर के आधे भाग तक अभिलिखित की जायेगी।

5. अभ्यर्थी के सीने की माप निम्नलिखित रीति से ली जायेगी।

डसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए हों और उसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हो। फीते से सीने के घेरे की माप इस प्रकार ली जायेगी कि फीते का ऊपरी सिरा पीछे की तरफ स्कन्धस्थियों (शोल्डर ब्लेड्स) के निम्न कोनी को स्पर्श करता हो और जब फीतें को सीने के चारों लपेट जाय तो वह असी समस्तर पर मना रहें है। तत्पश्चात बाहों को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि वे बगल में ढीली हालत में झुकाया जाय जिसमें फीता अपने स्थान से हट जाय। तदुपरान्त अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जायेगा कि वे (कई बार) गहरी सांस ले सीने के अधिकतम फैलाव को सावधानी पूर्वक नोट किया जायेगा और तत्पश्चात अधिकतम एवं न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटर में अभिलिखित किया जायेगा । माप अभिलिखित करतें समय आधें सेंटीमीटर से कम भाग को नोट नही किया जाना चाहिये।

टिप्पणीः– अभ्यर्थियों की ऊँचाई और उसके सीने के पैरों की माप के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व दो बार माप ली जानी चाहिए ।

6. अभ्यर्थी का वजन भी लिया जायेगा और उसके वजन को किलोग्रम में निम्नलिखित किया जायेगा और आधे किलोग्रम के किसी भाग को नोटबंदी किया जाना चाहिये।

7.राज्य सेवाओं, जिनमें उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) भी सम्मिलित है, में प्रथम प्रवेश के लिये विहित किये गये निम्नांकित दृष्टि शक्ति मानक (स्टैन्डर्ड) के अनुसार आभ्यर्थी की दृष्टि शक्ति की जांच की जानी चाहिये।

(1) राज्य सरकार के आधीन सेवाओं के लिये वर्णनीय मानव (स्टैन्डर्ड आफ कलर विजन)

1. **अप्राविधिक सेवायें**

समस्त श्रेणी (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) की अप्राविधिक सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए वर्णबोध से शक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए और उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए किन्तु वर्णबोध शक्ति के दोषपूर्ण होने की दशा में उसे उक्त सेवाओं में प्रवेश पाने के लिये अनर्हकारी नही समझा जाना चाहिये।

2. <u>प्राविधिक सेवायें</u>

1– <u>पुलिस सेवाएंः–</u> समस्त श्रेणी की पुलिस सेवाओं के लिए ''इशिहारा'' प्लेट पर यथारीक्षित दोषपूर्ण वर्णबोध को अनर्हकारी समक्षा जाना चाहिये।

2– <u>परिवहन सेवाएंः–</u> परिवहन विभाग के अधीन फोरमैन के पदो पर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती नही की जानी चाहिए जिनकी वर्णबोध (कलर विजन) परीक्षा ''इशिहारा'' प्लेट पर करने के उपरान्त उनका वर्णबोध दोषपूर्ण पाया जाय। परिवहन विभाग अन्य पदों पर भर्ती करने के लिये वर्णबोध के दोषपूर्ण पाये जाने के कारण सेवा में भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

3– <u>चिकित्सा सेवायेंः–</u> जो अभ्यर्थी प्रमुख वर्णो (अर्थात लाल,हरे,नीले और नीले वर्ण) के 235 से0मी0 व्यास वाले डिस्क पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त इन वर्णो कि स्थूल स्वरूप को पहिचान सवर्श हो, उन्हे चिकित्सा सेवाओं में भर्ती के लिये स्वास्थ्य दृष्टि से उपयुक्त समझा जाना चाहिये।

(1) सिंचाई सार्वजनिक निर्माण,विद्युत, व्यापार, शासन, और कृषि विभाग, जनसेवाओं और विभाग के अधीन राज्य प्रशिक्षण सेवाओं की अभियंत्रण सेवायें	(1) यदि अभ्यर्थी 2.5 से0मी0 व्यास के वर्ण रिस्क (कलर–रिस्क) पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त लाल,हरे और नीले वर्णो (के स्थूल स्वरूप) को पहिचान सकता हो तो इस इन सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त समझा जाना चाहिए। (2) उपर्युक्त सेवाओं में वास्तुशिलियों (आर्किटेक्स) के लिए यह आवश्यक है कि वे वर्णों में सूक्ष्म रूप से विभेद कर सके अतः उनके वर्णबोध का परीक्षण ''इशिहारा'' प्लेट पर किया जाना चाहिये और यदि परीक्षण के उपरान्त उनमे कोई दोष पाया जाय तो उसे अनर्हकारी समझा जाना चाहिये।
2. दृष्टि की तीक्ष्णताः– (एक्यूटी आफ विजन) (क) बिना चश्में के दृष्टि शक्ति (नेकेड थाई विजन) (ख) दूर और निकट की दृष्टि आश्रित नेत्र की श्रेणी प्राविधिक और अप्राविधिक दोनों ही की प्रथम और द्वितीय श्रेणी	नेत्र की दशा का कोई मानक निर्धारित नही हैं (न्यूनतम बिना चश्में से लिये गये दृष्टि शक्ति को) इस उद्देश्य से कि आंख की क्या दवा दशा है केवल अभिलिखित करये। (चश्मा या बिना चश्में के) <u>दूर दृष्टि शक्ति</u> <u>निकट दृष्टि शक्ति</u> <u>अच्छी आंख खराब आंख</u> <u>अच्छी आंख खराब आंख</u> 0/9 6/9 0.6 0.6 0/6 6/12

<u>(ग) अधिकतम अनुमन्य परिवर्तित</u>

दोष (रिफेविटव, एरर)

ऊपर निहित किये गये द्राष्टिक (विजुअल) मानकों को सुनिश्चित करने पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में जो (रिफेविटव एरर) अनुज्ञेय है। वह इस प्रकार हैः–

<u>(1) परिवहन और पुलिस सेवाओं की समस्त प्राविधिक सेवायेंः–</u>

(+) 6 डायोप्टर्स अथवा (–) 6 डायोप्टर्स (जिनमें सिलेण्डर्स भी सम्मिलित है) तक की चश्में द्वारा शुद्धी अनुमान्य होना चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि फंडस परीक्षा (फंडस इक्जामिनेशन) के उपरान्त कोई अपकर्यी परिर्वतन (डिजनरेटिव चेन्जेज) न पाये जायें और अल्प दृष्टि (मायोपिया) का दोष वर्द्धमान किस्म का न हो। यदि अल्प दृष्टि (मायोपिया) का अर्द्धचन्द्रकार विद्यमान हो और कोई अन्य अपकर्पी परिर्वतन न पाया जाय तो केवल इसी कारण से अभ्यर्थी को सेवा मे भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

<u>(2) अप्राविधिक सेवायेंः–</u>

(+) 6 डायोप्टर्स अथवा (–) 6 डायोप्टर्स (जिनमें सिलेण्डर्स भी सम्मिलित है) तक की चश्में द्वारा शुद्धी अनुमान्य होना चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि फंडस परीक्षा (फंडस इक्जामिनेशन) के उपरान्त कोई अपकर्यी परिर्वतन (डिजनरेटिव चेन्जेज) न पाये जायें और अल्प दृष्टि (मायोपिया) का दोष वर्द्धमान किस्म का न हो। यदि अल्प दृष्टि (मायोपिया) का अर्द्धचन्द्रकार विद्यमान हो और कोई अन्य अपकर्पी परिर्वतन न पाया जाय तो केवल इसी कारण से अभ्यर्थी को सेवा मे भर्ती के लिये अस्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

(3) उन अभ्यर्थियों के लिये शोसित दृष्टि (स्टैन्डर्ड आफ फरपेटस विजन) जिनकी वय प्रथम नियुक्ति के प्रथम 35 वर्ष या उससे अधिक हो।

टिप्पणी 1. अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के लिये एक आंख के अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य सयुक्त अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण इस विनियमों के अधीन पूर्ववत सक्षम चिक्तिसा अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा किन्तु एक आंख भी अभ्यर्थियों को अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत किसी पद पर चुनाव हो जाने की दशा में नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड़ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा और सम्बन्धित मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्यवाही होगी।

सस्पर्श वीश (कान्सटेबुलरी)– किसी अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षा के दौरान संस्पर्श वीशा के प्रयोग की अनुमति दी जायेगी। नेत्र परीक्षा करते समय यह आवश्यक है कि दुर दृष्टि शक्ति के लिये टाईप के अक्षरों को प्रकाशित और यह प्रकाश 15 फुट कैल्डिल का होना चाहिये।

टिप्पणीः– 1. अधीनस्थ अधीशासी सेवा (अराजपत्रित) के लिये एक आंख अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य समस्त अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण उन विनियमों के अधीन पूर्ववत् सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्पादित होगा किन्तु एक आंख के अभ्यर्थियों की अधीनस्थ अधिशासी सेवा (अराजपत्रित) के अर्न्तगत किसी पद पर चुनाव हो जाने के दशा में नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा और सम्बन्धित मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्यवाही होगी।

2. विनियम7 (7) में उल्लिखित उपर्युक्त दृष्टिक तीक्ष्णता (विजुएल एक्विटी) का शिथिलीकृत मानक प्राविधिक श्रेणी के पदों/सेवाओं जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भी सम्मल्लित है के लिये लागू नही होगा। संबंधित विभाग के लिये यह आवश्यक होगा कि चिकित्सा बोर्ड़ को यह सूचित कर कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा अप्राविधिक पद के लिये होना है या प्राविधिक पद हेतु।

3. उपर्युक्त मानक सभी विभागों पर ऊपर टिप्पणीः मे उल्लिखित अपवाद को छोड़कर सामान्य रूप से लागू होगें।

8. रक्त चाप (ब्लडप्रेशर)– चिकित्सा बोर्ड़ रक्त चाप के संबंध में अपने विवके का प्रयोग करेगा। सामान्य अधिकतम हृदय चाप (नार्मल मैक्सिमम सिस्टालिक प्रेशर) की गणना करने का स्थूल तरीका निम्नवत हैः–

1. 15 से 25 अगले वर्ष के पुरा व्यक्तियों के लिये औसत रक्त चाप 100 से अधिक और उसकी वय की जोडकर होगा।
2. 25 वर्ष से अधिक वय के व्यक्तियों के लिये औसत रक्त चप की गणना करने के लिये 110 में वय के आधे को जोडने का जो सामान्य नियम है। वह काफी संतोषजनक प्रतीत होता है।
   विशेष ध्यान दीजियेः– सामान्यतः यदि किसी अभ्यर्थी का हत्प्रकुचन चप (सिस्टलिक प्रेशर) 140 से अधिक ही और हतफारी चाप (डायोस्टालिक प्रेशर) 90 से अधिक होतो उसे सदेंहात्पद समझा जाना चाहिये और अभ्यर्थी की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध मे अपनी अंतिम राय देने या पूर्व बोर्ड़ को चाहिये िकवह उसे जांच के लिये आस्पताल में भर्ती कराये। अस्पताल में जांच की रिर्पोट में इस बात का संकेत होना चाहिये कि रक्त चाप जो नही हुई है। वह उत्तेजना आदि के कारण अस्थायी प्रकार की है अथवा किसी कार्यिक रोग (आर्गेनिक डिजिज) के कारण हो। ऐसे सभी मामलों में अभ्यर्थियो के हृदय और रक्त की

परीक्षा एक्स–रे, और (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ) किया जाना चाहिये तथा यूरिया उत्सर्जन परीक्षण भी नैत्यृक रूप से किया जाना चाहिये। किन्तु किसी अभ्यर्थी के योग्य अथवा अयोग्य होने के विषय में अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार केवल चिकित्सा बोर्ड़ को होगा।

रक्त चाप मापने का तरीकाः– रक्त चाप मापने के लिये नियमित मकेरी मेनोमीटर प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार का व्यायाम किये जाने अथवा उत्तेजना होने के पन्द्रह मिनट के भीतर रक्त चाप मी माप नही ली जानी चाहिये, प्रतिबन्ध यह है कि रोगी और विशेषकर उसकी दोनो बाहों ढीली ओं और वह या तो लेटा हो अथवा बैठा हो। रोगी की दोनों बाहों उसकी बगल में न्य बाधिक रूप से समस्तर स्थिति मे हों। बांह पर से कंधे तक कपड़ा हटा होना चाहिये। पूर्णतया वायु रहित कफ का बांह के अन्दर की तरफ रबड के बीचो बीच इस प्रकार लगाया जाना चाहिये कि उसका निचला भाग कोहनी के मोड़ से 2.5 सेंटीमीटर अथवा 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। उसके बाद कपड़े को पट्टी की परतों को थैले के ऊपर समतल रूप से फैलाया जाना चाहिये ताकि हवा भरते समय फुलने न पायें।

कोहनी के मोड़ के ऊपर स्पन्दन द्वारा बांह धमनी (वैकियल आर्टरी) का पता लगाया जाता है। तदुपरान्त नीचे की ओर इसके ऊपर (स्टेस्थकोप) को हल्के तौर पर और बीचोबीच इस प्रकार लगाया जाता है कि कफ से उसका कोई संबंध न रहे। कफ मे लगभग 200 मीलीमीटर एन0जी0 तक हवा भरी जाती है और तदुपरान्त धीरे–धीरे उसमें से हवा निकाल दी जाती है। और जब कर्मिक रूप से युद्धध्वनि सुनाई पडती है। उस स्तर पर हृत्प्रकुंचन चाप (सिसटोलिक प्रेशर) को व्यक्त करता है। उसमें से और हवा निकालने पर ध्वनि और अधिक में परिवर्तित हो जाती है वह हृत्प्रफारी (हाइस्टोलिक) माप को करता है रक्त चाप को माप गति अल्प समय में ली जानी चाहिये क्योंकि कफ का अधिक देर तक दबाव पडनें पर रोगी की उत्तेजना आ जाती है और पाशांक बेकार हो जाता है। यदि पुनः जांच करना आवश्यक होतो कफ से पूर्णतया हवा निकालने के कुछ मिनट बाद ही यह माप की जानी चाहिये । कभी कभी जब कफ से हवा निकालो वाली है तब विषय स्वरो पर ध्वनि सुनाई पडनी है जब कफ हो जाता है यह ध्वनि बन्द हो जाती है

अब में शर्करा विद्यमान है तो बोर्ड़ द्वारा अन्य सभी पहलुओं के संबंध मे जांच करेगा और यह विशेष रूप से की हो ऐसा चिन्ह अथवा लक्षण नोट करेगा जिससे मधुमेह का पता लगता हो। यदि मधुमेहता (ग्लाइकोसुरिया) के अलावा बोर्ड़ योग्य घोषित करेगा कि उसकी मधुमेहेतर (नाम डायवटिक) है और बोर्ड़ और बोर्ड़ उस मामले को जांच के लिये किसी ऐसे विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ (विलनिकल) और प्रयोगशाला संबंधी सभी जांच करेगा जिसे वह आवश्यका समझें और इस जांच में मानक रक्त शर्करा सहन परीक्षण (स्टैन्डर्ड शुगर टालरेंस टेस्ट) भी सम्मिलित होगा और तदुपरान्त वह अपनी राय चिकित्सा बोर्ड़ की प्रस्तुत करेगा। जिसके आधार पर चिकित्सा बोर्ड़ अभ्यर्थी के 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' होने के बारे में अपनी अंतिम राय निश्चित करेगा। एक दूसरे अवसर पर अभ्यर्थी से इस बात की अपेक्षा नही की जायेगी कि वह बोर्ड़ के समक्ष स्वयं उपस्थिति हो। दवाओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिये किसी अभ्यर्थी को कठोर पर्यवेक्षण के अधीन अस्पताल में कई दिनों तक रोक रखना आवश्यक हो सकता है।

निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में जो व्यय अर्न्तग्रस्त होगा वह सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वह किया जायेगा–

(क) चिकित्सा विशेषज्ञों की फीस

(ख) अस्पताल की आवास फीस जिसका तात्पर्य आदेशित पद की श्रेणी के अनुसार स्पेशल बार्ड में आवास की फीस से होगी।

(ग) प्रयोगशाला फीस चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा रक्त शर्करा परीक्षण के निमित्त मांगी गई हो।

निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिये :–

(क) अभ्यर्थी के प्रत्येक कान के श्रवण शक्ति अच्छी है और कान में किसी रोग के लक्षण नही पायें जाते हैं। यदि अभ्यर्थी के कान में कोई की जांच कर्ण विशेषज्ञ से कराई जानी चाहिए प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी के श्रवण शक्ति में कोई ऐसा दोष होतो शल्य कर्म अथवा श्रवण सहाय (हियरिंग एस) के प्रयोग द्वारा साध्य हो, तो उसे इस कारण अनुपयुक्त घोषित नही किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि उसके कान में कोई वर्तमान रोग विद्यमान न हो।

विशेष ध्यान :– यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षाऐं से 305 सेमीमीटर के दूरी पर उसके तरफ अपनी पीठ करके किये गये फुसफुहाट को सुन सकता हो तो उसे भर्ती के योग्य समझा जाना चाहिये। अभ्यर्थी का प्रत्येक कान का परीक्षण पृथक रूप से किया जाना चाहिये और परीक्षण के दौरान दूसरे कान को तेल युक्त उनी कपउे से बन्द कर दिया जाना चाहिये।

(ख) यह बोलने में हकलाता/ हकलाती हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है। यदि प्रभाव कारी ढंग से पयर्ण (मैस्टीकेशन) के लिए यथा आवश्यक कृत्रिम दांत लगे हुए हो (अच्छी तरह से भरे हुए दांतो को अच्छी दशा में समझा जायेगा)।

(घ) उसके सीने की बनावट अच्छी हो और उसके सीने का फैलाव पर्याप्त हो और उसका हृदय फेफडे अच्छी दशा में हो।

(ड.) किसी उदर संबंधी रोग का कोई लक्षण न हो।

(च) उसे आंत उतरने (हर्निया) का रोग न हो।

(छ) वह अण्डवृद्धि (हाइड्रोसिल) से गम्भीर से अण्ड़ शिरा फूली हुई क्यों (वेरीकील) या बवासीर से पीड़ित न हो।

(ज) उसके हाथ और पैर पूर्ण गठित और सुविकसित हों तथा न्य

(झ) वह किसी पुराने चर्म रोग से न पीड़ित हो।

(ट) उसको कोई जन्मजात विकृति या खराबी व हो।

(ठ) उसके शरीर पर किसी ऐसे पुराने रोगो का सुराग न हो जिससे उसके शरीर की बनावट की क्षीणता का पता चलता हो।

सभी मामलों में सीने की स्कीनिंग की जानी चाहिये जिसमे कि यदि हृदय और फेफड़े में कोई असामान्यता हो तो उसका पता चल सके, क्योंकि हो सकता है कि उसका पता साधारण शारीरिक जांच से नही लग पाया है। जहां आवश्यक समझा जाय, वह एक्स–रे चित्र ले लिया जाय।

जब कोई दोष पाया जाये तो उसे प्रमाण पत्र में प्रवेश अंकित किया जाय तथा परीक्षक को अपनी राय देनी चाहिये कि उससे (बीमारी से) उन कर्तव्यों के भली–भांति निवर्हन मे, जिनकी कि अभ्यर्थी से करने की अपेक्षा कि जायेगी अड़चन पहुचाने की सम्भावना है अथवा नहीं। यदि उसके दशा आपरेशन द्वारा ठीक हो सकती है तो उसका उल्लेख किया जाय।

टिप्पणीः– अभ्यर्थी की आगाह किया जाता है कि (उन्हें) उक्त सेवाओं के लिये अपनी उपयुक्तता निश्चित करने के लिये नियुक्त विशेष अथवा स्थायी चिकित्सा बोर्ड़ से अपील करने का कोई अधिकार न होगा। परन्तु फिर भी पद प्रस्तुत साक्ष्यों से पहले बोर्ड़ के निर्णय संबंधी मूल की सम्भावना के बारे में सरकार का समाधान हो जाय को यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह अपीलक के दूसरे बोर्ड़ द्वारा जांच किये जाने की अपील की अनुमति देदे। ऐसा साक्ष्य उस पत्र के जिससे अभ्यर्थी को प्रथम चिकित्सा बोर्ड़ के निर्णय की सूचना दी गई हो, दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये, नही तो द्वितीय चिकित्सा बोर्ड़ के प्रति अपील किये जाने की किसी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम बोर्ड़ के निर्णय में किसी निर्णय संबंधी मूल की संभावना के बारें में कोई चिकित्सा प्रमाणक साक्ष्य के अंग के रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो उस प्रमाणक पर तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक उसके साथ सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रैक्टिशनर) की इस आशय की टिप्पणी न दी गई हो कि यह

(प्रमाणक) इस तथ्य की पूरी जानकारी रखते हुए दिया गया है कि अभ्यर्थी को पहले ही चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा सेवा के लिये अनुपयुक्त करार दिया जा चुका है।

चिकित्सा बोर्ड़ की रिपोर्ट

चिकित्सक परीक्षक के मार्ग–निर्देशन हेतु निम्नलिखित सूचना दी जाती हैः–

शारीरिक उपयुक्तता सम्बन्धी मानक स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध अभ्यर्थी की आयु तथा सेवा काल यदि बोर्ड़ हो के लिये समान रियायत दी जानी चाहिए।

सरकारी सेवा में भर्ती किये जाने के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को अर्ह नही माना जायेगा जिसने यथास्थिति शासन अथवा नियुक्ति अधिकारी को इस बार में संतुष्ट न कर दिया हो कि उसे कोई ऐसा रोग, शारीरिक गठन संबंधी बीमारी अथवा शारीरिक निर्बलता नही है जो उसे उस सेवा के लिये अनुमन्य निल करनी हों अथवा जिसने उसके अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना हो।

यह समझ लिया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयुक्तता का प्रश्न वर्तमान के साथ–साथ भविष्य से भी जुडा हुआ है और अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य सेवा कराने का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हैं कि वे बराबर कारगर ढंग से सेवा करते रहेंगे और स्थायी रूप से नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उन्हें इतना स्वास्थ्य होना चाहिए कि उन्हे शीघ्र पेंशन न देनी पड़े और न ही अकाल मृत्यु होने की दशा में भुगतान करना पड़े। इसके साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रश्न है यतन् कारगर सेवा की सम्भावना का और किसी अभ्यर्थी को इस आधार पर अस्वीकृत किये जाने का परामर्श देने की आवश्यकता नही है। कि उसके शरीर में कोई ऐसा दोष है जिससे उसके बराबर कारगर ढंग से सेवा करने में थोडी बाधा पड़ सकती है।

चिकित्सा बोर्ड़ की (रिर्पोट गोपनीय रखी जानी चाहिए)

उस दशा में जब कि कोई अभ्यर्थी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग घोषित किया जाता है तो अस्वीकृत किये जाने के आधार सूक्ष्म विवरण दिये बिना अभ्यर्थी को तौर पर सूचित कर दिये जाये।

उस दशा में जबकि चिकित्सा बोर्ड़ यह समझता है कि किसी मामूली विकलांगता से कोई अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिये आयोग्य सिद्ध हो रहा है और उसे (चिकितसक या शल्य किया संबंधी) उपचार, द्वारा ठीक किया जा सकता है तो चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा इस आशय का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड़ की इस प्राधिकारी पर निर्भर होगा कि यह दूसरे नियुक्ति बोर्ड़ से दान लिये जाने की मांग करें।

उन अभ्यर्थियों मामले जिन्हें ''साक्ष्यमी पर पर्याप्त'' घोषित किया जाना हो उनको फिर से जांच किये जाने की निर्धारित अवधि सामान्यता छः माह से अधिक न होगी। निर्धारित अवधि के बार फिर से जांच करने पर इन को किसी और अवधि के लिये परमापी तोर पर आयोग्य घोषित नही किया जाना चाहिए किन्तु नियुक्ति के उनका योग्य होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाना चाहिए।

अभ्यर्थियों के विवरण तथा घोषणा का प्रपत्र

.....पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण

चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपनी जांच किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी नीचे दिया गया विवरण भरे और उसमें उसका घोषणा पर उक्त बोर्ड़ के समक्ष हस्ताक्षर अवश्य करें।

1– अभ्यर्थी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)

2– जन्म स्थान

3– आयु तथा जन्म–तिथि

अभ्यर्थी को पासपोर्ट के प्रकार का अपना हाल का चित्र यहां चिपकाना चाहिए।

4– परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें

पिता की आयु, यदि जीवित हो, तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु के कारण	जीवित भाइयों की संख्या उनकी आयु तथा स्वास्थ्य संबंधी दशा	मृत भाइयों की संख्या/मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

मां की आयु यदि जीवित हो तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय मां की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या/उनकी आयु और उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत बहनों की संख्या मृत्यु के समय उनके आयु तथा मृत्यु का कारण

5– क्या आपका कोई निकट सम्बधी क्षय रोग(तपेदिक,कण्ठमाला, कैंसर, दमा, दौरे, मिरगी, विक्षिप्तता अथवा अन्य स्नायु रोग) से ग्रस्त था।

6–क्या आप कभी विदेश गये हैं। यदि हो तो कहा और कितनी अवधि के लिये और तबसे कितना समय बीता चुका है?

7–क्या आपको कभी न सेना, स्थल सेना, अथवा किसी सरकारी विभाग में कार्य किया है?

8–क्या आपको जान कभी (क) जीवन बीमा के लिये अथवा/और (ख) राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी असैनिक (सिविल) अथवा सैनिक चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा की गई है यदि हां तो उसके ब्योरे दीजिये और उसके परिणाम बताइए।

9– क्या आपको जान कभी (क) चेचक निकाली है, कोई अन्य विसर्गी ज्वर हुआ है, गिल्टियां बढी है अथवा अनमे पीप पड़ा है मुह से खून निकलता है दमा हुआ है। फेफडों मे सूजन या कोई रोग उससे संबंधित हुआ है फुफ्फूसावरण शोध (फ्लूरिस) हुआ है, हृदय रोग हुआ है दौरे पड़े है, गठिया हुआ है उपावाह (अपैन्डिसाइटिरा) हुआ है मिरगी हुई है विक्षिप्तता अथवा अन्य स्नायु रोग हुआ है कान वहां है अथवा कान का अन्य रोग हुआ है सर्वया हुआ है सुजाक हुआ है (ख) कोई अन्य रोग हुआ है अथवा चोट लगी है जिसके कारण शैय्याग्रस्त होना पडा हो अथवा जिसके कारण चिकित्सक अथवा शारीरिक उपचार आवश्यक हो गया है। अथवा

(ग) कोई चिकित्सक प्रर्दिशत कराया है अथवा

(घ) सक्रिय

10–क्या आपको आंत उतरने का रोग है ?

11– क्या आपको अण्डशिरवृद्धि हुई है सूजी हुई है, सुजी हुई शिरा वाली नसें हैं, लकवा बवासीर है ?

12– क्या आपको हर एक आंख की दृष्टि अच्छी है जो अभ्यर्थी चश्मा पहनते है वे कृपया नुसखा अथवा अपने चश्में साथ लायें।

13– क्या आपको हर एक कान से अच्छी तरह सुनाई देता है ?

14– क्या आपको कोई जन्मजात अथवा जन्मेत्तर विकृति दोष अथवा विरूपता है ?

15– आपको पिछला चेचक का टीका कब लगा था ?

16– क्या आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई और मामला भी है जो उपर्युक्त प्रश्नों के अर्न्तगत न आया हो तथा जिसे चिकित्सा बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

(चिकित्सा बोर्ड़ के समक्ष हस्ताक्षर किये जायं)

मै घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी उत्तर जहां तक मेरा विश्वास है सही और ठीक है।

मैं चिकित्सा बोर्ड़ के समक्ष उन समस्त परिस्थितियों की पूरी तरह प्रकट कर दूगां/दूगी, जिनकी मुझे जानकारी है और जो कि उस पद के लिये जिसका कि मैं अभ्यर्थी हूँ मेरे स्वास्थ्य और योग्यता से सम्बन्धित है।

मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूँ कि किसी सूचना को जानबूझ कर छिपाने से मुझे नौकरी न मिलने या उसे छोड़ने का यदि (उक्त नौकरी) प्रदान की जाती है जोखिम उठाना पड़ सकता है।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

श्री/श्रीमती/कु0.....की जांच चिकित्सा बोर्ड़ द्वारा की गई है और उसके प्रतीक स्वरूप पृष्ठ पर नयी फोटो तथा उनका उपर्युक्त हस्ताक्षर मेरे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक.....

अध्यक्ष,चिकित्सा बोर्ड़

(मोहर)

चिकित्सा (मेडिकल) बोर्ड़ की रिपोर्ट

ऊँचाई.....

वजन.....

अभ्यर्थी के पहचानने के निशान

का परिधि { पूरी सांस खीचने के बाद.....

पूरी सांस निकलने के बाद.....

प्रश्न	उत्तर	अप्युक्ति

1– क्या पिछले पृष्ठ पद दिये गये घोषणा–पत्र पर अभ्यर्थी के
हस्ताक्षर किये गये है ?
2– क्या जन्मजात या बाद में होने वाली विकृति के कोई लक्षण है ?
3–क्या उसके शरीर पर कोई निशान नही है और क्या वह अपने सभी
रोंगो का पूरेचित समाधान कर पाया है ?
4– क्या निश्चित रूप से शारीरिक बनावट के विकृति होने अथवा
उसकी किसी आंत के कोई संकेत मिलते है।
5– क्या पिछले सात वर्षों के भीतर अभ्यर्थी के अ रूप से वक्र का टीका
लगाया गया है ?
6– क्या उसमें स्नायु तंत्र के रोग के कोई लक्षण हैं?
7– क्या उसे अच्छी तरह सुनाई पडता है ?
8– क्या अच्छी तरह से दिखाई देता है ?
9– जहां तक स्पष्ट उच्चारण का सम्बन्ध है क्या वह अच्छी तरह से
बोल सकता है ?
10– क्या हड्डियों, जोडों या उससे सम्बन्धित शरीर के किसी भाग में
रोग के कोई लक्षण हैं?
11– क्या वह कोई गम्भीर चर्म रोग से ग्रस्त है ?
12– क्या उसका हृदय और धमनी स्वस्थ हैं ?
13– क्या अभ्यर्थी के (खूनी) बवासीर, अण्डकोष सूजी, शिरा वृद्धि या अन्य
नाड़ी संबंधी रोग है।
14– क्या उसके सांस लेने से सम्बन्धित अंगों में किसी रोग के कोई संकेत मिलतें हैं ?
15– क्या उसके पाचक अंगो के रोग के कोई लक्षण हैं क्या उसके दांत गम्भीर रूप
से खराब हैं अथवा किसी और प्रकार से रोग ग्रस्त हैं ?
16– क्या अभ्यर्थी आंत के उतरने की बीमारी से युक्त है ?
17– क्या जनन सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण मिलते हैं ?
18– क्या उसका मूत्र (1)अल्वीरीन (2)शकर (सुगर) की बीमारी से युक्त है ?
क्या उसका मुत्र अन्यथा सामान्य है ?
19– क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी है जिससे कि दक्षतापूर्वक
कार्य निर्वहन करने के लिये उसके अनुपयुक्त ही जाने की सम्भावना है ?
20– क्या अभ्यर्थी को दक्षता पूर्वक और विकृति रूप से कर्तव्यो का निर्वहन करने
के लिये सभी प्रकार से योग्य समझते है ? अथवा अनुपयुक्त अथवा थोडे समय के
लिये अनुपयुक्त है ?

.....

.....

स्थान –
दिनाक–

हस्ताक्षर
अध्यक्ष,चिकित्सा बोर्ड़

मोहर

To,

1-All Heads of Department and Principal
Heads of Officers,
2- All Commissioners of Divisions,
Uttar Pradesh.
3- All District Officers
Uttar Pradesh.

Appointment (B) Deptt. Dated, Lucknow, April 28, 1958

Subject:- Verification of the character and antecedents of government servants before their first appointments.

I am directed to refer to Appointment (B) Department Secret G.O.no. 2712/II-B- 321-1947, dated November 9, 1953 in which detailed instruction were issued regarding the method of verification of character and antecedents of candidates for appointment under the State Government. These instructions were later on revised in this Department Secret G.O. no. 4637/IIB-321-47, dated December 4, 1957. it has been noticed that difficulty is being experienced by some appointing authorities in correctly interpreting the instruction issued in the Government Order, dated December 4, 1957. It has also been found that these instructions are not fully comprehensive to cover all the cases. the Governor has therefore been pleased to lay down the following instructions in supersession of all the previous orders on the subject.

The rule regarding character of candidates for appointment under the state Government shall continue to be as follows:

"The character of a candidate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service or post to which he is to be appointment. It would be the duty of the appointment authority to satisfy itself on this point.

3- (a) Every direct recruit to any service under the Uttar Pradesh Government will be required to produce:

(i) A certificate of conduct and character from the head of the educational institution where he last studied (if he went to such an institution).

(ii) Certificates of character from two persons. The appointing authority will lay down requirements as to kind of persons from whom is desires these certificates.

(b) In cases of doubt, the appointing authority may either ask for further references, or may refer the case to the District Magistrate concerned. The District Magistrate may then make such further enquires as he considers necessary.

Note:- (a) A conviction need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of Government as by law now established in free India the mere conviction need not be regarded as disqualification.(Conviction of a person during his childhood should not necessarily operate as a bar to his entering Government service. The entire circumstances in which his conviction was recorded as well as the circumstances in which he is now placed should be taken into consideration. If he has completely reformed himself on attaining the age of understanding and discretion, mere conviction in childhood should not operate as a bar to his entering Government service).

(b) while no person should be considered unfit for appointed solely because of his political opinions, care should be taken not to employ persons who are likely to be disloyal and to abuse the confidence placed in them by virtue of their appointment. Ordinarily, Persons who are actively engaged in subversive activates including members of any organization the avowed object of which is to change the existing order of society by violent means should be considered unfit for appointment under Government. Participation in such activities at any time after attaining the age of 21 years and within three years of the date of enquiry should be considered as evidence that the person is still actively engaged in such activities unless in the interval there is positive evidence of a change of attitude.

(c) Persons dismissed by the Central Government or by a State Government will also be deemed to be unfit for appointment to any service under this Government.

In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar Pradesh Government besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in the Deputy Inspector General of Police, Intelligence and the District Magistrate 1[of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the report in respect of the candidates from the Superintendent of Police who will consult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquires on the spot, but shall report from their records whether there is anything against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate, at the instance of the appointing authority asks for an enquiry on then report his own views to the appointing authority. Where the District Magistrate may give the candidate a hearing before sending his report.

(d) In the case of direct (who are lower in rank then that of a State Service Officer) of :

(i) the police (including ministerial staff of police Offices),
(ii) the secretariat,
(iii) the Staff employed in Government factories,
(iv) powerhouses and dams,

1- Substituted vide G.O. no. 3780/II B-321-1947, dated June 11, 1959.
2- Added vide G.O.no. 57/II B- 212-1960, dated May 22, 1961.

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3 (a) above the appointing authorities shall refer all case simultaneously to the Deputy Inspector General C.I.D. and the District Superintendent of Police, 1[of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The Superintendent of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. in cases where the report is unfavorable the Superintendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate concerned give him a hearing and then, from his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report, the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will thereafter be sent to the appointing authority.

4- It will be seen that in cases of direct recruits to services other than those mentioned in paragraph 3(c) and 3(d) above, verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure in paragraph 3(b) shall be followed.

5- In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above-

(i) if at the time of enquiry the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh or if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enquiry for a period of one year or more it shall be the duty of the Deputy Inspector General, C.I.D. to consult also the C.I.D. of the State concerned in which the locality is situated before Making his verification reports.

(ii) if the candidates was residing before partition in area now compressing Pakistan, the Deputy Inspector General, C.I.D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India in Addition to the usual enquiries as indicated above.

6- It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves, Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7- Other State Government and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will henceforth be done according to the procedure adopted in the case of recruits to different categories of services under this State Government.

8- In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government employment from securing employment in a subordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3(a), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the

from appended as Annexure III to this letter. If he is discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9- All question arising from these orders shall be referred to Government in the Appointment (B) Department for decision.

10- A from each of (i) Particulars about the candidate, (ii) Character Certificate and (iii) Statement of candidates to be used by the enquiring officers is annexed to this letter.

Yours faithfully
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv

उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–4

.....

संख्या 1648/47–का–4–90–48–79

लखनऊ, 7 फरवरी, 1991

सा0प0नि0–9

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–**
   1. यह नियमावली उत्तर पदेश राज्य सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 कही जायेगी।
   2. यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
   3. यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य कलापों के सम्बनध में कोई सिविल पद धारण करते हों जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।
2. **अध्यारोही प्रभाव :–** इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।
3. **परिभाषएं :–** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

   (क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

   (ख) ''संविधान '' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है,

   (ग) ''संवर्ग'' का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है,

   (घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

   (ड.) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

   (च) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

   (छ) ''धारणाधिकारी'' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को चाहे, वह स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण, करने के अधिकार या हक से है,

   (ज) ''विहित'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, विहित से है।

   (झ) ''सेवा'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है।

   (ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदार्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

4. स्थायीकरण जहां आवश्यक हैः— 1. किसी सरकारी सेवका का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्त्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

2. ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगाः—

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकारी न हो,

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन,

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरणः— इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर जहां भर्ती का एक स्त्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाय तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

5. स्थायीकरण जहां आवश्यक नही हैः— 1. स्थायीकरण तब आवश्यक नही होगा, जब कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में जिसमें भर्ती का स्त्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।

2. उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को व सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होतें।

3. जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में संबंधित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण संतोषजनक नही रहा है। या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढा सकता है।

4. जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नही होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाया।

दृष्टान्त— 1. ''लेखपाल सेवा नियमावली'' में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्त्रोत सीधी भर्ती है। ''क'' लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ''क'' को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

2. ''ख'' तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली , 1982, के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। ''ख'' को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले मद पर स्थायी करना होगा।

3. ''ग'' को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभिन्यता के रूप में नियुक्ति किया जाता है और ''घ'' को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स,1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत

किया जाता है। ''ग'' और ''घ'' दोनो को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्त्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्त्रोत है।

4. ''ड.'' सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। ''ड.'' को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नही होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र स्त्रोत प्रोन्नति है।

5. उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है ''च'' एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम 5 के उप नियम (1) के अर्न्तगत आएगा और ''च'' को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नही करना होगा।

6. उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नही होगा।

6. **वे पद जिन पर ये नियम लागू नही होंगेः—** ये नियम वहा लागू नही होंगे जहां नियुक्तियां उन अधिष्ठानों के पदों पर की जाएं जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हों, जैसे कि समितियां जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधिके लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

7. **धारणाधिकार रखने का अधिकार :—** ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया है या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहां परिवीक्षा विहित नही है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथास्थिति, यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

8. **व्यावृत्तिः—** इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली -1991

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/2/91-टी0सी0-का-1-1991

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1991

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग-एक
प्रारम्भिक

(1)– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- लागू होनाः– यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तो के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

3- अध्यारोही प्रभावः– यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4- परिभाषएंः– जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में –

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है :

(ख) ''संवर्ग'' का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी प्रथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है:

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है :

(घ) ''समिति'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;

(ड.) ''पोषक संवर्ग'' का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय;

(च) ''सेवा'' का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;

(छ) ''सेवा नियमावली'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के प्श्चात की गई हो।

(झ) ''वर्ष'' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग –दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5- **उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं** :-

जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए, व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति , आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है :

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्श्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरणः– जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक–पृथक चयन किए जाएं तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएंः– जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरणः– पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के प्श्चात की गई हों, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी यही ज्येष्ठता पुन' प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

7. जहां स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएः– जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां उक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्ति किये गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने–अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरणः– जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्ति किया जाय तो वहां दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्ति निरन्तर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगेः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्श्चातवर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जायः– जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गए हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगाः–

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में व्िल रहता है, कारणों का विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(दो) किसी एक चयन के परिणामस्वरुप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्तयों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(तीन) जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरुप नियुक्तिया पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहा पदोन्नत व्यक्तियों की,सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

दृष्टान्त–(1) जहा पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अदुपात में हो वहा ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगीः–

प्रथम	...पदोन्नत व्यक्ति;
द्वितीय	...सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी

(2) जहा उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहा ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी–

प्रथम	...पदोन्नत व्यक्ति;
द्वितीय से चतुर्थ तक	...सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति;
पाचवा	...पदोन्नत व्यक्ति;
छठा से आठवा	...सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाए,वहा कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।

(दो) जहां किसी स्त्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखें जायेंगे। जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्त्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्त्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हो।

भाग तीन
ज्येष्ठता सूची

9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जानाः–

(1) सेवा नियुक्तियां होने के प्श्चात यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियों आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नही की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के प्श्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उसे संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नही होगा।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956

20 आचरण नियमावली :– लोक सेवकों से कर्तव्यपरायण, ईमानदार, अनुशासित एवं चरित्रवान होना अपेक्षित है। प्रत्येक सरकारी सेवक के आचरण से शासन की छवि प्रतिबिंबित होती है क्योंकि सरकार एवं कर्मचारी के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध होता है। स्वामी द्वारा अपने सेवकों से यह अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि सेवक अपने कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार व्यवहृत करें कि उससे स्वामी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव न पडें। सेवकों का कोई भी दुराकरण सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। अतः संविधान के अनुच्छेद 309 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अपने सेवकों को जनता के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन करने में आचरण विनियमन करने के लिए आचरण नियमावली का निर्माण करते हैं।

इस लेख के अध्ययन के उपरान्त राज्य कर्मिकों को आचरण नियमावली के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी तथा इस दिशा में उनके कर्तव्यों के संबंध में जानकारी हो सकेगी। वह अपने अधीनस्थ कर्मिकों को इन नियमों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे।

प्रस्तुत लेख में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियमों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

नियम–1. संक्षिप्त नामः–

1. ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956/2014 कहलाएगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2. परिभाषाएँः– जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में–

1. **सरकार** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
2. **सरकारी सेवक** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यों के सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

नियम 2 में नये नियम का बढाया जाना :– उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली, 1956 में विधमान नियम ''3–क'' के पश्चात् नया नियम ''3–ख'' बढा दिया जाएगा, अर्थातः–

शिकायत समिति की रिर्पोट पर कार्यावाहीः– ''3–ख'' यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत कार्य स्थल के प्रभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी को की

जाती है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जांच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति (जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा) गठित करता है तो ऐसी शिकायत समिति की रिर्पोट/निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपचारी सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकता है और एक पृथक जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

व्याख्याः– इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा सरकारी कर्मचारी किसी विशेष समय में किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार में प्रति नियुक्ति पर हो अथवा उसकी सेवा कुछ समय के लिये उस राज्य को अर्पित कर दी गयी हो, उस अवस्था में भी वह उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के अर्न्तगत ही आयेगा।

3. परिवार के सदस्य **के अंर्तगत सरकारी सेवक की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली चाहे वह उसके साथ निवास करती हो या नही, और महिला सेवक के संबंध में उसके साथ रहने वाला उस पर आश्रित उसका पति।**

व्याख्याः– उपरोक्त में से वही परिवार सदस्य होंगे जो सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों। उल्लेखनीय है कि परिवार का सदस्य होने के लिये आयु महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिये यदि किसी सरकारी सेवक के पुत्र की आयु 24 वर्ष है तथा वह अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह इसके लिये अपने पिता पर आश्रित है तो वह परिवार का सदस्य है। पर यदि वह कही सेवा में है या उसका अपना व्यापार है तथा भरण पोषण के लिये **सरकारी सेवक पर आश्रित** नही है तो परिवार का सदस्य नही माना जायेगा।

सरकारी सेवक पर आश्रितः– उपर स्पष्ट किया गया है कि जो भी सदस्या सरकारी सेवक पर आश्रित होगा वही परिवार का सदस्य माना जायेगा। उपरोक्त परिभाषा के सम्बन्ध में यह बताना भी उचित होगा कि ऐसा पत्नी या पति परिवार के सदस्य नहीं माने जायेंगे जो वैध रूप से सरकारी सेवक के परिवार से अलग हो गये हों अथवा ऐसे पुत्र, सौतेले पुत्र, अविवाहित पुत्री या सौतेले पुत्री भी परिवार के सदस्य नहीं होंगे, जो सरकारी सेवक पर अब किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिनकी अभिरक्षा से विधिक रूप से सरकारी सेवक द्वारा बेदखल कर दिया गया हो।

इस सन्दर्भ में 'आश्रित' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। आश्रित का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सरकारी सेवक पर भरण पोषण या जीवन यापन के लिये पूर्ण रूप से निर्भर हो । परिवार के सदस्यों के सन्दर्भ में जिनके आचरण के लिये सरकारी सेवक जिम्मेदार हो, उनका अपने भरण पोषण के लिये सरकारी सेवक पर आश्रित होना आवश्यक है।

नियम 3 में कहा गया है कि –

1. **प्रत्येक सरकारी सेवक पूरे समय परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा।**
2. **प्रत्येक सरकारी सेवक पूरे समय व्यवहार तथा आचरण विनियमित करने वाले विशिष्ट या अन्तनिर्हित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।**

वस्तुतः सरकारी आचरण नियमावली का नियम–3 **सबसे महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित है** इस नियम में प्रयुक्त किये गये कुछ बिन्दुओं पर विश्लेषण आवश्यक है।

पूर्ण सत्यनिष्ठा का अर्थ सच्चाई, ईमानदारी एवं शुद्धता है। यदि किसी सरकारी सेवक से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखने की अपेक्षा की जाय तो यह कहा जायेगा कि वह अपने को उस प्रशासकीय शिष्टता के घेरे में रखे जिसे सभ्य प्रशासन कहा जाता है घूस लेना या अवैध पारितोषिक की मांग करना, अपनी आय के अनुपात से अधिक की सम्पत्ति क्रय करना या गलत लेखा तैयार करना, दुर्विनियोजन करना, गलत व्यक्ति को प्रोत्साहित करना आदि कुछ ऐसे उदाहरण है, जो सत्यनिष्ठा के विपरीत हैं।

कर्तव्य परायणता की परिभाषा सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा से सम्बन्धित है। ऐसा सरकारी कार्मिक जो कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, दुराचरण का दोषी है। वास्तव में सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता एक ही के प्रतिरूप हैं, जिनका एक–दूसरे के बगैर अस्तित्व नहीं हैं।

विशिष्ट आदेश

शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वैधानिक आदेश हैं। हर सरकारी सेवक चाहे वह अस्थाइ हो अथवा स्थाई या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा नियोजित हो, को ऐसे आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

अन्तर्निहित शासकीय आदेश

जारी किये गये आदेशों के अतिरिक्त कुछ अलिखित आचरण संहिता भी है। अलिखित आचरण संहिता के अर्थ सर्वत्र मान्य ऐसे आचरण से है, जिसका पालन सरकारी सेवक के लिये आवश्यक है। उदाहरण के लिये सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि **वह शालीनता की मर्यादा में रहे।** वह आज्ञाकारी, निष्ठावान, सावधान, ईमानदार, समय का ध्यान रखने वाला, अच्छे व्यवहार करने वाला अपने कार्य के निष्पादन में दक्ष हो।

यदि सरकारी सेवक सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायण नहीं है, यदि वह विशिष्ट या ध्वनित आदेशों का अनुपालन नही करता है तो उसका कृत दुराचरण की श्रेणी में आयेगा। यह भी ध्यान रखें जाने की बात है कि दुराचरण केवल सरकारी कार्य से ही संबंधित नहीं है। निजी

जीवन का आचरण भी दुराचरण हो सकता है। यदि कोई कार्मिक अपने निजी जीवन में कोई ऐसा कृत्य करता है जो सरकारी सेवा के समय नही किया गया है तथा वह कृत्य अनैतिक है, तो भी उसका कृत्य दुराचरण की श्रेणी में आयेगा। वस्तुतः राज्य कर्मिकों से आचरण के कतिपय मानक की अपेक्षा न केवल कर्मचारियों के सरकारी कार्यों वरना निजी जीवन में भी कर सकता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टि के साथ–2 सत्यनिष्ठा पर भी रिर्पोट दी जाती है, जिसका रूप–पत्र निम्नवत् हैः–

'ईमानदारी के लिये श्री.....की ख्याति अच्छी है और मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नही है जिससे श्री.....की सत्यनिष्ठा पर संदेह किया जा सके अतः उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित।'

नियम 3– क. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध–

1. कोई सरकारी सेवक किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीडन के किसी कार्य में संलिप्त नही होगा।
2. प्रत्येक सरकारी सेवक जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन–उत्पीड़न को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठायेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के लिये यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षतः या अन्यथा काम वासना प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जो कि–

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त सम्बन्धी चेष्टाएँ,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना–प्रेरित फब्तियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन या

(ड.) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

नियम 4– सभी लोगों के साथ समान व्यवहार

(क) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा।

(ख) कोई भी सरकारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नही करेगा।

नियम 4–क. मादकपान और औषधि का सेवन

यह नियम सरकारी कर्मचारियों के मादकपान और औषधि के सेवन के संबंध में है। इस नियम के निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैंः–

1. किसी भी क्षेत्र जहां वह उस समय विद्यमान हो मादकपान अथवा औषधि संबंधी जारी किसी भी आदेश का दृढता से पालन करेगा।
2. अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि से प्रभावित नही होगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि वह किसी भी समय अपने कर्तव्य पालन में ऐसे पेय अथवा भेषज से प्रभावित नहीं होता है।
3. सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा।
4. मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा।
5. किसी भी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नही करेगा।

कुछ विशेष स्थानों को जैसे तीर्थस्थल अयोध्या आदि को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां पर कोई भी व्यक्ति मादकपान नही कर सकता है। सरकारी सेवक भी यदि ऐसे स्थानों पर जायें तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इन नियमों का दृढता से पालन करें। इसके अतिरिक्त जैसा कि नियम में कहा गया है कि कोई सरकारी सेवक न तो किसी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करेगा, न ही अत्यधिक मात्रा में मादक पान करेगा। कभी–कभी कतिपय सरकारी सेवक इस नियम का अनुपालन करने में लापरवाही बरतते है। ऐसे अपवाद स्वरूप उदाहरण है कि सेवक कार्यालयों तक में नशे की हालत में आते हैं, इससे उनके कार्य करने की क्षमता तो घटती ही है, सरकार की छवि भी खराब होती है, साथ ही साथ ऐसे सरकारी सेवक जो मादक पान कर सार्वजनिक स्थानों पर या कार्यालयों में जातें है, ऐसी बात कह बैठते हैं, जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। यह भी सम्भव है कि वह ऐसे अवसरों पर गोपनीय बात भी सबके समाने कह दें। अतः अन्य नियमों की भांति इस नियम का अनुपालन सभी कर्मचारियों के लिये आवश्यक है।

नियम 5– राजनीति तथा चुनावों में भाग लेना

इस नियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। नियम का पहला भाग सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू है, तथा दूसरा भाग उसके परिवार के सदस्यों के लिये है।

पहले भाग में कहा गया है कि

(अ) कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसी संस्था जो राजनीति में भाग लेती है का न तो सदस्य होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध रखेगा।

(ब) वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा नहीं लेगा, न उसकी सहायता के लिये चन्दा देगा या किसी रीति से उसकी मद्द ही करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति विद्रोहत्मक कार्यावाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करें।

उपरोक्त का अर्थ है सरकारी सेवक न तो किसी राजनैतिक दल से संबंधित रहेगा और न ही ऐसी संस्था से, जो स्थापित सरकार के प्रति विद्रोह पैदा करवाने के लिये कार्य में संलग्न हो।

सरकारी सेवक विधान मण्ड़ल के किसी सदन अथवा स्थानीय निकाय के चुनावों में न तो भाग लेगा और न हस्तक्षेप करेगा और न ही उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा।

परन्तु सरकारी सेवक, जो किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने हेतु अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य कर सकेगा लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संसूचित नही करेगा कि उसने किसे वोट दिया है। इस कार्य के लिये वह अपने शरीर, सम्पत्ति अथवा निवास स्थान पर कोई चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन नही करेगा चाहे वह विकास कार्यों से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार।

नियम का द्वितीय भाग सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में भी लागू है। सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों के लिये राजनीति में भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रत्येक सरकारी सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन में एंव कार्य में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है अथवा ऐसे कार्य करने की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, में हिस्सा लेना, चन्दा देने या किसी भी अन्य विधि से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयास करेगा। यदि सरकारी सेवक ऐसा करने में असफल रहता है तो वह इन समस्त तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार को देगा।

नियम 5– क. प्रदर्शन एवं हड़ताल

प्रदर्शन–

सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रदर्शन में रूकावट नहीं है, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शन नही करेगा अथवा ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा, जो भारत राष्ट्र की अखण्डता, प्रभुता एंव सुरक्षा के प्रतिकूल हो, जो भद्रता या नैतिक/मर्यादित आचरण के प्रतिकूल हो, स्थापित विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो, शिष्टाचार या सदाचार के विरूद्ध हो, मा0 न्यायालयों की अवमानना तथा

मानहानि करते हो, अपराध करने के लिये प्रेरित करते हों, विशेषकर विदेशी सरकार से मित्रता से संबंधित रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो।

हड़ताल–

सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो हड़ताल करेंगें और न हड़ताल करने के लिये उत्प्रेरित करेंगे।

शासन द्वारा समय–समय पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक हड़ताल पर जाते हैं, तो उनके विरूद्ध इस नियमि की अवहेलना के लिये कार्यवाही की जाये।

नियम 5–ख. सरकारी कर्मचारियों को संघों कर सदस्य बनना

कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संध का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य–कलाप भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हो।

नियम 6– समाचार पत्रों अथवा रेडियों से सम्बन्ध

कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी समाचार पत्र अथवा अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी नही बनेगा और न संचालन करेगा और न ही उसके सम्पादन या प्रबंधन में भाग लेगा। इसी प्रकार कोई सरकारी सेवक रेडियों प्रसारण में भाग नही लेगा अथवा किसी समाचार पत्र, पत्रिका में लेख नहीं भेजेगा, न ही गुमनाम या अपने नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से। यह नियम केवल उस स्थिति में नहीं लागू होंगे यदि **सरकारी सेवक** का प्रसारण एवं लेख का स्वरूप साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक हो ऐसे मामलों में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 7– सरकार की आलोचना

कोई भी सरकारी सेवक किसी रेडियों प्रसारण में अपने नाम से अथवा गुमनाम अथवा किसी अन्य नाम से किसी लेख अथवा समाचार पत्र में भेजे गये पत्र अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नही करेगा–

1. जिससे वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना होती हो, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना होती हो अथवा

2. जिससे उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के तथा विदेशी सरकार के संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो।

नियम 8– किसी समित या अन्य प्रधिकारी के समक्ष साक्ष्य

1. उप नियम 3 में उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी सेवक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नही देगा।
2. उस दशा में, जबकि उप नियम 1 के अंर्तगत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के साक्ष्य देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नही करेगा।
3. इस नियम में दी हुई कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध मे लागू न होगी–
   क. साक्ष्य, जो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधान मण्ड़ल या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गयी हो, या
   ख. साक्ष्य, जो किसी न्यायिक जांच में दी गई हो।

नियम 9– सूचना का अनधिकृत संचार

सरकारी सेवकों के पास गोपनीय तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते है। इस नियम के तहत कोई भी सरकारी सेवक प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सरकारी लेख अथवा सूचना किसी अन्य सरकारी सेवक को अथवा अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख रखने अथवा सूचना पाने का विधिक अधिकार नहीं है को न तो देगा और न ही उसके पास जाने देगा। इन नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पत्रावली की टीप का उद्धारण नही किया जा सकता है। लेकिन कतिपय मामलों में यह देखा गया हैं कि पत्रावलियों की टिप्पणीयां कार्यालयों के बाहर चली जाती है, और कभी–कभी तो ये उद्धरण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऐसे सरकारी सेवक जो इस प्रकार के उद्धरण दे रहे हैं, वे इस नियम के उल्लंघन के दोषी।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इस प्रकार की सूचना राष्ट्र की सुरक्षा से जुडी है, तो संबंधित सेवक शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अर्न्तगत भी दोषी है।

नियम 10– चन्दे

सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही सरकारी सेवक चिकित्सीय सहायता, शिक्षा या सर्वाजनिक उपयोगिता अथवा धर्मार्थ प्रयोजन के लिये चन्दा या वित्तीय सहायता मांग सकता है।

नियम 11– भेंट

कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट संबंधी न हो कोई भेंट अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट अनुग्रह धन या भेंट स्वीकार करने की अनुमति देगा।

विशेष अवसरों, यथा विवाह या किसी रीतिक अवसर पर सरकारी सेवक मूल वेतन का दंशाश या उससे कम मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकते हैं, या परिवार के सदस्यों कों इसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकते हैं, यद्यपि इस प्रकार की उपहार–प्रवृत्ति को रोकने का भी हर सम्भव प्रयत्न होना चाहिये।

नियम 11–क. दहेज

कोई भी सरकारी सेवक न तो दहेज लेगा न उसके देने या लेने के लिये दुष्प्रेरित करेगा और न ही वर वधू या वर–वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

यदि कोई सरकारी सेवक अपने सरकारी कृत्यों का निर्वहन करते हुये नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त भेंट या अनुग्रह धन या पारितोषिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेता है तो वह नियम– 11 का ही उल्लघन नही करता वरना वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा –161 तथा 165 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 5 का भी दोषी है। सरकारी सेवक यदि अपने दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, तथा दायित्व निर्धारण के क्रम में नियत धनराशि से अधिक मांग करता है तो नियम 11 का उल्लंघन होगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस नियम का कडाई से पालन करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा 11 मार्च 1986 को अनुदेश जारी किये गये हैं।

नियम 12– समाप्त

नियम 13– समाप्त

नियम 14– सरकारी सेवक के सम्मान में सर्वाजनिक प्रदर्शन

सरकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही सरकारी सेवक कोई मान–पत्र या विदाई–पत्र स्वीकार करेगा।

नियम 15– गैर सरकारी व्यापार या नौकरी

कोई सरकारी सेवक सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या करोबार में नही लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी सेवक, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई समाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नही पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि स्वयं विभागाध्यक्ष हो तो सरकार को सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे, तो वह ऐसा कार्य हाथ में नही लेगा और यदि उसने हाथ में ले लिया है तो बन्द कर देगा।

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सरकारी सेवक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा गैर सरकारी व्यापार या गैर सरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी सेवक द्वारा सरकार को दी जायेगी।

नियम 15 क– उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली 2002

कोई सरकारी द्वारा चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, न लगाएगा या ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार अन्य बलात श्रम नहीं लेगा।

नियम 16– कम्पनियों का निबन्धन, उन्नयन एवं प्रबन्ध

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के, जब तक उसने सरकार की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, परिर्वतन या प्रबन्धन में भाग न लेगा जो इण्डियन कम्पनी ऐक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ हो।

नियम 17– बीमा करोबार

कोई भी सरकारी सेवक अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी का जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो, उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नही देगा।

नियम 18– अवयस्कों का संरक्षकत्व

कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उस पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त किसी अवयस्क के शरीर या सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नही करेगा। आश्रित का तात्पर्य पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों के बच्चे, बहने, भाई तथा उनके बच्चों से है जो सरकारी सेवक पर आश्रित हों।

नियम 19– किसी सम्बन्धी के विषय में कार्यवाही

सरकारी सेवक के सामने कभी–कभी उनके सम्बन्धियों व रिश्तेदारों के मामले भी आतें हैं। उदाहरण के लिये किसी सरकारी सेवक को ही उसका रिश्तेदार अनुदान के लिए आवेदन पत्र देता है या प्रार्थना पत्र पर अन्तिम कार्यावाही सरकारी सेवक को करनी है। ऐसी कार्यावाहीयों को दो भागों में बांटा जा सकता है–

1. ऐसी कार्यावाही जिसमें सरकारी सेवक को अपना प्रस्ताव अथवा मत प्रस्तुत करना है लेकिन अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिया जाना है। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवक ऐसे प्रस्ताव अथवा मत की कार्यावाही नियमानुसार करेगा लेकिन यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि उस व्यक्ति विशेष का उससे क्या सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है।
2. यदि सरकारी सेवक ऐसे प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय करने की शक्ति रखता है तो ऐसी स्थिति में अपने सम्बन्धी के प्रस्ताव पर चाहे वह सम्बन्धी दूर का हो अथवा निकट का और उस व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा प्रतिकूल, वह निर्णय नहीं लेगा बल्कि उस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करेगा। प्रस्तुत करने के कारणों, एवं उस व्यक्ति से सम्बन्ध व स्वरूप को स्पष्ट भी किया जाएगा।

सरकारी सेवक द्वारा अपने किसी नातेदार के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही भले ही निष्पक्ष क्यों न हो, आलोचना का विषय अवश्य हा सकती है। यह भी सम्भव हो सकता है कि सरकारी सेवक अपने नातेदारों और रिश्तेंदारों के लिये निष्पक्षता दिखने में अधिक तत्परता से काम करें और अपने नातेदारों व रिश्तेदारों के प्रति उतना कुछ करने से भी इन्कार कर दे जितना हक हो। इस प्रकार नातेदार बिना किसी दोष के न्याय से वंचित हो सकते हैं। अतः यह नियम बनाया गया है कि प्रस्ताव भेजते समय सरकारी सेवक इस बात का उल्लेख करें कि यह मामला उनके रिश्तेंदार का है और रिश्तेदारों का स्वरूप क्या है। इससे वरिष्ठ अधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से मामले में अंतिम निर्णय दे सकते हैं।

नियम 20– सट्टा लगाना

कोई सरकारी सेवक, किसी विनिवेश में सट्टा नही लगाएगा।

नियम 21– विनिवेश

कोई सरकारी सेवक, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। कोई पूंजी या प्रतिभूति उक्त प्रकार की है अथवा नही इसका निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।

नियम 22– उधार देना अथवा उधार लेना

कोई सरकारी सेवक, सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नही देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रूपया उधार देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी नौकर को, अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जाति, मित्र या सम्बन्धी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

2. कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फार्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर रूपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा, जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार (Pecuniary Obligation) के अर्न्तगत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी मित्र या सम्बन्धी से बिना ब्याज वाली एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाय, जिसमें उनके द्वारा उप नियम 1 सर उप नियम 2 के किसी उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिर्पोट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेंशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दे।

4. ऐसी सरकारी कर्मचारियों की दशा मैं, जो राजपत्रित अधिकारी है, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

नियम 23– दिवालियापन एवं आदतन ऋणग्रस्तता

सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जिसके विरूद्ध उसके दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभागाध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, समस्त तथ्यों से अवगत करा दें।

नियम 24– चल, अचल, एवं बहुमूल्य सम्पत्ति

यह नियम सम्पत्ति अर्जित करने तथा उसके विक्रय के सम्बन्ध में है। प्रत्येक सरकारी सेवक के सेवा काल में ऐसे अवसर आयेंयगे जब उनको सम्पत्ति अर्जित करने की अथवा सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता होगी। सम्पत्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है–

1. चल सम्पत्ति– जिसमें साइकिल, टेलीफोन, रेडियों आदि आते हैं।
2. अचल सम्पत्ति– जिसमें जमीन, मकान, बागान, भवन आदि आते हैं।

चल सम्पत्ति

कोई सम्पत्ति सेवक अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की कोई चल सम्पत्ति क्रय अथवा विक्रय करता है अथवा अन्य प्रकार से व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिर्पोट क्रय, विक्रय अथवा व्यवहार के पश्चात समुचित प्राधिकारी को करेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी सेवक, किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के अतिरिक्त यदि अन्य व्यापारी के साथ ऐसा क्रय/विक्रय करता है तो इसके लिए समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई सरकारी सेवक जिसका मूल वेतन रू0 10,000/– है किसी ऐसी दुकान से जो नियमानुसार टी0वी0 बिक्री का कार्य करती है, से टी0वी0 क्रय करता है जिसकी कीमत रू0 8,000/– है तो वह क्रय करने के पश्चात इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी को देगा।

किन्तु यदि सरकारी सेवक इस प्रकार का व्यवहार किसी ऐसी व्यक्ति से करता है जो ख्याति प्राप्त व्यापारी अथवा अच्छी साख के अभिकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है तो ऐसी दशा में यह व्यवहार समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से ही किया सकता है। उदाहरण के लिये यदि कोई सेवक जिसका मूल वेतन 10,000/– है किसी व्यक्ति से कोई टी0वी0 क्रय करता है, जिसकी कीमत रू0 8,000/– है तो वह ऐसा क्रय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद ही करेगा।

अचल सम्पत्ति

सरकारी सेवक सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो अपने नाम से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से न तो कोई अचल सम्पत्ति क्रय कर सकता है और न ही विक्रय कर सकता है न पट्टा करा सकता है न रेहन रख सकता है न भेंट कर सकता है अन्यथा किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई सरकारी सेवक लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद आदि संस्थाओं में मकान बनाने के लिए प्लाट अथवा भूमि बना बनाया भवन क्रय करना चाहे तो वह ऐसा कार्य समुचित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के पश्चात ही कर सकेगा। यदि सरकारी सेवक उपरोक्त क्रय विक्रय आदि किसी अन्य व्यक्ति संस्था अथवा ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से करता हो तो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। उदाहरण के लिए यदि लखनऊ में चिनहट के पास किसी गांव में कोई सरकारी सेवक गांव के किसी काश्तकार से मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करना चाहे तो चूंकि गांव का काश्तकार ख्याति प्राप्त व्यापारी नहीं है, अतः समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

अचल सम्पत्ति के संदर्भ में समुचित प्राधिकारी राज्य सेवा के किसी सरकारी सेवक के प्रसंग में शासन होगा जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में विभागाध्यक्ष होंगे।

जब भी कोई सरकारी सेवक प्रथम बार सेवा में नियुक्त होता है तो उन्हें नियुक्त अधिकारी को सामान्य तरीके से ऐसी सभी चल–अचल सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी जिसका वह स्वामी है, अथवा जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो, या दान के रूप में प्राप्त किया हो, या जो उसके पास पट्टे या रेहन के रूप में रखी गयी हो। इसी प्रकार वह ऐसी पूंजी व हिस्सों की भी स्वयं घोषणा करेगा जो उसकी पत्नी अथवा उसके साथ रहने वाले किसी भी प्रकार से, आश्रित परिवार के सदस्य द्वारा रखी गयी हो अथवा अर्जित की गयी हो। तत्पश्चात वह यह सूचना प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि बीतने पर भी देगा। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के ब्यौरे भी दिये जाने चाहिए।

समुचित प्राधिकारी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को यह आदेश दे सकता है कि वह निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ऐसी चल व अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो, या अर्जित की गयी हो का सम्पूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत करें तथा साथ ही उन साधनों के ब्यौरे भी उपलब्ध करें जिनके द्वारा सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

शासन की मंशा यह नही कि सरकारी सेवक सम्पत्ति अर्जित न करें, केवल यह उद्देश्य है कि अर्जित की गयी सम्पत्ति उसके द्वारा विधिसम्मत अर्जित आय की सीमा के अन्दर ही हो।

नियम 25– सरकारी सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन

कोई भी सरकारी सेवक, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आपेक्ष का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने को लिए, किसी समाचार पत्र की शरण न लेगा।

नियम 26– समाप्त

नियम 27– सेवा सम्बन्धी मामलों में गैर सरकारी एवं बाहय प्रभाव

कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों के संबंध में किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य वाहय साधनों से न तो स्वयं अथवा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा। कभी–कभी सरकारी सेवक अपने, स्थानान्तरण, प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में माननीय विधायक सांसद अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा दबाव डलवाने का प्रयास करते हैं। आचरण नियमावली में इस बात की पूरी तरह मनाही है। इसी नियम से सम्बद्ध अधोलिखित नियम 27–क है।

नियम 27–क कोई सरकारी सेवक सिवाय उचित माध्यम अथवा ऐसे निर्देशों के अनुसार जो समय–समय पर जारी किये गये है व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नही करेगा। कभी–कभी सरकारी सेवक बाहरी प्रभाव का प्रयोग स्वयं नही करते अथवा अभ्यावेदन स्वयं नही देते हैं लेकिन उनके परिवार के सदस्य इस प्रकार का प्रभाव डलवाते हैं या अभ्यावेदन देते हैं। इस नियम में स्पष्ट किया गया है कि जब तक बात विपरीत प्रमाणित नही जाए यह माना जायेगा कि ऐसा कार्य सरकारी सेवक की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।

नियम 28– अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं

कोई सरकारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नही करेगा जिसमें दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही अनाधिकृत रूप से या तत्पसमय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट या ध्वनति उपबन्धों के विरूद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

नियम 29– बहु–विवाह

1. कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद

दूसरी शादी की अनुमति प्राप्त है, बिना सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये दसरा विवाह नहीं करेगा।

2. कोर्ह महिला सरकारी कर्मचारी, बिना सरकार की पूर्व अनुमति के, ऐसे व्यक्ति से जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नही करेगी।

नियम 30–सुख सुविधाओं का समुचित उपयोग

इस नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकारी सेवक ऐसी सुख सुविधा का दुरूपयोग नही करेगा और न ही उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुचाने के प्रयोजन से की हो।

नियम 31– क्रय का मूल्य देना

कोई सरकारी सेवक, उस समय तक जब तक किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक किसी सभ्दावी व्यापारी के पास उसका उधार लेखा न खुला हो, उन वस्तुओं का, जिसे उसने खरीदा, चाहे ये खरीददारियों उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, तुरन्त पूर्ण मूल्य देने से मना नही करेगा।

नियम 32– बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना

इस नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिना मूल्य दिये कोई सरकारी सेवक किसी सेवा अथवा आमोद का स्वयं प्रयोग नही करेगा जिसके लिये कोई शुल्क अथवा मूल्य दिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकारी सेवक बिना टिकट क्रय किए सिनेमा हाल में फिल्म नही देख सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां पर सरकारी सेवक निःशुल्क फिल्म ही नही देखते वरन् आमोद–कर भी सरकार को नही देते हैं। इस प्रकार वह दुराचरण करते हैं।

नियम 33–दूसरों के गैर सरकारी वाहन का उपभोग

कोई सरकारी सेवक, सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी ऐसी सवारी गाड़ी का प्रयोग में नही लाएगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी सेवक की हो जो उसके अधीन हो।

नियम 34– अधीनस्थों के माध्यम से क्रय

कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से, चाहे अग्रिम भुगतान

करने पर या अन्यथा, उस शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीददारियां करने के लिए न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा। अधिसूचना संख्या 9/7/78–कार्मिक–1, दिनांक 20 नवम्बर, 1980 द्वारा चपरासियों के माध्यम से भी क्रय विक्रय कराने की सुविधा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

नियम 35– निर्वचन

यदि इन नियमों के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उठ खड़ा हो तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिए और उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा, वह अंतिम होगा।

नियम 36– निरसन एवं अपवाद

इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व कोई भी नियम, जो इन नियमों के प्रतिस्थानी थे एवं जो उत्तर प्रदेश के नियंत्रण के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होते थे, एतद्दवारा निरस्त किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड़ और अपील)

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग–2

संख्याः 551 / छः–पू–2–91–1000(51)–72

लखनऊ 21 मार्च, 1991

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड़ और अपील) नियमावली, 1991 कही जायेगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.लागू होना :– यह नियमावली उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों पर प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषाएं :– जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस पद पर जिसे कोई पुलिस अधिकारी तत्समय धारण करता है नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(घ) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एंव पुलिस के महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है;

(ड.) ''महानिदेशक'' के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के सभी अधिकारी भी है;

(च) ''उप महानिरीक्षक'' का तात्पर्य पुलिस उप महानिरीक्षक और तत्समय श्रेणी के अधीकारियों से है;

(छ) ''पुलिस अधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है।

4. दण्ड– 1. निम्नलिखित दण्ड उपयुक्त और पर्याप्त कारणों से और एतद्पश्चात जैसी व्यवस्था की गयी है किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित किए जा सकते है अर्थात :–

(क) दीर्घ शस्तियांः––

1. सेवा से पदच्युति।
2. सेवा से हटाना।
3. पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेनतमान में या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति भी है।

(ख) लघु शस्तियां :––

1. प्रोन्नति को रोकना।
2. एक मास के वेतन से अनाधिक अर्थ दण्ड़
3. वेतन वृद्धि को रोकना, जिसके अर्न्तगत दक्षता रोक पर वेतन वृद्धि को रोकना भी है।
4. परिनिन्दा।

2.उपनियम (1) में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को भी निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते हैः––

1. क्वार्टरों में परिरोध (इस पद के अर्न्तगत 15 दिन से अनाधिक अवधि के लिए दण्ड ड्रिल, अतिरिक्त गार्डड्यूटी या अन्य ड्यूटी सहित या रहित क्वार्टर गार्ड में परिरोध भी है)।
2. पन्द्रह दिन से अनाधिक का दण्ड ड्रिल।
3. सात दिन से अनाधिक की अतिरिक्त गार्ड डयूटी।
4. सदाचरण वेतन (गुड काण्डक्ट पे) से वंचित करना ।

3.उपनियम 1 और 2 में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त कान्स्टेबलों फटींग ड्यूटी से दण्डित किया जा सकता है जो निम्नलिखित कार्यों तक सीमित होगाः––

1. तम्बू गाडना,
2. नाली खोदना,
3. घास काटना, जंगल की सफाई करना और परेड के मैदान से कंकड पत्थर हटाना,
4. बैरक और चांदमारी की मरम्मत करना और लाइन में इसी प्रकार के कार्य,
5. शस्त्रो की सफाई,

5.दण्ड देने की प्रकियाः— 1. उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम 1 के खण्ड क में वर्णित दीर्घ दण्ड दिए जा सकते हैं, नियम 14 के उपनियम1 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

2. उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में वर्णित लघु दण्ड दिए जा सकते हैं, नियम 14 के उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. उन मामलों मे, जिनमें नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित लघु शास्तियां दी जा सकती है, नियम 15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

6.जांच का स्थान :— किसी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई जांच या तो उस जिले में की जा सकती है जिसमें वह कार्य या लोप हुआ जिसके सम्बन्ध में जांच किया जाना प्रस्तावित है, या जहां पुलिस अधिकारी को जांच के प्रारम्भ के समय तैनात किया जा सके।

7.दण्ड की शक्तियां :—

1. सरकार या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, जो उपमहानिरीक्षक की श्रेणी से निम्न न हो, किसी पुलिस अधिकारी को नियम 4 में उल्लिखित कोई दण्ड दे सकता है।
2. पुलिस अधीक्षक नियम 4 के उपनियम 1 के खण्ड क के उप खण्ड 3 और ख में उल्लिखित कोई दण्ड निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को दे सकता है।
3. पुलिस अधीक्षक नियम 4 में उल्लिखित कोई दण्ड ऐसे पुलिस अधिकारियों को दे सकता है जो उप निरीक्षकों की श्रेणी से निम्न है।
4. इस नियमावली में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक, जिन्होंने यथास्थिति, सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी करली हो नियम 4 के अधीन दीर्घ दण्ड देने के शक्तियां के सिवाय पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
5. इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी रिजर्व निरीक्षक, निरीक्षक या थान, अधिकारी अपने अधीन किसी कान्सटेबल को 3 दिन से अनधिक अवधि के लिए ड्रिल और फटीक ड्यूटी का दण्ड दे सकता है लेकिन वह सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अपने आदेशों की तुरन्त और किसी भी स्थिति में आदेश पारित करने से 24 घंटे के भीतर सूचना देगा।

8.पदच्युति और हटाना :—

1. किसी पुलिस प्राधिकारी को नियुक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा न तो पदच्युत किया जाएगा और न सेवा से हटाया जायगा।
2. किसी पुलिस आधिकारी को इस नियमावली द्वारा यथा अनुध्यात उचित जांच और अनुशासनिक कार्यवाही के सिवाय न तो पदच्युत किया जाएगा, न हटाया जाएगा, और न पंक्तिच्युत किया जाएगा।
   प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नही होगाः–
   (क) जहां कोई व्यक्ति आचरण के आधार पर जिससे आपराधिक आरोप पर उसकी दोष सिद्धि हुई, पदच्युत किया जाय य हटाया जाय पंक्तिच्युत किए जाए या
   (ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने में सशक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, ऐसी जांच करना युक्तियुक्ततः व्यवहारिक नही हैः या
   (ग) जहां सरकार का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचान नहीं है।
3. हैड कान्स्टेबलों या कान्स्टेबलों की पदच्युति और हटाने के सभी आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किये जायेगें। उन मामलों को जिनमें पुलिस अधीक्षक किसी उप निरीक्षक या निरीक्षक की पदच्युति या हटाने की संस्तुति करें, सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को आदेश के लिए अग्रसारित किया जाएगा।
4. (क) पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को साशय या उपेक्षा पूर्वक भागने देने के लिये पदच्युति का दण्ड होगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उससे कोई हल्का दण्ड न दें।
   (ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने वाले प्रत्येक अधिकारी, को पदच्युत किया जाएगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस पर अन्यथा विचार न करें।

9.पदावनित का दण्डः– किसी भी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे पद पर पंक्तिच्युत नही किया जाएगा, जिस पर उसे मूलतः नियुक्त किया गया था। किसी अधिकारी को उसकी श्रेणी ठीक निम्नतर श्रेणी पर या निम्नतर वेतनमान में, या वेतनमान में किसी प्रक्रम से निम्नतर प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पंक्तिच्युत किया जा सकता है।

10.वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड :– दण्ड के रूप में वेतन वृद्धि रोकने के प्रत्येक आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया जायेगा, जिसके लिये वेतनवृद्धि रोकी गई है और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि क्या यह आदेश फाइनेन्शियल हैड बुक खण्ड दो, भाग दो से चार में यथा उपबन्धित भविष्य की वेतनवृद्धि को स्थगित करने में प्रभावी होगा।

11. वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करने की शक्तियां :– इस नियमावली के अधीन जांच अधिकारी द्वारा प्रयोग किये गये सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग पुलिस बल के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जो श्रेणी में पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ हो।

12.विभागीय जांच का अन्तरण :– महानिदेशक महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक या पुलिस अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से या तो स्वयं या विभागीय जांच करने वाले जांच अधिकारी के अनुरोध पर, पुलिस बल के तत्समान या उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी को जांच अन्तरित कर सकते है।

13. अधिकारी जो अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है :–

पुलिस बल को कोई राजपत्रित अधिकारी, जो या तो मामले में अभियोजित साक्षी है या उसने इसके पूर्व उस मामले में प्रारम्भिक जांच की है, इस नियमावली के अधीन उस मामले में जांच नही करेगा यदि उक्त राजपत्रित स्वयं पुलिस अधीक्षक है, तो सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को मामले को , यथास्थिति, किसी अन्य जिले या इकाई को अन्तरित करने के लिए कहा जाएगा।

14. विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रकिया :–

1. इस नियमावली में निहित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 5 के उप नियम 1 में निर्दिष्ट मामलों में पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट एक में अधिकाथित प्रकिया के अनुसार की जा सकती है।
2. उपनियम में निहित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 5 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट मामलों में दण्ड पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यावाही की और कार्य या लोप के लांछन की, जिस पर यह कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, सूचना देकर, और ऐसे अभ्यावेदन करने का जो वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे उसे युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दिया जा सकता है।
3. इस नियमावली के अधीन संस्थित किसी कार्यवाही में आरोपित पुलिस अधिकारी का प्रतिनितित्व अभिवक्ता के द्वारा नही किया जाएगा।

15. अर्दली कक्ष दण्ड :– पुलिस अधिकारी के, जो हेड कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर का न हो, अनुशासन के छोटे मोटे उल्लंघनों की रिर्पोटों और कदाचार के तुच्छ मामलों की जांच और उसका निस्तारण अर्दली कक्ष में पुलिस अधीक्षक या पुलिस बल के अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ऐसे मामलों में दण्ड, पुलिस अधिकारी के कार्य या लोप की, जिस पर उसे दण्डित करना प्रस्तावित है, मौखिक सूचना देकर और मौखिक अभ्यावेदन करने का उसे अवसर देने के पश्चात संक्षिप्त रीति से दिया जा सकता है ऐसे मामलों के लिए इस नियमावली से संलग्न

प्रपत्र 2 में एक रजिस्टार रखा जाएगा। इस रजिस्टर में संक्षिप्त कार्यवाही को मूल पाठ अभिलिखित किया जायेगा।

16. अनुपस्थिति में कार्यवाही :–

1. यदि पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है या जिसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करना प्रस्तावित है या जिससे जांच अधिकारी के लिये सम्पर्क करना असम्भव है, अपनी तैनाती के स्थान से या कार्यवाही, जब वह प्रगति में हो, स्वयं को जानबूझकर अनुपस्थित रखता है तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।
2. अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही करने से पहले सम्बन्धित प्राधिकारी यह अभिलिखित करेगा कि पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये किए गये सभी युक्तियुक्त उपायों के बावजूद उस पर आरोप तामील करना और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना या उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति पाना सम्भव नही हुआ है।

   स्पष्टीकरणः– जहां पुलिस अधिकारी से उसकी सेवा पुस्तिका में उसके द्वारा दिए गए यथा अभिलिखित पते पर और उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाए या आरोप या नोटिस उसे रजिर्स्टड डाक से भेजी जाए या उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर और उसकी सेवा–पुस्तिका में उसके द्वारा दिए गए यथा अभिलिखित पते पर विशेष वाहक द्वारा उसे भेजा जाए तो यह समझा जाएगा कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये युक्तियुक्त उपाय कर दिये गये है।

17. निलम्बन :– 1.(क) कोई पुलिस अधिकारी, जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात है, या जांच चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो, विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

(ख) कोई पुलिस अधिकारी जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरूद्ध आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित है, यदि आरोप पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या उससे उसके कर्तव्यों को पूरा करने में बाध्य डालने की सम्भावना है या उसमें नैतिक उदधमता अर्न्तग्रस्त है, नियुक्ति प्राधिकारी के, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक उस आरोप से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों समाप्त न हो जायें। यदि अभियोजन परिवाद पर गैर सरकारी

किसी व्यक्तिगत द्वारा संस्थित किया गया है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकता है कि क्या मामले की परिस्थितियों अभियुक्त के निलम्बन को न्यायोचित ठहराती है।

2. कोई पुलिस अधिकारी,

(क) विरोध के दिनांक से, यदि उसे अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में विरूद्ध किया गया है चाहे विरोध आपराधिक आरोप पर अन्यथा किया गया है,

(ख) सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे सिद्धीदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नही किया गया है या हटाया नही गया है, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथा स्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अडतालीस घण्टे अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो ध्यान में रखा जाएगा।

3.जहां किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने को शास्ति को इस नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाए और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए वहां,

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नही था, तो उसे, यदि अधीन था, तो उसे, यदि अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक का और से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधी रखा गया समझा जायेगा।

परन्तु इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि वह सक्षम प्राधिकारी की, ऐसे मामले में जहां किसी पुलिस अधिकारी पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की आरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति आरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले को अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं निदेशों के साथ प्रेषित किया गया हो, उन अभिकथनों पर विरूद्ध अग्रतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नही होगा, पारित करने की शक्ति को, प्रभावित करता है।

4. जहां किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को आरोपित किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूल रूप में आरोपित की गयी थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करें, चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हे स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे मोटे भाग का लोप कर दिया जाए, वहां––

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन या, तो उसके निलम्बन के आदेश कों, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की और से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नही था, तो उसे, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युतिया हटाने के मूल आदेश के दिनांक की और से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. (क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय।

(ख) जहां कोई पुलिस अधिकारी चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बन किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाय; वहां निलम्बित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश देगा कि पुलिस अधिकारी तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

6. फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार का सब्जीडियरी रूल 199 इस नियम द्वारा नियमित होने वाले पुलिस अधिकारी पर लागू नही होगा।

18. न्यायालय द्वारा अवक्षेप :– जहां कोई न्यायालय प्रतिकूल रूप से किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की आलोचना करता है, वहां किसी अपील के यदि कोई हो परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना उन बिन्दुओं पर जिन्हें न्यायालय ने परिनिन्दा के योग्य ठहराया है, तुरन्त जांच की जायेगी।

19. जांच के दौरान अवकाश :– ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो निलम्बनाधीन हो या जिसके विरूद्ध जांच लम्बित हो या अनुध्यात हो उस जिले के, जिसमें पुलिस अधिकारी तैनात हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रमाण पत्र के सिवाय, अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता।

20. अपील :– 1. ऐसा पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध नियम 4 के उपनियम 1 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से चार में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय, ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध नीचे उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सकता है:––

(क) उप महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो,

(ख) महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश उप महानिरीक्षक का हो,

(ग) महसनिदेशक को, यदि मूल आदेश महानिरीक्षक का हो,

(घ) राज्य सरकार को यदि मूल आदेश महानिदेशक का हो,

(2) नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित किन्हीं लघु दण्डों को देने वाले किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जायेगी।

(3) प्रत्येक अधिकारी जो अपील करते का इच्छुक हो, अलग से ऐसा करेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अपील में वह सभी सामग्री विवरण, तर्क होंगे, जिन पर अपील प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा भरोसा किया जाय और वह स्वयं में पूर्ण होगी, किन्तु उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नही किया जायेगा, प्रत्येक अपील के साथ अंतिम आदेश की, जो अपील का विषय है, एक प्रति होगी।

(5) प्रत्येक अपील, चाहे अपीलार्थी अब भी सरकार की सेवा में हो, या नही, जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या जिला कार्य मे नियुक्त न किये गये पुलिस अधिकारियों के मामले में उसे कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से, जिससे अपीलार्थी सम्बन्धित हो या सम्बन्धित रहा हो, प्रस्तुत की जायेगी।

(6) कोई अपील तब तक ग्रहण नही की जायेगी, जब तक कि वह उस दिनांक से जब सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को दण्डादेश की सूचना दी गयी थी, तीन मास के भीतर प्रस्तुत न की जाय;

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी एवं विवेक से दर्शाये गये अच्छे कारणों से, उक्त अवधि को छः मास तक बढा सकती है।

(7) यदि प्रस्तुत की गयी अपील उपनियम 4 के उपबन्धों का अनुपालन नही करती है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी ये उसे दिये गये ऐसे आदेश की नोटिस के एक मास के भीतर उक्त उपनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि अपीलार्थी उक्त अनुपालन करने में विफल रहता है तो अपील प्राधिकारी को उस रीति से, जैसा वह उचित समझे, निस्तारित कर सकता है।

(8) महानिदेशक या महानिरीक्षक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या उस अपील प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिसके समक्ष अपील लम्बित है, उसे तत्समान श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

21. अपील के साथ दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः– 1. जब अपील प्राधिकारी अपील को स्वीकार कर लेता है और अभिलेखों को मंगाता है, तब इन सभी पत्रादि को प्रस्तुत करना चाहिये, जिन पर उस अधिकारी द्वारा विचार किया गया था जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गयी थी जिसके अर्न्तगत दण्डित अधिकारी की चरित्र–पंजी और सेवा–पंजी भी है।

2. अपील में पारित आदेश की प्रतियों के साथ जो अपील प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी जाय, विभागीय दण्ड पत्रावली भी अनिवार्य रूप से होगी और उसके साथ प्रस्तुत की जायेगी, जब अभिलेख मांगा जाय।

22. पदच्युति अवधि की गणना :– जहां पदच्युत या हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सफल होती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेगा और (एक) ड्यॅटी से जबरन अनुपस्थिति की अवधि के लिए, जिसके अर्न्तगत, यथास्थिति, उसकी पदच्युति या हटाने जाने के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी है, भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश देगा, और (दो) यह आदेश देगा कि क्या उक्त अवधि को फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम 54 के उपबन्धों के अनुसार ड्यूटी पर व्यतीत की अवधि समझा जायेगा अथवा नही।

23. पुनरीक्षण :– (1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से, जिनके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक से तीन मास की अवधि की भीतर, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब घोर अनियमतता के परिणामस्वरूप सारवान् अन्याय या न्याय की हत्या होना प्रतीत होः

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अपील में पारित किसी आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत किया गया हो, विधिमान्यता या औचित्य के सम्बन्ध में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मंगा सकता है जैसा वह उचित समझे। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई आदेश नही दिया जायेगा।

(2) अपील के लिये विहित प्रक्रिया पुनरीक्षण के आवेदन पत्रों पर भी लागू होती है अपील की अस्वीकार करने वाले आदेश के पुनरीक्षण के किसी आवेदन पत्र के साथ आदेश की एक प्रति तथा अपील प्राधिकारी का आदेश भी होगा।

24. दण्ड का बढ़ाया जाना :– किसी दण्ड को,

(क) अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा, या

(ख) पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके उस प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी द्वारा, जिसके आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय, बढाया जा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड बढ़ाये जाने के पूर्व ऐसा प्राधिकारी दण्डित अधिकारी से यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसके दण्ड़ को इस प्रकार बढ़ा दिया जाय और इस प्रकार दण्ड़ बढ़ाने वाले ऐसे प्राधिकारी के आदेश को दण्ड का मूल आदेश समझा जायेगा।

25. सरकार की शक्ति :– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी सरकार अपने स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसे किसी मामले के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है जिसे उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके विनिश्चित किया गया हों और जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील न की गयी हो, और–––

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उपान्तर या पुनरीक्षण कर सकती है, या

(ख) निदेश दे सकती है कि मामले में अग्रतर जांच को जाय या

(ग) आदेश द्वारा आरोपित दण्ड को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, या

(घ) मामले में एक अन्य आदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे आदेश द्वारा आरोपित शास्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाय, वहां सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को प्रस्तावित बुद्धि के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा।

26. मूल दस्तावेज की प्रतियां :– कोई प्राधिकारी आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र या याचिका दी जा सकती हो, एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

27. भुगतान पर अभिलेखों की प्रतियां दिया जाना :– कोई पुलिस प्राधिकारी सरकार द्वारा समय–समय निर्धारित की जाने वाली दरों पर भुगतान करने पर किसी अपील के पुनरीक्षण के आवेदन पत्र या याचिका जो इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की जाय, के समस्त पत्रादि के सिवाय, जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा, प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पणीः– दण्ड के मामले दिपोर्ट करने वाला अधिकारी, यथा सम्भव इन सभी मामलों को निकाल देगा जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल हो सकता है।

परिशिष्ट–– एक

पुलिस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियों के संचालन प्रक्रिया

(नियम 14 (1) देखिए)

कोई औपचारिक जांच संस्थित किए जाने पर, ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसके विरूद्ध जांच संस्थित की गयी हो, उन आधारों की, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित सूचना दी जायेगी और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। उन आधारों का जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, प्रयोग किसी निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में किया जायेगा जैसा कि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र एक में है जिनकी सूचना आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त सकेंत मिल जाय। उससे युक्तियुक्त समय के भीतर अपने बचाव का लिखित विवरण देने और यह कहने की अपेक्षा की जायेगी कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है। यदि वह ऐसा चाहता है या यदि जांच अधिकारी ऐसा निदेश देता है तो ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार न किए जाए, मौखिक जांच की जायेगी। इस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित किया स्वयं साक्ष्य देने और ऐसे साथियों को, जिन्हें वह चाहे बुलाने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्यवाहियों में साक्ष्य का पार्याप्त अभिलेख और उप पंक्तियों का विवरण और उसका आधार होगा। जांच अधिकारी आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाये जाने वाले दण्ड़ के सम्बन्ध में इन कार्यवाहियों से अलग अपनी निजी संस्तुति भी कर सकता है।

प्रपत्र —— एक

पुलिस अधिनियम,1861 की धारा 7 के अधीन कार्यवाहियों में प्रयोग किया जाने वाला आरोप प्रपत्र .....का कार्यालय

दिनांक.....199.....

सेवा में,

(आरोपित पुलिस अधिकारी का पूरा नाम और पदनाम)

आपको एतद्द्वारा निम्नानुसार आरोपित किया जाता है :–

(1) कि आप.....को (या लगभग) या.....

.....(के बीच) और.....(दिनांक),

जब.....(पदनाम) के रूप में तैनात थे.....

.....(मामले के तथ्य).....

और एतद्द्वारा नियम.....के उल्लघंन या आदेश की अवहेलना या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने या इत्यादि क दोषी थे।

साक्ष्य जिस पर आरोप के समर्थन में विचार किये जाने का प्रस्ताव है––

(एक) +

(दो) +

(तीन) +

(2) कि आप*

(3)कि आप*

+ (उतनी बार दोहराया जायेगा जितने आरोप थे)

एतद्द्वारा आपसे प्रत्येक आरोप के उत्तर में अपने बचाव का लिखित विवरण दिनांक..... को या उसके पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । आपको सचेत किया जाता है कि यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमत समय के भीतर आपसे ऐसा कोई विवरण प्राप्त नही होता है,

तो यह उपधारणा की जायेगी कि आपको कुछ नही प्रस्तुत करना है और आपके मामले में तदनुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

साथ ही साथ आपसे अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में यह सूचित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्या आप व्यक्ति सुनवाई के लिए इच्छुक हैं और यदि आप किसी साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करना चाहते है तो अपने लिखित विवरण के साथ उनका नाम और पता और साक्ष्य का, जिसे प्रत्येक ऐसे साक्षी से देने की प्रत्याशा की जायेगी, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(जांच अधिकारी का हस्ताक्षर और

पदनाम)

*(के लिये और और से की)

प्रमाणित किया जाता है कि आरोप.....(आरोपित पक्ष) को पढ़कर सुना दिया गया है और उसे साधारण हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया है और उसकी एक प्रति..... को दे दी गयी है।

आरोप की एक प्रति प्राप्त किया

(आरोपित पक्ष का हस्ताक्षर)

(जांच अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम)

.....

निम्नलिखित आरोप का भाग नही बनेगा

अनुदेश

(एक) आरोप पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहियं और आरोप पत्र की प्रति पर उसका हस्ताक्षर लिया जाना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो तो उसकी तामीली रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जानी चाहिये।

(दो) प्रत्येक आरोप संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट रूप में तैयार किया जाना चाहिये। अस्पष्ट बचने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(तीन) सरकारी सेवक द्वारा किये गये कार्य या कृत्य का यथा सम्भव, संक्षेप में उल्लेख किये जाना चाहिये।

(चार) यदि कार्य या कृत्य को किसी विशिष्ट नियम या आदेश से सम्बन्धित किया जा सकता है तो उसे यहां दर्शाया जाना चाहिए, यदि नही, तो एक सामान्य विवरण जैसा ''एतद्द्वारा.....के बेईमानी या कर्तव्य अवहेलना के दोषी थे, दिया जाना चाहिये।

(पांच) साक्ष्य का विस्तार में दिया जाना आवश्यक नही है । साक्ष्य के विभिन्न अंशो को, जिन पर आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध विचार किया जाना प्रस्तावित है, यथा अमुक–अमुक का कथन या अमुक–अमुक का पत्र या की रिपोर्ट अमुक–अमुक दिनांक, विनिर्दिष्ट करना ही कॉफी है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि साक्ष्य जिसे उपस्थिति किया गया है, निःशेष होना चाहिये, क्योंकि बाद में आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध साक्ष्य के किसी अग्रतर अंश पर विचार नही किया जा सकता है, जब तक कि उसक बचाव के अवसर सहित उसको नई नोटिस न दे दी जाय।

प्रपत्र ––2

(नियम 15 देखिए)

अर्दली कक्ष रजिस्टर का प्रारूप

अपील कक्ष पंजी **डिवीजन**

क्रम सं0	नाम पद तथा दोषारोपित पक्ष की संख्या	अपराध	अपराध का दिनांक	साक्षियों का कथन तथा प्रस्थितियां	दोषारोपित पक्ष का कथन	पिछले अपराधों तथा दण्डों का निदेश	अर्दली कक्ष में बैठे अधीक्षक अथवा अधिकारी का निर्णय	अधीक्षक की आज्ञा तथा दिनांक	दण्ड की कार्यान्वित करने की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आज्ञा से,

आदित्य कुमार रस्तोगी,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999

उत्तर प्रदेश सरकार

कर्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/9/98–क–1–99

लखनऊ, 09 जून, 1999

1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ :– 1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम की शक्ति के अधीन सरकरी सेवकों पर लागू होगी।

2. परिभाषएं :– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पद नियुक्ति करने की लिए शसक्त प्राधिकारी से है;

(ख) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(घ) ''विभागीय जांच'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है,

(ड.) ''अनुशासनिक प्राधिकारी'' का तात्पर्य नियम 6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है,

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ज) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(झ) ''समूह क, ख, ग और घ के पदों'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय–समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है,

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है।

3. शास्तियां :– निम्नलिखित शास्तियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेगी :–

लघु शास्तियां:–

1. परिनिन्दा,
2. किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना,
3. किसी दक्षतरोध को रोकना,
4. आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि का पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना,
5. समूह ''घ'' पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्मानाः

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

दीर्घ शास्तियां

1. संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकनाः
2. किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना,
3. सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नही करता हो,
4. सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।

स्पष्टीकरण :–इस नियम के अर्थ के अर्न्तगत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नही माना जायेगा, अर्थातः–

1. किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमो या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकार सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना,
2. दक्षता रोक पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षता रोक पर वेतन का रूक जाना।

3. सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्ति किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति कर नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन,
4. परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों ओर आदेशों के अनुसार, सेवा का पर्यवस्यन,

4. निलम्बन :– 1. कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नही करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित जारी आदेश द्वारा सशक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष समूह ''क'' और ''ख'' पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि समूह ''ग'' और ''घ'' पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने और निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जिसके संबंध में या जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलंबित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियों समाप्त न हो जायं।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलंबित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात अपने निरोध के बारें में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। समक्ष प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलंबन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपातरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के आधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम में निर्दिष्ट अडतालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए करावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया वहां–

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नही था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का अर्थ नही लगाया जायगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाने जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन

आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नही होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शन्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्यच करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां–

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायगा।

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रदत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड़ दो, भाग दो से चार के फन्डामेन्टल रूल 53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

5.निलम्बन अवधि में वेतन और भत्तें आदि :– इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया

माना जायेगा अथवा नही पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शिलय हैण्ड बुक, खण्ड़ दो, भाग दो से चार के नियम 54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्ओकरण मांगने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. अनुशासनिक प्राधिकारी :– किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम 3 में विनिर्दिष्ट शास्तियां में कोई अधिरोपित कर सकेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नही जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश श्रेणी दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 1973 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह ''ग'' और ''घ'' के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जायं, प्रत्ययायोजित कर सकती है।

7. दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रकिया :– किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :–

1. अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
2. अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यावाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप पत्र कहा जायगा। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।
3. विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सके। आरोप पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो, आरोप पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

4. आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नही होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप–पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता हैं। उसको यह भी सूचित किया जायगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।
5. आरोप पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायगा :

   प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।
6. जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
7. जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप. पत्र में साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :
8. जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
9. जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

10. जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नही होता है तो, जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।
11. अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायगा नियुक्त कर सकता है।
12. सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दिया हो :

    प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगाः–

    1. जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराए, या
    2. जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नही है, या
    3. जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सूरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

8. जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना :– जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नही करेगा।

9. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही :–

1. अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक की सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगें, मामला पुनर्जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम–7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।
3. आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोंपों से विमुक्त कर दिया जायगा और तद्नुसार उसे सूचित कर दिया जायगा।
4. यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखतें हुए, यदि कोइं हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियां अधिरोपित करते हुए सक युक्ति संगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

10. लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया :–

1. जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियां अधिरोपित कर सकेगा।
2. सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायगा।

11. अपील :–

1. इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

2. अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।
3. अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नही किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।
4. अपील आपेक्षित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी। उक्त अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायगी ।

12.अपील पर विचार– अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम 13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेष पारित करेगा जैसा व उचित समझे–

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके है,

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए प्र्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और
(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

13.पुनरीक्षण –इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेष की पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या
(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रतर जॉच की जाय, या
(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या
(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

14.पुनर्विलोकन –राज्यपाल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेष पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

15.शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर
–नियम 12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित

यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

16.आयोग से परामर्श –इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायगा।

17–विखंडन और व्यावृत्ति (1) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 एतद्द्वारा विखंडित की जाती है !

(2) ऐसे विखंडन के होते हुए भी,–

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्याायोजन और सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम 3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय,

(ख) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायगा,

(ग) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकारी के प्रवर्तन से वंचित नही करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011

भाग एक – सामान्य

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, कही जायेगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. प्रयोज्यता :– यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगीः–

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य वे कार्य पर हो, या अवकाश पर हों या निलम्बन के अधीन हों और उनके परिवार।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवको के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों।

3. **परिभाषएँः–** जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः–

(क) ''प्राधिकृत चिकित्सा रिचाारक'' का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारयों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवक्ताओं, उपाचार्यों, अचार्यों या अन्य विशेषज्ञों से है जो किसी लभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,

(ख) ''लाभार्थी'' का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त, सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो,

(ग) ''परिषद'' का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्ड़ल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,

(घ)''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है,

(ड.) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश से है,

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(च) ''परिवार का तात्पर्य'' –(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी और, (दो) माता–पिता बच्चे अविवाहित/तलाकशुदा/ परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता	(च) ''परिवार'' का तात्पर्यः– (एक) सेवा के सदस्य का यथा स्थिति पति या पत्नी और, (दो) माता–पिता बच्चे अविवाहित/तलाकशुदा/ परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता जे सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे है। टिप्पणीः–1 – किसी परिवार के ऐसे सदस्यों जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्त्रोतों से आय रू0–3500/– और रू0–3500/– प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

	जायेगा। टिप्पणी :–2– आश्रितों के लिये आयु सीमा निम्नवत् होगी– 1. पुत्र– सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। 2. पुत्री– सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हों। 3. ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो–जीवन पर्यन्त, 4. तलाकशुदा/पति से परितयाजित/विधाव आश्रित पुत्रियां और अविवाहित/तलाकशुद/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें जीवन पर्यन्त, 5.अवस्यक भाईः– वयस्कता प्राप्त करने तक।

(छ) ''सरकार का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
(झ) ''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालया से सहबद्ध चिकित्सालय से है,	**(झ)** (एक)''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालया से सहबद्ध चिकित्सालय से है, (दो) प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से है, जिनसे सी.जी. एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थ्य सेवायें) की दरों सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।	**(झ)** (एक)''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालया से सहबद्ध चिकित्सालय से है, (दो) प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से है, जिनसे सी.जी. एच.एस. योजना के अधीन अधिसूचित किये जाय;

(ञ) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य फाइनेशियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, से है जिनका वेतन राजय के राजस्व से वहन किया जाता हैं, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार, सम्मिलित नही,

(ट) ''चिकित्सालय'' का तात्पर्य एलौपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,

(ठ) ''चिकित्सा परिचर्या'' का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय परामर्श ओर परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्स द्वारा आवश्यक समझी जाएं।

(ड़) ''चिकित्सा महाविद्यालय'' का तात्पर्य सरकार के प्रशासकीय नियत्रंण के अधीन किसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है,

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

(ढ)''सेवानिवृत्त सरकारी सेवक'' का तात्पर्य सरकारी सेवक से है जो सेवा से निवृत्त हो गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, असमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित नही हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोडने के प्श्चात किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/नियम आदि में आमेलित हो गये हो,

(ण) ''संदर्भित करने वाली संस्था'' का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय,छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सी0एस0एम0एम0यू0) लखनऊ, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0) लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ और सरकार द्वारा इस रूप अधिसूचित किसी अन्य संस्था से हैं।

(त) ''राज्य'6 कस तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(थ) ''उपचारी चिकित्सक'' का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकितसक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है,

(दो) ''उपचार'' का तात्पर्य सभी उपभोग्य कन्जूमेबल एवं उपभोग पश्चात त्याज्य डिस्पोजेबल, चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपयोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोजनार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियों, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देख रेख भी सम्मिलित है।

भाग दो

सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार।

4. निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारीः–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यता यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के सीान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।	समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यता यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के सीान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

5. संदर्भ अपेक्षित न होनाः–

किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी।

6. स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से पहचान :'–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
(क) किसी लाभार्थी को	**(क)** किसी लाभार्थी को निःशुल्क	**(क)** किसी लाभार्थी को किसी

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट क में दिये गये प्रारूप कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य–पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फौटे पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायगी कि फोटो और पत्र दोनो पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो; परन्तु किसी पेंशन भोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।	चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट क में दिये गये प्रारूप कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्याकिंत स्वास्थ्य–पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायगी कि फोटो और पत्र दोनो पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो; परन्तु किसी पेंशन भोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध रूप से जारी कर सकती है। **(ख)** स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि यदि परविार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होगे और वहपत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।	सरकारी चिकित्सालय या सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट क में दिये गये प्रारूप कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्याकिंत स्वास्थ्य–पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा/करेगी। स्वास्थ्य पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायगी कि वह फोटो और पत्र को आंशिक रूप से आच्छदित करे; परन्तु किसी पेंशन भोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। **(ख)** कार्ड में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि यदि परविार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होगे और वहपत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा। **(ग)** लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में आकस्मिक/अप्रत्याशित रोंगों के निःशुल्क चिकित्सा उपचार एंव सी. जी.एस.एस. दर पर असाध्य रोगों का चिकित्सा उपचार प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करें।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि यदि परविार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होगे और वहपत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7. वास सुविधा :–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी	(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में

लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः–

क्र0	मूल वेतन + ग्रेड़ वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1	रू0 19000/– या अणिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	रू013000/– से अधिक और रू0 19000/–से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रू0 13000/– या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभागी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सवाओं लिए हकदार होगा जो कि वह उपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है;

परन्तु अग्रतर यही भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः–

क्र0	मूल वेतन + ग्रेड़ वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1	रू0 19000/– या अणिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	रू013000/– से अधिक और रू0 19000/–से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रू0 13000/– या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभागी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सवाओं लिए हकदार होगा जो कि वह उपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है;

परन्तु अग्रतर यही भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

टिप्पणीः– प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में अंतरंग उपचार हेतु वार्ड की हकदारी के लिये मानदंड, मूलवेतन + ग्रेड वेतन की सीमाओं पर आधारित होगे जैसा कि ऐसे चिकित्सालयों में भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 दरों के अधीन आच्छादित सरकारी सेवकों पर लागू है।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह सम्बन्धित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नही होगा।

8. अन्य स्त्रोतों से औषधियों आदि की आपूर्तिः– किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियों , यथा सानोग्राफी, कम्प्यूटराईज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनिंग, एन्जेस्कोपी, ऐन्ज्योग्राफी, रेडियोलाजिकल, पैथोलॉजिकल और बैक्अीरियोलॉजिकल जांच या कोई अन्य जांच, जो आवश्यक समढी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्त्रोतो से उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियों या सुविधाएं सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलबध नही है, ऐसा अवधारित और विहित किया जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयां जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियों उपलब्ध हो या ऐसी दवाइयां जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रू‍प में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रू‍प से परामर्शित नही किया जायेगा।

9. कृत्रिम अंगः– (क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय, निम्नलिखित कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैः–

1. आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप
2. प्रोस्थीसिस फार नी ज्वाइंट
3. सरवाइकल कालर्स
4. कार्डियॉक पेस मेका
5. कार्डियॉक वाल्व
6. आर्टिफिशियल वोकल बाक्स
7. हियरिंग एड/कॉक्लियर इम्प्लान्ट
8. इन्ट्राऑक्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट
9. थेराप्यूटिक कान्टैक्ट लेन्स
10. कम्पलीट आर्टिफिशियल डेन्चर (सम्पूर्ण कृत्रिम दंतावली)
11. स्पेक्टेकल्स (चश्में)(तीन वर्षों में एक बार से अनधिक)
12. निःशक्त के उपयोग के लिए कृत्रिम अंग को शामिल करते हुए साधित्र
13. सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र।

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगों और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, नाम इत्यादि ज्ञात करते हुए उपचारी चिकित्सक की लिखित सलाह पर की जायेगी।

10. एस0जी0पी0जी0आई0/सी0एस0एम0एम0यू0 में उपचारः–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
कोई लाभर्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	कोई लाभर्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के0जी0एम0यू0 लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा समता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख–रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी पोषित संस्थानों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित/सत्यापित बीजकों की कुल धनराशि को वहन करने में सहमत हो, तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त बीजकों को शेष 95 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। और ऐसे बीजकों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित/ प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने से छूट प्रदान की जायेगी। यदि लाभार्थी बीजकों की पांच प्रतिशत धनराशि वहन करने में असहमत हो, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बीजकों को सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात ही उक्त संस्थानों के चिकित्सा बीजकों का भुगतान पूर्वतर नीति के

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

		अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में सदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख–रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिपूर्णीय होगा। अतः रोगी को प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में असाध्य रोगों के सी. जी.एच.एस. दर पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार और आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

भाग तीन

यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

11. तात्कालिक/आपातकालीन उपचारः–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की कृपा की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि– (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाए। (ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।	किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की कृपा की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराने की दशा में उपचार की लागत सी0जी0एच0एस0 की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि– (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाए। (ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों	किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। अतः रोगी का उपचार उपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने के अलावा यदि उपचार राज्य के अन्य निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है तो उपचार का शुल्क संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में यथाप्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगा यदि रोग के उपचार की दर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध नही है तो प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दरों पर की जायेगी। यदि उपचार प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से भिन्न राज्य के

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।	के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।	बाहर निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है तो उपचार की दर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार होने की दशा में उपचार की दर सी0जी0एच0एस0 की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी परन्तु; (क) उपचारी चिकित्सका तात्कालिक/ आपातकालिक दशा प्रमाणित करे। (ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को यथा संभव शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जायेगा। (ग) आपात स्थिति की दशा में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा।

12. यात्रा पर उपचारः–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा;– प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।	कार्यालय कार्य से या निजी कार्य के लिए यात्रा के दौरान अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा;– प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति, सी0जी0एच0एस0 की दरों पर होगी। कार्यालयीय यात्रा पर विदेश जाने वाले सरकारी सेवकों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी प्राप्त कर लें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने की दशा में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें चिकित्सकीय उपचार का लाभ बीमा योजना के अंर्तगत मिल सके। यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ता देयक में टिकट के साथ की जा सकती है किन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पृथक से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नही दी जाएगी।

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

13. निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार :–

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है; प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम 11 (ग) लागू नही होगा। (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।	(क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष या सरकारी जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा विशिष्ट उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है; (ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों को संदर्भित मामलो व्यय की प्रतिपूर्ति, सी0जी0एच0एस0 की दरों पर होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जांच जिनके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

14. मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार :–

सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

भाग चार

सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम

15. चिकित्सा अग्रिम :–

मूल नियम	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पचहत्तर (75) प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।	(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पन्चानवे (95) प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट ''ख'' में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/

*उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या474/5–6–14–1082/87 टीसी दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

अधीक्षक /सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलंन संलग्न किया जायेगा।

मूल नियम	**दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित
(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।	(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय और असाध्यय या आकस्मिक या अप्रत्याशित रोगों के उपचार से सम्बन्धित मामलों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों सहित प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से सी0जी0एच0एस0 दरों पर प्राक्कलित प्राप्ति के पंन्चानबे प्रतिशत एक सप्ताह के भीतर चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारी या पेंशनभोगी के बचत खाते में जमा किया जायेगा। (ग–2) उपचार पूर्ण होने के दिनांक के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी तीन महीनों के भीतर अपने चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को अनिवार्य रूप से समायोजित करवायेगा। (ग–3) कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए यथास्वीकृत अग्रिम के समयोजन हेतु अपनायी जाने वाली प्रकिया किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा पृथक रूप से निर्धारित की जायेगी।

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल प्श्चात किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात, प्रस्तुत करेगा।

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(ड.) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नही किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।	किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा मे, परिचारक चिकित्सक की सलाह ओर संस्तुति पर विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखतें हुए द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जा सकती है कि पूर्ववर्ती स्वीकृत अग्रिम को एक आंशिक दावा प्रस्तुत करके समायोजित किया गया है।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट ''घ'' में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टार रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टार में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नही होगी।

मूल नियम	*दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात	(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात

**उ0प्र0सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)संख्या 365/2016/3124/5–6–16–19 जी दिनांक 27.12.2016 से प्रतिस्थापित

उपचार नही प्रारम्भ होता है। तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नही की जाती है। तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृत के दिनांक से की जायेगी।	उपचार नही प्रारम्भ होता है। तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नही की जाती है। तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जो भविष्य निधि पर लागू ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।

भाग पांच – प्रतिपूर्ति

16. तीन महीनों के भीतर दावा :–

लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार की समाप्ति के पश्चात तीन माह से अपश्चात परिशिष्ट ''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ पत्र उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचर और परिशिष्ट ''ड'' में (बहिरंग उपचार) और परिशिष्ट ''च'' (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया । विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नही किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पेंशन भोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहां से वह पेंशन आहरित कर रहा हैं। जहां ऐसा कोई कार्यालय न हो वहां सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

17. तकनीकी परीक्षण प्राधिकारीः–

(क) स्वीकर्ता अधिकारी या पेंशनभोगी का प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्यक तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात वास्तविक प्रतिपूरणीय धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कतिपय आपत्तियां न उठायी गयी हों और संसूचित न की गयी हो, स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिर्पोट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेंशनभोगी के मामले में, यदि कार्यालयध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसरित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय–सारिणी का अनुसरण करेगा।

18. प्रतिपूर्ति के लिए अनिवार्य दस्तावेज :–

स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि परिशिष्ट ''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाए;

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रिप्शन पर्चों, और वाउचरों की मूल प्रतियां।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते हैं।

19. तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारीः– तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होगी–

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) रू0 40000/–तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/आयुर्विज्ञान, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक
(दो) रू0 40001/–से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार हेतु	संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा जैसा नियम 13 (क) में उपबंधित है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमान्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनो में संस्तुत करेगा।

20. स्वीकर्ता प्राधिकारी :– उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने की लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगेः–

(क) सरकारी सेवकों के लिएः–

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रू0 100000/– तक	कार्यालयाध्यक्ष
रू0 100000/– से अधिक रू0 250000/– तक	विभागाध्यक्ष
रू0 250000/–से अधिक रू0 500000/–	सरकार का प्रशासकीय विभाग
रू0 500000/– से अधिक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए :–

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रू0 100000/– तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के प्श्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष।
रू0 100000/– से अधिक रू0 500000/– तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के प्श्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी।
रू0 500000/– से अधिक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपदके कार्यालायध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकिय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्राशसकीय विभाग।

21. व्यय का कोषागार :– प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी ''शीर्ष'' से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन भत्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते है।

भाग छः

प्रकीर्ण

22. यात्रा और सहचर :–

(क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट उपचार के लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नही है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालय द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बीमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है। कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकार यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नही होगा भले ही लाभार्थी उसके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान दारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

23. समय सीमाः– सामान्यतया दवा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

24. अखिल भारतीय सेवा के सदस्यः– यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहां अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निरन्तर हैं।

25. वाहय सेवाः– यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा नही प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर हुआ व्यय वाह्य नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नही किया जायेगा।

26. निरसन और अपवादः– समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेशों निरसित हो जायेंगे। तथापि प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नही होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी।

27. कठिनाई का निराकरणः– यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा) नियमावली, 2011 के उपबन्धों के प्रर्वतन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और सीमाचीन प्रतीत हो।

28. निर्वचन और शिथिलीकरणः– (क) यदि इस नियमावली निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है। तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक् कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की उपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति के निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से,
संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट ग

भाग पांच नियम 16 तथा 18 देखें

सेवा में

कार्यालयाध्यक्ष का नाम

....

....

विषयः— चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं.../मेरे परिवारिक सदस्य (नाम)..ने.... ....(बिमारी का नाम) के लिये..(दिनांक) से..................... ....तक..(चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हैः—

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवर्यता प्रमाण—पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची (कैश मेमों), बीजक (बिल), बाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझे पर पूर्णतया आश्रित हैं।

मेरे उपचारार्थ...के पत्र संख्या..दिनांक.................................

द्वारा स्वीकृत रू0...के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिये यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनाक..

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनाम

तैनाती का स्थान

आज्ञा से,
(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 474 (1)/पांच–6–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रजी रूपान्तर की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड़ ख में दिनांक 04.03.2014 को प्रकाशित करायें तथा अधिसूचना की 2000 (दो हजार) प्रतियां शासन के चिकित्सा अनुभाग –6 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)

सयुंक्त सचिव

संख्या–474 (2)/पांच–6–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार; उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक परिवार कल्याण/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष/महिला) उ0प्र0 को भेजने का कष्ट करें।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष/महिला) उ0प्र0।
9. स्थानिक आयुक्त, 14 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
10. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. विभागीय बेब मास्टर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब लोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(यतीन्द्र मोहन)

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट ड

नियम 3 ग–2 देखिये

आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगों की सूची नीचे दी गयी है, किन्त यह पूर्ण नही है क्योंकि आकास्मिक/अप्रत्याशित रोगी की दशा पर निर्भर करती हैः–

1. एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम (कोरोनरी आरट्री बाइ–पास ग्राफट/परक्यूटेनियस ट्रान्सल्यूमिनस कोरोनरी एन्ज्योप्लास्टी) मायोकार्डियल इन्फार्कशन, अनस्टेबल इन्जाइना, वेन्ट्रीक्यूलर, एरिदमियॉ, पीएटी कार्डियक टैम्पोनड, एक्यूट लेफ्ट वेन्ट्रिक्यूलर फेल्योर (एस सी सी एफ), एक्सलरेटेड हाइपरटेन्शन, कम्प्लीट हार्ट ब्लाक स्टोक्स एडम अटैक, एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन।
2. एक्यूट लिंब इस्चीमिया, रप्चर ऑफ एन्यूरिस्म मेडिकल तथा सर्जिकल शॉक, पेरिफेरल सरकुलेटरी फेल्योर।
3. सेरिबोवैस्कुलर अटैक, स्ट्रोक सडेन अन–कान्शसनेस, हेड इन्जरी, रेस्पीरेटरी फेल्योर, डिकम्सेटेड लंग डिसीस, सेरिब्रो मेनिन्जीयल इन्फेक्शन, कन्वलशन, एक्यूट पैरेलिसिस, एक्यूट विसुयल लॉस।
4. एक्यूट एबडामिनल पेन।
5. सभी प्रकार की दुर्घटनायें।
6. हिमोरेज।
7. एक्यूट प्वाइजनिंग।
8. एक्यूट रीनल फेल्योर।
9. एक्यूट ऑब्स्टेट्रिक एण्ड गाइनेकालाजिकल इमरजेन्सी
10. इलेक्ट्रीक शॉक।
11. जीवन के लिए घातक कोई अन्य दशा।

परिशिष्ट –च

नियम 3 ट–1 देखिए

1. समस्त प्रकार के कैंसर।
2. समस्त प्रकार के हृदय रोग।
3. डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग।
4. दीर्घ कालीन यकृत प्रत्यारोपण ।
5. यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी।
6. अल्पकालिक अत्यन्त गंभीर यकृत रोग।
7. घुटने और कुल्हे का बदलाव।
8. प्रोस्टेट ग्लैण्ड सर्जरी।
9. कार्निया प्रत्यारोपण।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ 2. समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 3. अपर निदेशक (विद्युत)/(परिवहन) स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 4. समस्त संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 5. समस्त प्रोग्राम अधिकारी स्वास्थ्य भवन लखनऊ।	6. वित्त नियंत्रक स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 7. मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 8. वरिष्ठ विधि अधिकारी स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 9. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) स्वास्थ्य भवन लखनऊ। 10. समस्त प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

संख्या–13फ/कैशलेस चि0सु0/2016/2926

विषयः– राजकीय कर्मचारियों/पेंशनरों को असाध्य/आपातकालीन बीमारियों में सी0जी0एच0एस0 की भांति राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र सं0–11फ/कैशलेस/2016–17/कैम्प–9457, दिनांक 02.12.2016 द्वारा राजकीय कर्मचारियों/पेशनरों को असाध्य/ आपातकालीन बीमारियों में सी0जी0एच0एस0 की भांति राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रारूप–1,2 पर समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर आश्रितों परिवार के सदस्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त से संबंधित सूचना का प्रारूप–2 (तीन पृष्ठ) संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/ अधिकारियों की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में दिनांक 10.12.2016 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त योजना के उद्घाटन हेतु प्रस्तावित दिनांक 15.12.2016 से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(एस0एच0 जायसी)
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या–13फ/कैशलेस चि0सु0/2016/

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (चिकित्सा उपचार) स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
3. कम्प्यूटर प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ स्वास्थ्य भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर लोड कराने का कष्ट करे ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त की सूचना प्राप्त हो सकें।
4. नाजिर/केयर टेकर, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
5. गार्ड फाईल।

(एस0एच0 जायसी)
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)

State Health Card Cell

State employee cashless Treatment Facility (SECTF)

Application Form for SECTF User Id and Password/ (एस0इ0सी0टी0एफ0) के यूजर आयडी एवं पासवर्ड हेतु आवेदन पत्रः–

1.	Name of Application/ आवेदन का नाम	
2.	Designation/पदनाम	
3.	District/जिला	
4.	Department/विभाग	
5.	Designation of Head Office/कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम	
6.	Office Address/कार्यालय पता	
7.	Mobile No./मोबाइल नम्बर	
8.	DDO code (Prvided by Treasury)/डी0 डी0 ओ0 कोड़ (कोषगार से प्राप्त)	

आवेदक के हस्ताक्षर.....
दिनांक.....
नाम.....

कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुतिः–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... मेरे कार्यालय

में.....पद पर कार्यरत है। मैंने इनके द्वारा इस पत्र पर भरी गयी सारी जानकारी की सत्यता की अपने स्तर से जांच कर ली है। अतः इन्हे यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान करने का कष्ट करें।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....
दिनांक.....
पदनाम.....
मोहर.....

State Health Card Cell

State employee cashless Treatment Facility (SECTF)

Application form for state Health Card/ राज्य स्वास्थ्य कार्ड हेतु आवेदन पत्रः–

यह आवेदन पत्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों एवं पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु स्टेट हेल्थ कार्ड जारी करने से सम्बन्धित है । आवेदन में सभी बाक्स में विशिष्ट किया जाना अनिवार्य है। सभी बाक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में अंकित की जानी है। संख्यात्मक प्रविष्टिया अंक पद्वति में ही पूर्ण की जाये। ऑनलाइन आवेदन कर्ता आवेदन प्रकिया पूर्ण कर भरे हुए पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट ले लें। भविष्य में आवेदक द्वारा किये गये समसत दावे पूर्ण आवेदन के प्रिंटआउट पर ही मान्य होंगे। अपूर्ण/अधूरे भरें आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1.	Applicat's Name/ आावेदक का नाम	
2.	जन्मतिथि	
3	सेवारत या पेंसनर	
4	विभाग का नाम	
5	कार्यालय का नाम	
6	कार्यालय का जनपद	
7	वर्तमान या अंतिम पदनाम	
9	वर्तमान या अंतिम मूलवेतन	
9	मोबाइल नं.	
10	ई–मेल	
11	आधार नं.	
12	कार्यालय का पता	
13	आवसीय पता	
14	फोटो अपलोड	
15	अग्रसरण अधिकारी का पदनाम	
16	(अग्रसरण अधिकारी का) डी0 डी0 ओ0 कोड (कोषगार से प्राप्त)	

घोषणः–

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूं कि आवेदन में की गयी समस्त प्रविष्टियां सही व सत्य हैं एवं मैने राज्य स्वास्थ्य कार्ड के आवदेन हेतु मेरी पात्रता सत्यापित की है। मुझे इससे सम्बन्धित सभी शर्तें मान्य है। मैंने किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं है। यदि चयन के पूर्व अथवा बाद में जाचोपरांत कोई विवरण असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....

अग्रसरण अधिकारी की संस्तुति : (अग्रसरण अधिकारी आवेदक के आदान एवं वितरण अधिकारी होंगे)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ की श्री/श्रीमती/कुमारी.....मेरे विभाग में.. .....पद पर कार्यरत है। मैने इनके द्वारा इस प्रपत्र पर भरी गयी सारी जानकारी की सतयता की अपने स्तर से जांच कर ली है यह राज्य स्वास्थ्य कार्ड जारी करने हेतु सभी शर्ते पूरा करते हैं एवं पात्र है।

अग्रसरण अधिकारी का हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

मोहर.....

Detail of Deparment's/ लाभार्थी के आश्रितों का विवरणः–

Beneficiary may Attach Separate seats if necessary/लाभार्थी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सीट संलग्न करें।

S.NO.	Name	Date of Birth	Relation	Adhar no.	Photo
1					
2					
3					
4					

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद

दिनांक – मार्च 11,2016

संख्या–23/कैशलेश (सैफई–पीजीआई)2014

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत /सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा नियमावली के अनुसार कैशलेश सुविधा के अर्न्तगत उपचार कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत /सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा नियमावली के अनुसार कैशलेश सुविधा के अर्न्तगत उपचार कराये जाने हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में कैशलेश उपचार प्रारूप की सुविधा उपलब्ध है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 23–कैशलेश (सैफाई–पीजीआई)2014, दिनांक 15.09.2014 द्वारा निर्गत प्रारूप में पुलिस कर्मियों/पेंशनरों को सूचना भरने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड रहा था। फलस्वरूप उनके अनुरोध के परिपेक्ष्य में पूर्व निर्गत प्रारूप का संशोधित करते हुए सरलीकृत प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3. अतएव निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया सम्मेलन कर अपने अधीनस्थ कर्मियों तथा जनपद/इकाई से सेवानिवृत्त कर्मियों को इससे अवगत कराये तथा प्रारूप को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

4. कृपया उपरोक्त निर्देश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः– यथोपरि।

(शैलेश कुमार यादव)
अपर पुलिस अधीक्षक, कल्याण
निमित्त पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ।
निदेशक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा।
अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्याल कैम्प कार्यालय, पुलिस लाइन लखनऊ।
डा0 परवीन आजाद, विशेष कार्याधिकारी, कल्याण पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय पुलिस लाईन लखनऊ।
महासचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शन कल्याण संस्थान, कमरा नम्बर–419 इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ–226001, को उनके पत्र संख्या पी.पी.एस (रिटा)–3/2016.

उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत /सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित का संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में कैशलेश उपचार प्रारूप।

स्वप्रमाणित फोटो मरीज का

(एक चस्पा एक संलग्न)

1. पुलिस कर्मी/पेंशनर का नाम.....
2. रोगी का नाम (स्वंय/आश्रित).....
3. पंजीकरण संख्या(अस्पताल द्वारा भरा जायेगा).....
4. पुलिस कर्मी/पेंशनर से संबंध.....
5. पुलिस कर्मी/पेंशनर के आश्रित रोगी की जन्मतिथि.....
6. बीमारी का विवरण.....
7. पद/सेवानिवृत्त का पद.....
8. वर्तमान/सेवानिवृत्त के जनपद/ इकाई का नाम.....
9. वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहें कोषागार का नाम जनपद.....
10. पीएनओ/कोषागार इन्डेक्स नम्बर.....
    (कोषागार द्वारा निर्गत पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
11. मूल वेतन/पेंशन.....
12. बैंक का नाम शाखा सहित.....
13. बैंक का खाता संख्या.....
14. घर का स्थायी पता.....
15. अस्थाई पता.....
16. मोबाइल नम्बर.....
17. प्रमाणित किया जाता है कि.....इस जनपद के कोषागार से वेतन/पेंशन प्राप्त करते हैं।

अधिकृत राजपत्रित अधिकरी
कार्यालयध्यक्ष का नाम, पदनाम
सहित समुहर हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर

स्व–घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि कैशलेश सुविधा के अन्तर्गत कराये गये उपचार में व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से स्वीकृत धनराशि अधिकृत अस्पताल, जिसमें उपचार कराया गया है,को दे दी जाय। स्वास्थ्य पत्रक (हेल्थ) की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

पुलिस कर्मी/पेंशनर का हस्ताक्षर

नोटः– पुलिस कर्मी/पेंशनर यदि हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो उनके स्थान पर उनके आश्रित/परिजन द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद,
संख्याः12/ए–पीजीआई (कैशलेश ईलाज)–2014, दिनांकः अप्रैल 15, 2014

सेवा में,

सम्सत विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश पुलिस।

विषयः– उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा नियमावली के अनुसार कैशलेश सुविधा के अर्न्तगत उपचार कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा नियमावली के अनुसार कैशलेश सुविधा के अर्न्तगत उपचार कराये जाने हेतु संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान से

सेवा में,

सम्सत विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश पुलिस।

विषयः– संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नियुक्त कर्मियों के कैशलेश ईलाज की व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में।

कृप्या अवगत कराना है कि कभी–कभी गम्भीर रूप से बीमार पुलिस कर्मियों और उनको आश्रित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कैशलेस इलाज के आते हैं। उन्हे भर्ती होने पर कदाचित कठिनाई न उत्पन्न हो, इसके लिये वह सीधे थाना पी0जी0आई0, लखनऊ पर पहुँच सकते है। जहां उनके सहायतार्थ निम्नलिखित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गयीः–

1. निरीक्षक थाना पी0जी0 आई0 लखनऊ, सीयूजी मो0 नं0–9454403876
2. उपनिरीक्षक श्री उमाशंकर शर्मा, मो0नं0–9450419768
3. आरक्षी श्री मेवालाल मो0न0– 9455379956

2. उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण संबंधित मरीज का जिला/इकाई के अधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकारी पत्र देखकर पी0जी0आई0 में भर्ती कराने की कार्यवाही करायेंगे। जिससे उनके इलाज में कोई विलम्ब न हो और अगले 24 घण्टे के अन्दर कैम्प कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक डा0 अरविन्द भूषण पाण्डेय, सी0यू0जी नं0– 94544019452 से प्राधिकार पत्र सत्यापित करा लेंगे।

(डा0 सूर्य कुमार)

उपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश सेवा संवर्ग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित किये जाने हेतु नये प्रपत्र के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संख्याः डी जी–दी :बः–5 : इंस्ट्र0 : 2002, लखनऊः दिनांकः मई 05, 2003

सेवा में,

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
2. पुलिस महानिरीक्षक/कार्मिक/मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून
3. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
5. समस्त सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी, उत्तर प्रदेश
6. सेनानायक, आर0टी0सी0, चुनार/पी0टी0सी0, मुरादाबाद/उन्नाव/लखनऊ/गोरखपुर।
7. सेनानायक, ए0ओ0सी0, सीतापुर
8. एस0पी0, एस0बी0ओ0, सीतापुर
9. उपर्युक्त, व्यापार कर, कानपुर/मेरठ/वाराणसी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस मुख्यालय के गोपनीय परिपत्र संख्याः डी जी–दी :बः–5 : इंस्ट्र0 : 2001, दिनांक 10.09.2001 एवं परिपत्र संख्याः डी जी–दी :बः–5 : इंस्ट्र0 : 2002, लखनऊः दिनांकः जुलाई 02, 2002 का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की वर्ष 2001–2002 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां जो तथाकार नये प्रपत्र में भरकर भेजी गयी है, उनमें अभी कई कमियां पायी गयी है जिससे उनके रख रखाव में असुविधा हो रही है। इनका निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है। कृपया इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें जिससे चरित्र पंजी का ठीक प्रकार से रख रखाव सुनिश्चित हो सकेः–

1. वर्ष 2001–2002 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां कई जनपद/इकाईयों से प्राप्त हुई है उनको अंकित कराते समय यदि एक स्थान पर दो या उससे अधिक प्रतिवेदक अधिकारी है तो उन सभी प्रतिवेदक अधिकारियों से अलग–अलग प्रपत्र पर अलग–अलग उनके मन्तव्य अंकित कराये गये है उसके बाद समीत्रक एवं स्वीकर्ता

अधिकारियों के मन्तव्य अंकित कराये गये हैं जिसमें उस अधिकारी के एक स्थान के सम्बन्ध में प्राप्त एसीआर बहुत अधिक प्रपत्रों में प्राप्त हुआ है। जिससे वह एसीआर प्रपत्र बहुत मोआ और उनमें, उनमें अनावश्यक कागज लगे हुये हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है । अतः अपने अनुरोध है कि कृपया इस बात का ध्यान रखा जाये कि यदि अधिकारी एक स्थान पर जितनी अवधि तक नियुक्त रहा है उसे पूरे अवधि का एक एसीआर प्रपत्र पर ही सभी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों के मन्तव्य अंकित करायें जायें जिससे अनावश्क कागजों की भरमार प्रपत्र के साथ न रहे।

2. कई जनपद/इकाई से नये प्रपत्र में जो प्रविष्टियों अंकित होकर प्राप्त हुई है उनमें कम्प्यूटर के कागज का प्रयोग किया गया है जो बहुत हल्का और चरित्र पंजी से अत्यधिक बड़ा होने के कारण उसे चरित्र पंजी में रखने में अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न हो रही है और कई कई बार चरित्र पंजियां देखे जाने पर यह कागज जल्दी खराब हो सकता है। अतः अनुरोध है कि कृपया एसीआर कम्प्यूटर के कागज पर अंकित न कराके अच्छे और मोटे सही साइज के कागज पर अंकित कराके भेजने की कृपा करें।
3. कई स्थानों से जो नये परिपत्र के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, उसे नये एसीआर प्रपत्र में ही मन्तव्य अंकित कराकर उसमें स्टेपिल्स करके भेजा गया हैं उनके अलग–अलग से उसमें रख देने से उनके गिर जाने अथवा जल्दी खराब हाने की सम्भावना हो सकती है। अतः अनुरोध है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तब तक मन्तव्य उसी एसीआर प्रपत्र पर ही अंकित कराने का कष्ट करें जिससे उसका कोई द्रष्टयोग न हो सके और उसके अलग से निर्दल जाने की कोई सम्भावना न रहे।
4. यह बात समाने आयी है कि नये प्रपत्र में मन्तव्य अंकित करते समय इस बात का कम ध्यान दिया जा रहा है कि जिस अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने हेतु जो कालम निश्चित किया गया है उस स्थान पद मन्तव्य अंकित न होकर अन्यत्र स्थान पर मन्तव्य अंकित किया जा रहे हैं जिससे उसे देखने में और अन्य अधिकारियों को अपने स्थान पर मन्तव्य अंकित करने में कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध है कि कृपया सभी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी अपने निर्धारित स्थान पर ही मन्तव्य अंकित करने की कृपा करें जिससे कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न पर मन्तव्य अंकित किया जा सके।
5. यह भी देखा जा रहा है कि एसीआर प्रपत्र में अंकित जिन श्रेणी के अनुसार मन्तव्य अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये है उनसे हटकर अभी भी श्रेणी अंकित की जा रही है। जैसे औसत, अच्छा, बहुत अच्छा एवं एवरेज इत्यादि इत्यादि। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया एसीआर प्रपत्र में शासन द्वारा जिन श्रेणी का निर्धारण किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य किसी श्रेणी का उल्लेख मन्तव्य में न किये जायें जिससे कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो और लिखे गये मन्तव्य के अनुसार ही श्रेणी अंकित की जाये।

6. अधिकारियों द्वारा स्वः मूल्यांकन आख्या भरते समय भी कई प्रकार की गलतियां की जा रही है, जिससे एसीआर की स्थिति स्पष्ट होनें में कई प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। स्वः मूल्यांकन आख्या के पृष्ठ 3 में कालम संख्या 3 एवं 4 में अधिक गलती हो रही है। अतः कालम संख्या–3 में वह पद भरता होता है, जो उनका मूल पद है और कालम–4 में उस पद का नाम भरना चाहिये जो अधिकारी उस अवधि में जिस पद पर नियुक्त रहा हो जिससे उनके कार्य करने वाले पद ओर मूल पद की स्थिति स्पष्ट हो सके। स्वः मूल्याकन आख्या भरने वाले अधिकारी को यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि उनके एक स्थान पर नियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में उस पूरी अवधि में एक ही प्रपत्र भरा जाये जिससे उस पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता सभी अधिकारियों के एक साथ अपने अपने स्थान पर मन्तव्य अंकित किये जा सके। कृपया स्वः मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने पर अपने स्तर से भी पूर्ण परीक्षण कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि स्वः मूल्यांकन आख्या भेजने का शासन द्वारा 30 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है अतः अब तक सभी अधिकारियों द्वारा स्वः मूल्यांकन आख्यायें प्राप्त करली गयी होगी और यदि अभी भी किन्ही अधिकारियों की स्वः मूल्यांकन आख्यायें प्राप्त नही हुई हों तो उन्हें एक सप्ताह का समय दे कर विशेष रूचि लेकर स्वः मूल्यांकन आख्यायें प्राप्त करने का कष्ट करें जिससे सभी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा समय से अपने मन्तव्य अंकित किये जा सके।

अभी भी कई अधिकारियों की वर्ष 2001–2002 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां प्राप्त नही हुई है। कृपया इन्हें विशेष ध्यान देकर ''एक सप्ताह'' के अन्दर पूर्ण कराने का कष्ट करें।

आपसे पुनः अनुरोध कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर सभी अधिकारियों की प्रविष्टियां सभी प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों को विशेष निर्देश देकर समय से पूर्ण कराने की कृपा करें जिससे सभी अधिकारियों की चरित्र पंजियों भी समय से पूर्ण हो सके। कृपया उपरोक्त इंगित बिन्दुओं पर विशेष ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।

भवदीय

हरभजन सिंह

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0

राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु निर्धारित समय सारणी का निर्धारण।

संख्या–36/1/1976–कार्मिक–2

प्रेषक,

डा0 विजय कृष्ण सक्सेना,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 30 अप्रैल, 1991

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 6 जनवरी, 1990 तथा 6 अप्रैल, 1991 में अवशेष वार्षिक प्रविष्टियों को पूर्ण कराने एवं वर्ष 1990–1991 से प्रविष्टियों के अंकन हेतु निर्धारण समय–सारणी पर शासन ने पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गये हैः–

वर्ष 1989–90 तक की अपूर्ण वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण किया जाना

1. वर्ष 1989–90 तक अपूर्ण वार्षिक प्रविष्टियों को सभी संबंधित अधिकारियों से 30.06. 1991 तक पूर्ण कराने का दायित्व वर्तमान विभागाध्यक्ष/सचिव का होगा,
2. इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों की चरित्र–पंजी में उनके ''डिफाल्ट'' को प्रतिकूल तथ्य के रूप में अंकित किया जाये।

वर्ष 1990–1991 से वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय–सारणी का संशोधन

3. स्वः मूल्यांकन 15 मई तक उपलब्ध करायें जायें।
4. जहां प्रविष्टि अंकित करने के लिए केवल दो स्तर निर्धारित हैं, वहां, प्रतिवेदक, प्राधिकारी अपना मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य 30 सितम्बर, तक अंकित कर दें।
5. जिन मामलों में प्रविष्ट अंकित करने के 3 स्तर निर्धारित हैं, उनमें प्रतिवेदक, प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी अपनी प्रविष्टि क्रमशः 21 जुलाई, 21 अगस्त और 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
6. मण्ड़ल/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियां विलम्बतः 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।
7. यदि सम्बन्धित स्तर निर्धारित समय–सारणी के अनुसार अपने मन्तव्य अंकित नही करते, तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर सम्बन्धित प्रपत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
8. निर्धारित समय–सारणी के अनुसार प्रत्येक स्तर से मन्तव्य प्राप्त करने को दायित्व स्वीकर्ता प्राधिकारी का होगा तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों की डिफाल्ट पर निगाह रखेंगे तथा उनकी चरित्र–पंजी में तद्नुसार प्रविष्टि अंकित करायेंगे/करेंगे।
9. प्रविष्ट के अंतिमीकरण हेतु अक्टूबर अधिकतम समय सीमा होगी। यदि उक्त अवधि के भीतर प्रविष्टि अंकित नही की जाती है तो सभी स्तर के प्राधिकारी प्रविष्टि अंकित करने के अपने अधिकार खो देंगे तथा उक्त अवधि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को नजरंदाज किये जाने सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।
10. वर्ष 1989–1990 तक की अवशेष प्रविष्टियों को पूरा कराने तथा संशोधित समय–सारणी के अनुसार प्रविष्टियों को अंकित कराने सम्बन्धित कार्य की विभागवर समीक्षा की जाय। समूह ''ग'' व ''घ'' के कर्मचारियों के बारे में उक्त दोनों समीक्षायें सचिवों/विभागाध्यक्षों द्वारा तथा समूह ''क'' व ''ख'' के अधिकारियों की समीक्षायें कार्मिक सचिव द्वारा क्रमशः 31.08.1991 प्रत्येक वर्ष में दिसम्बर के अन्त तक पूर्ण कर ली जायें। उक्त समीक्षाओं हेतु कार्मिक सचिव को संहत विवरण संलग्न प्रपत्र पर निर्धारित तिथियों तक उपलब्ध करा दिये जायें।
2. कृपया शासन के उक्त निर्णयों से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने तथा इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव।

प्रपत्र संख्या–1

वर्ष 1989–1990 तक अपूर्ण वार्षिक प्रविष्टियों को अपूर्ण कराने हेतु 30.06.1991 तक कृत कार्यवाही की समीक्षा

क्रम सं0	समूह	अपूर्ण प्रविष्टियों की संख्या	30.6.91 तक की गयी प्रविष्टियों की संख्या	डिफाल्टर अधिकारियों की संख्या	डिफाल्टर अधिकारियों की संख्या जिनकी चरित्र–पंजी में प्रतिकूल प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की गयीं
1	2	3	4	5	7

''क''

''ख''

नोट– उपरोक्त विवरण विभागवार संहत रूप में दिनांक 31.07.91 तक सचिव, कर्मिक को निश्चित प्रविष्टियां अंकित करते समय उपरोक्तानुसार ग्रेडिंग का वर्गीकरण सुनिश्चित करें और विभिन्न सेवाओं में जो प्रविष्टियों के लिए प्रारूप बनाये गये हैं, उनमें ग्रेड़िंग के संबंध में यथासंशोधन कर लें अथवा इन प्रारूपों में ही नोट के रूप में उपरोक्त ग्रेड़िंग अंकित कर दी जाय ताकि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी को सुविधा हो।

5. कृपया शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओ0पी0 आर्य,

सचिव।

संख्या–36/1/76–का0–2–1993

प्रेषक,

श्री टी0एस0आर0 सुब्रमन्यन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कर्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 4 दिसम्बर, 1993

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेशों क्रमशः 30 अप्रैल, 1991 तथा 17 अगस्त, 1992 द्वारा प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है और उक्त समय–सारिणी के अनुपालन पर बल दिया गया है। समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–36/1/1976–का0–2/91, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के प्रस्तर–1 (9) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः–

''प्रविष्टि के अन्तिमीकरण हेतु अक्टूबर, अधिकतम समय सीमा होगी। यदि उक्त अवधि के भीतर प्रविष्टि अंकित नही की जाती है तो सभी स्तर के प्राधिकारी प्रविष्टि अंकित करने के अपने अधिकार खो देंगे तथा उक्त अवधि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को नजरअंदाज किये जाने सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।''

2. उक्त शासनादेश के अनुक्रम में निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 1992 में यह अपेक्षा की गयी थी कि निर्धारित समय सीमा का अनुपालन हो तथा समस्त प्रविष्टियां निर्धारित समय के अन्दर अंकित कर दी जाएं। स्वीकर्ता स्तर पर मन्तव्य 30 सितम्बर, तक प्रत्येक दशा में अंकित करने पर विशेष बल दिया गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो अधिकारी समय से मन्तव्य अंकित नही करते हैं उनके सम्बन्ध में शासन गम्भीरता से देखेगा और उनका यह कार्य अपने कर्तप्यों के प्रति उदासीनता माना जायेगा।

3. उक्त दोनों शासनादेशों की व्यवस्थाओ पर सम्यक् विचार करते हुये शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन हेतु निर्धारित समय–सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. स्वीकर्ता स्तर पर प्रविष्टियों का अन्तिमीकरण 30 सितम्बर तक अवश्य कर दिया जायें।
3. यदि सम्बन्धित स्तर निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अपने मन्तव्य अंकित नही करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर पर सम्बन्धित प्रपत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. प्रविष्टि के अन्तिमीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा की समाप्ति के फलस्वरूप प्रविष्टि अंकित करने वाले प्राधिकारियों के अधिकार खो देने सम्बन्धी प्राविधान जो शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के प्रस्तर–1 (9) में प्राविधानित है, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

4. कृपया शासन के उक्त निर्णयों सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी0 एस0 आर0 सुब्रमन्यन,

मुख्य सचिव।

संख्या–36 / 9 / 76 / का0–2 / 2000

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कर्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 2000

विषयः सरकारी अधिकारियों की चरित्र–पंजी में रखे जाने वाले अभिलेख।

महोदय,

उ0प्र0 सरकार, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–36 / 9 / 76–कार्मिक–2 दिनांक 24 जनवरी, 1977 द्वारा राज्याधीन सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों (समूह ''क'' तथा समूह ''ख'') की वार्षिक गोपनीय–पंजिका में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाने के आदेश जारी किये गये हैंः–

1. सरकार द्वारा जारी किये गये प्रशंसा पत्र / संकल्प, सेवा की मान्यता के उपलक्ष्य में प्रदान किये गये किन्हीं पदकों, पुरस्कारों आदि के संबंध में अभिलेख।
2. अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियमों के अंतर्गत कोई भी दण्ड़ लगाने के आदेश की प्रतिलिपि।
3. अधिकारी को चेतवानी देते हुए अथवा सरकार का असंतोष अथवा भर्त्सना सूचित करते हुए उसे सम्बोधित पत्रादि की प्रतिलिपि।
4. अधिकारी के विरूद्ध उसकी गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों अथवा अभिकथनों पर जांच के अंतिम परिणाम का अभिलेख।
5. अधिकारी द्वारा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा उसके द्वारा लिये गये प्रशिक्षण अथवा उसके द्वारा प्राप्त की गयी ड़िग्रीयों, डिप्लोमाओं अथवा प्रमाण–पत्रों का अभिलेख।

6. अधिकारी द्वारा प्रकाशित कोई पुस्तक, लेख अथवा अन्य प्रकाशन अथवा ऐसे प्रकाशन के संबंध मे अभिलेख जिसके लिए वह जिम्मेदार हो।
7. ऐसी भाषाओ के संबंध में अभिलेख जिन्हें अधिकारी जानता हो अथवा उसने सीखी हो।

2. भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय अपने कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 29 जनवरी, 1962 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जब कभी कोई अधिकारी किसी मान्यताप्राप्त अध्ययन कोर्स या प्रशिक्षण कोर्स मे सम्मिलित होता है तो उसकी चरित्र–पंजी में संबंधित अध्ययन/प्रशिक्षण कोर्स का उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित अध्ययन/प्रशिक्षण की संस्था के प्रमुख से प्राप्त रिर्पोट मूल रूप में चरित्र पंजी में रखी जानी चाहिए या उसका सारांश चरित्र–पंजी में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी (समूह ''क'' तथा समूह ''ख'') यदि प्रविष्टि वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त अध्ययन कोर्स या प्रशिक्षण कोर्स मे सम्मिलित होते हों तो उसका उल्लेख उनकी तद्वर्ष की प्रविष्टि में किया जाना चाहिए तथा संबंधित अध्ययन/प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख से प्राप्त उस अधिकारी की अध्ययन/प्रशिक्षण में कारगुजारी के बारे में रिपोर्ट (यदि कोई प्राप्त हो) मूल रूप में उनकी चरित्र–पंजी में रखा जाना चाहिए या इस रिपोर्ट के सारांश का उल्लेख अधिकारी की प्रविष्टि में कर दिया जाना चाहिए।

भवदीय,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव।

संख्या–36/1/78–का–2/93

प्रेषक,

ओ0 पी0 आर्य,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कर्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 05 मार्च, 1993

विषयः– राज्य सेवा कर्मचारियों की चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उसके कार्य की श्रेणी का उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 1984 द्वारा वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय संबंधित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिवेश में ''ग्रेडिंग'' की व्यवस्था की गयी थी।

2. इस विषय में पुनः सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. कर्मिक के कार्य के आंकलन में की गयी प्रविष्टि तथा अंकित ग्रेडिंग में साम्य होना नितांत आवश्यक है।
2. विभिन्न स्तरों से की गयी ''ग्रेडिंग'' में किसी विरोधाभास की दशा में स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गयी ग्रेडिंग मानी जायेगी।
3. उत्कृष्ट श्रेणी में वर्गीकरण सम्बन्धित कार्मिक की विशेष उपलब्धियों व गुणों को ध्यान में रखकर पूर्ण औचित्य देते हुए ही किया जाये।

3. शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 1984 में ग्रेडिंग का स्पष्ट वर्गीकरण होते हुए कि कई अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों में भिन्न प्रकार से ग्रेडिंग अंकित की जाती है जिससे संबंधित अधिकरी/कर्मचारी के कार्यों का सही मूल्यांकन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः ग्रेडिंग का वर्गीकरण पुनः स्पष्ट किया जाता है :–

1. उत्कृष्ट (Out Standing)
2. अति उत्तम (Very Good)
3. उत्तम (Good)
4. संतोषजनक (Satisfactory)
5. खराब/असंतोषजनक (Bad/Unsatisfactoty)

4. सभी प्रतिवेदक/समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 1992–1993 की प्रविष्टियां अंकित करते समय उपरोक्तानुसारा ग्रेडिंग का वर्गीकरण सुनिश्चित करें और विभिन्न सेवाओं में जो प्रविष्टियों के लिए प्रारूप बनाये गये है, उनमें ग्रेडिंग के संबंध में यथासंशोधन कर ले अथवा इन प्रारूपों में ही नोट के रूप में उपरोक्त ग्रेडिंग अंकित कर दी जाय ताकि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी को सुविधा हो।

5. कृपया शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओ0 पी0 आर्य,

सचिव।

संख्या–36/1/78–का0–2–94

प्रेषक,

आर0 बी0 भाष्कर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कर्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 1994

विषयः– राज्य सेवा कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उसके कार्य की श्रेणी का उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 1993 में कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उनके सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिवेश में निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार ''ग्रेडिंग'' किए जाने की अपेक्षा की गईः–

1. उत्कृष्ट (Out Standing)
2. अति उत्तम (Very Good)
3. उत्तम (Good)
4. संतोषजनक (Satisfactory)
5. खराब/असंतोषजनक (Bad/Unsatisfactoty)

2. उपरोक्त शासनादेश में सभी प्रतिवेदक/समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारियों से अपेक्षा की गई थी कि वर्ष 1992–93 की प्रविष्टियां अंकित करते समय उपरोक्तानुसार ग्रेडिंग की जाय और विभिन्न सेवाओं में वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने हेतु लागू प्रारूपों में, उपरोक्त ग्रेडिंग के अनुसार समुचित संशोधन कर लिया जाय अथवा इन प्रारूपों में ही नोट के रूप में उपरोक्त ग्रेडिंग अंकित कर दी जाय ताकि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी को सुविधा हो।

3. ग्रेडिंग के विषय में उपरोक्त व्यवस्था होते हुए भी, कतिपय अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टियों में भिन्न–भिन्न प्रकार से तथा भिन्न–भिन्न शब्दावली में ग्रेडिंग किये जाने के दृष्टान्त देखने में आए हैं, जिनमें उपरोक्त निर्धारित ग्रेडिंग विषयक, वर्गीकरण से भिन्न शब्दावली में ग्रेडिंग की गई है। इससे सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रविष्टियों का सही पारस्परिक तथा तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाने में कठिनाई होती है।

4. वर्णित परिस्थितियों में सम्यक् विचारोपरान्त शासन निम्नलिखित निर्णय लिये गए है :–

1. भविष्य में वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करते समय प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता अधिकारियों द्वारा शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1993 में वर्गीकृत ग्रेडिंग, जिसे प्रस्तर–1 में उद्वरित किया गया है, से भिन्न शब्दावली में किसी भी दशा में ग्रेडिंग न की जाय।
2. जहां पूर्व में उपरोक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग करते हुए ग्रेडिंग की जा चुकी है, वहां सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का प्रास्परिक/तुलनात्मक मूल्यांकन किये जाने हेतु इस प्रकार की प्रविष्टियों की निम्नवत् ग्रेडिंग मानकर मूल्यांकित किया जाएः–
   (क) ''अच्छा अथवा औसत'' को ''संतोषजनक'' श्रेणी में माना जाय।
   (ख) ''बहुत अच्छा'' को ''उत्तम'' श्रेणी में माना जाय।
   (ग) ''औसत पर ऊपर'' को (Above Average)''उत्तम'' श्रेणी में माना जाय।
   (घ) ''एक्सीलेन्ट'' (Excellent) को ''अति उत्तम'' श्रेणी में माना जाय।
   (च) ''सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट'' को ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में माना जाय।
   (छ) '' जहां उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो, अथवा ग्रेडिंग न हो वहां सम्पूर्ण प्रविष्टि का अध्ययन कर जैसा सामान्यतः मूल्यांकन किया जा सकता हो।
3. उपरोक्त आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि के बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों के सम्बन्ध में लागू होगा।

5. कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इस निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त सक्षम प्राधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाय।

भवदीय,

आर0 बी0 भाष्कर

सचिव।

अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण

प्रेषक,

आर0 आर0 भटनागर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः 30, जून, 1999

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डीजी–चार–110–190–99 दिनांक 15 अप्रैल, 1999 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में उनके पदनाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों के रूप में सम्बन्ध का अधिकारी को अपने नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य अंकित किये की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदन अधिकारी	समीक्षाधिकारी	स्वीकर्ताओं
1	आरक्षी/मुख्य आरक्षी	थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक प्रतिसार निरीक्षक		क्षेत्राधिकारी
2	उप निरीक्षक	क्षेत्राधिकारी		पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर अपर पुलिस अधीक्षक
3	थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक	क्षेत्राधिकारी/क्षेत्राधिकारी लाइन्स	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ नगर/प्रभारी लाइन्स	

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

आर. आर. भटनागर
विशेष सचिव

सं० 1460–6–पु–1–99–51/99 दिनांक्ति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. गृह सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण।
5. गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(जी के रघुवंशी)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः–

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 कही जायेगी।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
3. यह समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव :– यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषएंः– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो पद–

(क) ''समुचित प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, यथास्थिति, प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो, से है;

(ख) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है;

(ग) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो, से है;

(ड.) ''रिपोर्ट'' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्य – निष्ठा के संबंध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;

(च) ''सचिवालय'' का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;

(छ) ''वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

4. प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिये प्रकियाः–

1. जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण–पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।
2. सरकारी कर्मचारी, उप नियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे समक्ष प्राधिकारी कहा गया है, यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता हैः

परन्तु यदि, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के लिये पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

3. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका–टिप्पणी के लिये भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीक–टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगाः

   प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका–टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रहा गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

4. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीक–टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करगा और यदि कोई टीका–टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका–टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–
   (क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हूए; या
   (ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हूए,
5. जहां सक्षम प्राधिकारी, उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक प्रत्यावेदन कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने मे असमर्थ हो तो वह इस संबंध में

अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

6. उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसुचित किया जायेगा।
7. जहां उप नियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाय, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गई रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।
8. उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।
9. जहां–
    1. किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना ;
    2. किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन ;
    3. समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका–टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन के भेजे जाने ;
    4. समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी; या
    5. किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे; का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायगा।

    स्पष्टीकरण :– इस उप नियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमवाली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नही की जाएगी।

5. रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जानाः– फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड़ दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम–56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नही की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम–4 के अनुसार नही निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षता रोक पार करने और अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नही समझा जायगा।

6. रजिस्टार का रख–रखावः– यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप, जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक रजिस्टार रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा।

7. शास्ति :–

1. जहां संबंधित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझ कर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।
2. सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी, प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी, और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हो, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के सक्षम रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझ कर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

8. व्यावृत्ति :– नियम–4 के उप नियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

रामकुमार

सचिव।

पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पोस्टिंग के सम्बन्ध में विविध शासनादेश।

संख्याः 1091/6–पु–1–15–81/2001

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक– 24 जुलाई, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या डीजी–चार–स्था0–106 (370)/2015, दिनांक 17.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष की समयावधि के अर्न्तगत उनके गृह जनपद के सीमवर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनादेश संख्याः–1039/6–पु'1–14–81/2001 दिनांक 07.06.2014 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पुलिस विभाग के सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक को छोड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सम्यक, विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

3. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 07.06.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संख्याः– 1061/6–पु–1–15–81/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0 पुलिस रेडियों मुख्यालय लखनऊ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।
9. गृह (पुलिस) एवं गोपन के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,
(बच्चूलाल)
अनु सचिव

संख्या : 1039/6–पु–1–14–81/2001

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषयः– पुलिस बल के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः डीजी–चार–120(100)/2014, दिनांक 28.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा शासनादेश संख्याः 797/6–पु–1–12–81/2001, दिनांक 20.03.2012 में निहित निर्देशों में संशोधन करते हुए आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को उनके गृह जनपद के समीपवर्ती जनपद में नियुक्त/ स्थानान्तरण न करने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 797/6–पु–1–12–81/2001, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर 2 में निहित पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद के पड़ोसी जनपदों में किये जाने पर कोई पाबन्दी नही होगी, की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 20.03.2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या/500/आठ–1–81, दिनांक 11 जुलाई, 1986 के प्रस्तर–5 में निहित हेड कांसटेबल तथा कान्सटेबल को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में न तैनात किया जाय अथवा जिन जनपदों में उनकी अचल सम्पत्ति हो, उनमें भी नियुक्त न किया जाय की व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगीः कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्याः– 1061/6–पु–1–15–81/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0 पुलिस रेडियों मुख्यालय लखनऊ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।
9. गृह (पुलिस) एवं गोपन के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,
(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–797 / 6–पु–1–12–81 / 2001

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव गृह
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांकः– 20 मार्च, 2012

विषयः– पुलिस बल के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–500 / 8–1–86,दिनांक 11, जुलाई 1986 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आरक्षी एवं मुख्य आरक्षीयों का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद से दूरस्थ किये जाने के कारण इन पुलिस कर्मियों की व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण उनके गृह जनपद के पडोसी जनपदों में किये जाने पर कोई पाबन्दी नही होगी।

3. उक्त शासनादेश संख्या संख्या–500 / 8–1–86, दिनांक 11, जुलाई 1986 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(लीना जौहरी)

संख्या व दिनांक तदैव।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0 प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
4. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश चन्द्रा)
विशेष सचिव

संख्या–5001/8–1–86

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,

गृह सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांकः– 11 जुलाई, 1986।

विषयः– पुलिस दल के कान्सटेबल उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3442/8–1–31/70 दिनांक 27 जून, 1983 का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्त एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाया।

1. किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाय। साथ ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जनपद से सीमावर्ती हो।
2. किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवा काल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाय। उप निरीक्षक एक जनपद में 6 वर्ष से अधिक तथा निरीक्षक को एक जनपद में 5 वर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाय । निरीक्षक हेतु इस अवधि में उसके उप निरीक्षक की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा। यही प्रक्रिया उपनिरीक्षक की सेवा में अवधि के लिए भी लागू होगी। उन जनपदों में भी नियुक्ति नही होगी जहां उनकी अचल सम्पत्ति हो।
3. अभिसूचना विभाग के अतिरिक्त सभी उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति किये जाये उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस में न की जाय अपितु उनकी नियुक्ति अपराध अनुसंधान विभाग/सतर्कता विभाग आदि में की जायेगी। नयी नियुक्ति कम से कम दो वर्ष के लिए होगी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिक्षेत्र एवं उपरोक्त सीमावर्ती जिलों का प्रतिबन्ध सामान्यतया लागू होगा। यदि कोई भी निरीक्षक प्रोन्नति के लिए अनुमोदित होने के पश्चात जिला कार्यकारी दल के अतिरिक्त अपनी प्रोन्नति के नव नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रोन्नति से विमुक्त कर दिया जाय।
4. शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि थाने के प्रभारी अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही रहे, अतः साधारणतया जिन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों ने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, उन्हे थाने का कार्यभार न दिया जाय। इस संबंध में शारीरिक स्वस्थतता हेतु मापदण्ड़ अलग से जारी किये जा रहें है।

5. हेड कान्सटेबिल को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में तैनात न किया जाय अथवा जिन जनपदों में उनकी अचल सम्पत्ति हो, उनमें भी नियुक्त न किया जाय। हेड कान्सटेबिल का एक जनपद में 10 वर्ष तथा कान्सटेबिल को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेड़ कान्सटेबिल के विषय में उसके कान्सटेबिल की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।
6. उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।
7. कृपया इस संबंध में पुलिस रेगुलेशन के संबंधित प्रस्तरों में समुचित संशोधन किये जाने हेतु गृह (पुलिस) अनुभाग–7 को स्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाय

भवदीय,

माता प्रसाद
सचिव।

संख्या तथा :5001(1)/8–1–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, पुलिस रेडियो संचार, उ0प्र0 पुलिस रेडियों मुख्यालय लखनऊ।
7. गृह (पुलिस) अनुभाग 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, प समीपवर्ती।
8. सचिव मुख्य मंत्री जी।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा
संयुक्त सचिव।